मुख्य परीक्षा 2018 के सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन पेपर-1

प्र. 1. भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये।

उत्तर: भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जिसकी मूर्त तथा अमूर्त विरासत के माध्यम से यहाँ की प्राचीन परंपरा, इतिहास, कला तथा संस्कृति के दर्शन होते हैं। ये प्राचीन विरासत बहुमुखी भारतीय संस्कृति के साथ-साथ यहाँ के समृद्ध अतीत की झलक भी प्रस्तुत करते हैं।

वर्तमान औद्योगीकीरण तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण प्राचीन विरासत पर विद्यमान संकटपूर्ण स्थिति का ही परिणाम है कि राष्ट्र के स्तर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी (यूनेस्को के द्वारा) इन प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। भारत के इन प्राचीन धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न बिंदुओं को देखा जा सकता है:

- प्राचीन कला व संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्मारकों से राष्ट्र का गौरव जुड़ा होता है। अत: गर्व की अनुभूति सदैव प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करने के लिये प्रेरित करती है।
- प्राचीन कलाओं तथा हस्तकलाओं को संरक्षित किये जाने पर ही ये भविष्य की पीढ़ियों को स्थानांतरित किये जा सकेंगे। यही कारण है कि यूनेस्को ने भारत के अमूर्त धरोहरों को विश्व विरासत सूची में (पंजाब के पारंपरिक पीतल के बर्तन बनाने की कला, छऊ नृत्य, वैदिक मंत्रों की परंपरा आदि को) सम्मिलित करके संरक्षण का प्रयास किया है।
- प्राचीन कलाओं, जैसे– चित्रकारी, कशीदाकारी, नृत्य, संगीत आदि को संरक्षण के माध्यम से देश की विभिन्न जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के आय अर्जन के अवसरों को सुनिश्चितता भी प्रदान किया जा सकता है।
- प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के माध्यम से पर्यटन उद्योग को भी गति प्रदान की जा सकती है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने से एक तरफ विदेशी पर्यटक जहाँ देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करते है वहीं दूसरी तरफ देशी पर्यटकों के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा को बल प्रदान किया जा सकता है।
- अनियोजित तथा अंधाधुंध विकास की चाह ने प्राचीन स्मारकों को क्षति पहुँचाने में मुख्य भूमिका निभाई है। ताजमहल को आगरा के औद्योगिक प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाना आज के समय की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत की प्राचीन कला व विरासत को संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 तथा 51क(च) को देखा जा सकता है जो भारत की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के संरक्षण तथा परिरक्षण का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पुरातात्त्विक स्थलों के विकास, संचालन तथा रखरखाव को निजी क्षेत्र के माध्यम से किये जाने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग योजना तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा अमूर्त विरासत के संरक्षण हेतु 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा' योजना को लागू किया जा रहा है।

प्र. 2. भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्त्व का आकलन कीजिये।

उत्तर: भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत महत्त्वपूर्ण हैं। इन विदेशी यात्रियों में चीनी और अरबी लेखकों के वृत्तांत काफी महत्त्व रखते हैं। इनके विवरणों से भारत के तात्कालिक इतिहास पर चतुर्दिक प्रकाश पड़ता है। यही कारण है कि इनके वृत्तांतों का उपयोग करने पर अतीत को नए दृष्टिकोण से देखना संभव हुआ।

चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के चलते भारत एवं चीन के बीच संबंध प्रगाढ़ हो गया था। इस तरह धार्मिक संबंध स्थापित होने के कारण अनेक चीनी यात्री बौद्ध धर्म, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करने के लिये तथा प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शनार्थ भारत आए। इनमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। चीनी लेखकों में ऐतिहासिक जानकारी के दृष्टिकोण से फाहियान का नाम महत्त्वपूर्ण है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। यद्यपि अपने

यात्रा वृत्तांत में उसने बौद्ध धर्म से संबंधित बातों पर अधिक प्रकाश डाला है तथापि प्रसंगवश सामाजिक तथा अन्य बातों, जैसे- मध्य प्रदेश के संदर्भ में विस्तृत उल्लेख किया है। इसके ग्रंथ से हमें गुप्तकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह ह्वेनसांग, हर्षवर्धन कालीन भारत का प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिये ह्वेनसांग का यात्रा विवरण एक प्रमुख स्रोत के रूप में उपलब्ध है। आगे इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला अंतिम चीनी यात्री था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान उसने तात्कालिक भारत के विषय में लिखा।

इसी तरह प्राचीन काल से ही अरब देशों के साथ भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। अरब सौदागर व्यापार-वाणिज्य के निमित्त निरंतर भारत आते रहते थे। इन्हीं में से कुछ ने भारत के बारे में भी लिखा। इब्न खुरदादब ने 'किताबुल मसालिक वल ममालिक' नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भारत के अनेक स्थानों एवं नगरों का विवरण है। अलमसूदी ने 'मुरुज-अल-धहब' नामक ग्रंथ में तात्कालिक भारतीय राजनीति, समाज और धर्म का अच्छा विवरण दिया है। इब्राहिम अल इस्तखरी ने अपने ग्रंथ 'किताब-अल-अकालिम' में सिंध एवं उसके आस-पास के क्षेत्र का मानचित्र तथा भारत के अनेक नगरों का उल्लेख किया है। उसके इस ग्रंथ में राष्ट्रकूटों एवं प्रतिहारों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इन लेखकों के अलावा अलइदरीसी, इब्नहौकल, आदि के द्वारा भी सिंध एवं हिंद का भौगोलिक एवं राजनीतिक विवरण दिया गया है।

इस तरह उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास की पुनर्रचना के विभिन्न साधन के रूप में चीनी एवं अरबी यात्रियों के विवरण महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन इन स्रोतों के स्वतंत्र एवं तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है ताकि प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सके।

प्र. 3. वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।

उत्तर: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। वस्तुतः गांधीजी की विचारधारा का सैद्धांतिक आधार सत्य और अहिंसा था। वर्तमान संदर्भ में उनके के विचारों का व्यापक महत्त्व देखा जा सकता है।

गांधीजी ने सत्य, अहिंसा और अद्वैत की मूल भावना को साकार करने के लिये सर्वोदय संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन किया। सर्वोदय का आशय सभी का, सभी प्रकार से उत्थान या कल्याण से है अर्थात् यहाँ जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, लिंग, संपत्ति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाता है। सर्वोदय के विभिन्न आयामों को अधोलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है-

- **आर्थिक पक्ष:** गांधीजी सभी व्यक्तियों के श्रम करने पर बल देते हैं ताकि उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। फिर वे सभी के श्रम की कीमत एवं महत्ता को समान रूप से स्वीकार करते हैं। वे आर्थिक न्याय हेतु ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसके अनुरूप धनी व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति का उपयोग करना चाहिये जितनी उसको आवश्यकता है। शेष संपत्ति का उपयोग उसे समाजहित में करना चाहिये। फिर वे भारतीय संदर्भ में लघु एवं कुटीर उद्योग का समर्थन करते हैं।
- **सामाजिक विचार:** गांधीजी ने आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया जिसमें अप्राकृतिक, ऊँच-नीच का भाव, अस्पृश्यता, छुआछूत, स्त्री-पुरुष भेद न हो। यद्यपि वे वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं तथापि उसे केवल व्यक्ति के आर्थिक जीवन एवं आजीविका प्राप्ति से संबंधित करते है। गांधीजी सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी पर बल देते हैं।
- **राजनीतिक पक्ष:** गांधीजी, थोरो के इस विचार से सहमत हैं कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। गांधीजी सत्ता का विकेंद्रीकरण, राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र का समर्थन करते हैं जबकि राज्य की प्रमुखता का खंडन करते हैं।
- **धार्मिक पक्ष:** गांधीजी धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता एवं धर्मांधता के विरोधी हैं। उनका धर्म से आशय सभी धर्मों में अंतर्निहित, मूल शाश्वत तत्त्व से है जो समस्त मानवों के कल्याण का हेतु है। वे सर्वधर्म समभाव की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

गांधीजी साधन एवं साध्य की पवित्रता पर बल देते हैं। उनके आनुसार साधन एवं साध्य में अवियोज्य संबंध है। इसी तरह व अहिंसा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से किसी का अमंगल न होने देना ही अहिंसा है। उनका मानना है कि समाज में परिवर्तन रक्तपूर्ण क्रांति से नहीं बल्कि अहिंसात्मक पद्धति से संभव है।

वर्तमान में मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक एवं जातीय संघर्ष, अस्पृश्यता, SC/ST से संबंधित समस्याएँ, बेरोज़गारी आदि के निराकरण में गांधीजी के विचारों का व्यापक महत्त्व देखा जा सकता है।

प्र. 4. भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन.एस.एस.) की आवश्यकता क्यों है? यह नौपरिवहन में किस प्रकार सहायक है?

उत्तर: भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन.एस.एस.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है। यह अपनी परिधि में 1500 किमी. के क्षेत्र को कवर करती है। भारत के प्रधानमंत्री ने इसका नाम देश के मछुवारों को समर्पित करते हुए नाविक (NAVIC-Navigation with Indian Constellation) रखा है।

भारत दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे महत्त्वपूर्ण एवं अग्रणी देश है। हिंद महासागर में इसकी सामरिक एवं वाणिज्यिक स्थिति को देखते हुए इसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाए रखने के लिये अपनी खुद की प्रभावी उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली की आवश्यकता थी चूँकि अभी भारत अमेरिकी 'जीपीएस' का इस्तेमाल कर रहा है जो पूरी तरह से अमेरिकी नियंत्रण में रहता है और युद्ध के समय भारत इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने स्वदेशी उपग्रह नौवहन प्रणाली का विकास किया और ऐसी तकनीक रखने वाला विश्व का तीसरा देश बना।

आई.आर.एन.एस.एस. अर्थात् 'नाविक' एक स्वतंत्र क्षेत्रीय मार्गनिर्देशन तंत्र है जिसमें 7 उपग्रह शामिल हैं। इसे न केवल भारतीय प्रयोक्ताओं बल्कि अपनी सीमा के बाहर 1500 किमी. के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों में सटीक स्थिति संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिये डिज़ाइन किया गया है। नाविक मुख्य रूप से दो प्रकार की सेवाएँ मुहैया कराएगा– प्रथम, मानक अवस्थिति सेवा (एस.पी.एस.) जो जन सामान्य के लिये नौवहन व अवस्थिति की निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराएगी। द्वितीय, प्रतिबंधित सेवा (आर.एस.) जो केवल सेना व गुप्तचर एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाई जाएगी। नाविक द्वारा स्थलीय, हवाई तथा महासागरीय दिशानिर्देशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। सड़क और रेल यातायात, सड़कों पर ट्रैफिक जाम, ट्रेनो की रियल टाइम ट्रैकिंग, कार्गो शिपिंग आदि क्षेत्रों में यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्र. 5. भारत आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस कारण गहन रुचि ले रहा है?

उत्तर: आर्कटिक प्रदेश विश्व के सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में से एक है। यहाँ विश्व के 10-20% पेट्रोलियम एवं 30% प्राकृतिक गैस मौजूद हैं। साथ ही, खनिज संसाधन जैसे कि कॉपर, निकेल, कोयला, सोना, यूरेनियम एवं टंगस्टन के निक्षेप मौजूद हैं। ऐसे में, यह क्षेत्र विश्व के देशों के समक्ष आर्कषण का केंद्र बन रहा है, जिनमें भारत भी प्रमुख है।

भारत विश्व का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में बढ़ती हुई जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा की आपूर्ति हेतु भारत इस क्षेत्र के ऊर्जा संसाधनों में रुचि ले रहा है। यहाँ भारत के वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, व्यावसायिक तथा सामरिक हित भी निहित हैं।

यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में से है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का इस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र की जलवायु का संबंध भारतीय मानसून से भी है जिस कारण भारत इस क्षेत्र में रुचि ले रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मानसून है जिसमें किसी भी प्रकार की अनिश्चितता कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर सकती है। साथ ही, इस क्षेत्र में मौजूद राष्ट्र भारत के लिये विशिष्ट सामरिक एवं व्यापारिक महत्त्व रखते हैं, ऐसे में यहाँ रुचि का होना स्वाभाविक है।

यद्यपि इस दिशा में हमारे प्रयास वर्ष 2007 से ही प्रारंभ हो गए थे जब यहाँ भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक दल भेजा था। तत्पश्चात् भारत ने नॉर्वे में वर्ष 2008 में अपना पहला अनुसंधान केंद्र 'हिमाद्री' स्थापित किया और इसे आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष यहाँ वैज्ञानिक दल भेजे। साथ ही वर्ष 2008 में 'नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट' के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किये। वर्ष 2012 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति (IASC) की परिषद के लिये चुना गया और 2013 में यह आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक राष्ट्र बना।

आर्कटिक अनुसंधानों से एक बात सामने आई है कि इन शोधों से निकले परिणामों में संपूर्ण मानवता को लाभान्वित करने, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के मार्गदर्शन में और पृथ्वी की सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव पैदा करने की क्षमता समाहित है। अतः निश्चित रूप से आर्कटिक क्षेत्र में भारतीय रुचि समय संगत है जो कि भारत के दीर्घकालिक हित में है।

प्र. 6. 'मेंटल प्लूम' को परिभाषित कीजिये और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: 'मेंटल प्लूम' ज्वालामुखी क्रिया में लावा में मिली हुई चट्टानों के पिघले (Molted) हुए टुकड़े हैं जो मेंटल से उर्ध्वाधर दिशा में पृथ्वी की सतह पर आते हैं। सतह पर विवर्तनिक प्लेटों के पार्श्व विस्थापन के कारण मेंटल प्लूम पंक्तिबद्ध हॉटस्पॉट ज्वालामुखी की श्रृंखला बनाते हैं। इसकी अवधारणा गर्म स्थल संकल्पना (Hot Spot Concept) के अंतर्गत भूकंपरहित कटकों के अध्ययन के दौरान की गई थी।

स्मरणीय है कि हवाई द्वीप में भूकंपरहित कटक (Aseismic Ridge) पाए जाते हैं। हालाँकि इस तरह के भूकंपरहित कटक प्रशांत महासागर में भी पाए जाते हैं परंतु प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर इनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। गर्म स्थल संकल्पना का प्रतिपादन जेसन मार्गन तथा टूजो विल्सन ने किया था। इन्होंने बताया कि गर्म स्थल (Hot Spot) वास्तव में गर्म पदार्थों के द्रव जेट या पिच्छक (Plumes) होते हैं जहाँ से गर्म तरल मैगमा ऊपर उठते हैं और स्थलमंडल को भेदते हुए सतह पर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में अंतरा प्लेट ज्वालामुखी (Intraplate Vulcanism) क्रिया को स्पष्ट किया गया तथा मेंटल प्लूम की अवधारणा द्वारा कटकों के निर्माण की व्याख्या की गई।

मेंटल प्लूम परिकल्पना के द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बहुत-सी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा बहुत-से अनसुलझे सवालों को सुलझाने में मदद मिल सकती है, जैसे कि इसके द्वारा यह समझाया जा सकता है कि क्यों कुछ ज्वालामुखी एक विवर्तनिक प्लेट के बीच में सक्रिय रहते हैं? इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है? चूँकि मेंटल प्लूम परिकल्पना अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है इसलिये इसका संभावित महत्त्व प्लेटों के भीतर ज्वालामुखी को समझाने से परे भी हो सकता है।

प्र. 7. समुद्री पारिस्थितिकी पर मृत क्षेत्रों (डेड ज़ोन्स) के विस्तार के क्या-क्या परिणाम होते हैं?

उत्तर: समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मृत ज़ोन (डेड ज़ोन्स) वे होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत न्यून होती है या हाइपोऑक्सिक परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं, जिस कारण यहाँ मौजूद जैविक संसाधनों की मृत्यु हो जाती है। कुछ ही जीव इस हाइपोऑक्सिक परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं।

समुद्र में मृत ज़ोन प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं किंतु हाल की कुछ वैज्ञानिक खोजों में पता चला है कि इन क्षेत्रों को बनाने में मानवीय क्रियाकलाप प्रमुखता से ज़िम्मेदार हैं। मृत ज़ोन बनने हेतु कई भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारण उत्तरदायी हैं किंतु इसका प्राथमिक कारण पोषक तत्त्वों की अधिकता है जो कि मानवीय क्रियाकलापों की वजह से सागर तक पहुँचते हैं।

इस कारण यहाँ स्वपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अंतत: डेड ज़ोन का निर्माण हो जाता है जैसा कि मेक्सिको की खाड़ी व हिंद महासागर में देखने को मिला है।

सागरीय डेड ज़ोन बनने के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं-

- जलीय जीवों की मृत्यु होगी जिस कारण जलीय जैवविविधता में कमी आएगी।
- जो जलीय जीव कम ऑक्सीजन युक्त परिस्थिति में जीवित रह जाते हैं उनकी प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा उनके प्रजनक अंगों का आकर छोटा हो जाता हैं एवं अंडों का आकार भी छोटा हो जाता है जो अंतत पारिस्थितिकी ह्रास का कारण बनता है।
- जलीय जीवों में प्रोटीन के स्तर तथा हार्मोनल बैलेंस में गड़बड़ी आती है जो दीर्घकालिक रूप में आनुवंशिक उत्परिवर्तन का कारण बनता है।
- सागरीय डेड ज़ोन के प्रसार से प्रवाल भित्तियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं उनकी विविधता में भी कमी आती है।
- जैवविविधता में कमी आने से तटीय आबादी की आजीविका पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे अंतत: उस क्षेत्र की आर्थिक संवृद्धि प्रभावित होती है।

वर्तमान औद्योगीकरण एवं कृषि के आधुनिकीकरण के युग में जल में पोषक तत्त्वों की मात्रा बढ़ रही है जो कि सागरीय डेड ज़ोन के प्रसार में सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। ऐसे में, कार्बनिक खेती को बढ़ावा देकर एवं औद्योगिक अपशिष्टों का वैज्ञानिक निस्तारण कर इनके प्रसार को कम किया जा सकता है तथा जलीय जैवविविधता को संरक्षित किया जा सकता है।

प्र. 8. "जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अत: भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।" टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: भारतीय समाज में जाति व्यवस्था सदियों से विद्यमान रही है। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विशेषाधिकार प्रदान करती है। डॉ. अंबेडकर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले तथा पेरियार जैसे सामाजिक चिंतक जाति व्यवस्था के विनाश के पक्षधर रहे हैं, किंतु यह जाति व्यवस्था 'नई सदी में नई विशेषताओं' के साथ उदित हो रही है।

जाति व्यवस्था की नई-नई पहचानों और इसके सहचारी रूपों पर यदि विचार करें तो यह वर्तमान में निम्नलिखित रूपों में देखी जा सकती है-

- भारतीय लोकतंत्र में जातिगत राजनीति के उभार ने जातीय पहचान व जातीय संगठनों को महत्त्वपूर्ण बना दिया है। जिससे जाति व्यवस्था को नवीन शक्ति मिली है।
- अपमानजनक जातिगत अभ्यासों, जैसे– मंदिर प्रवेश से रोकना, सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाना आदि ने भी जाति व्यवस्था में निम्न कही जाने वाली जातियों को संगठित होने के लिये उत्प्रेरित किया है। यह भी जाति व्यवस्था द्वारा अर्जित एक नई पहचान है।
- जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था ने भी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातीय पहचान को उपयोगी बना दिया है।

इस प्रकार जातिगत आंदोलनों के अंतर्गत तथा जातियों की शक्ति-संपन्नीकरण की प्रकिया में जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों एवं सहचारी रूपों को धारण कर रही है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता।

किंतु बेहतर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवसरों की उपस्थिति जाति व्यवस्था के बंधनों को कमज़ोर कर सकती है। इन अवसरों की बेहतर उपस्थिति जाति आधारित आरक्षण की बढ़ती मांग तथा जातीय संघर्ष जैसी समस्याओं को समाप्त कर सकती है। इस क्रम में भारतीय समाज में जाति आधारित अभिवृत्ति में भी रचनात्मक परिवर्तन करने के लिये सामाजिक आंदोलनों की ज़रूरत है।

ध्यातव्य है कि ऐसे अवसरों के सृजन हेतु भारतीय लोकतंत्र, समाज एवं संविधान सदैव से प्रयासरत भी रहा है। कौशल विकास, उद्यमिता को प्रोत्साहन, समाज सुधार आंदोलन, कृषि विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं का विकास ऐसे प्रयासों का ही परिणाम है।

अत: भारत में नई-नई पहचानों एवं सहचारी रूपों के साथ जाति व्यवस्था का उदित होना सत्य है किंतु समावेशी विकास की प्रक्रिया, जाति के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति में लोकतांत्रिक परिवर्तन एवं अंतर्जातीय विवाह जैसे प्रयासों की सहज स्वीकार्यता से बंद जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया जा सकता है।

प्र. 9. 'भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है।' कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: निर्धनता वह स्थिति है जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति के कारण समाज में एक वर्ग भूख, कुपोषण, अस्वस्थता, अपर्याप्त आवास, असुरक्षित पर्यावरण तथा सामाजिक भेदभाव जैसी अमानवीय परिस्थितियों से घिरा होता है। इन्हीं नकारात्मक वातावरण से समाज के निर्धन तबके को बाहर निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा आज़ादी के बाद से ही अनेक निर्धनता कार्यक्रम चलाए गए जो आज भी निर्धनता उन्मूलन हेतु क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

गरीबी निवारण हेतु किये गए सरकारी प्रयासों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, मनरेगा, भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ध्यातव्य है कि आज़ादी के बाद से ही गरीबी निवारण हेतु किये गए प्रयासों के बावजूद तेंदुलकर समिति द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 तक देश में 21.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही थी। निर्धनता के वर्तमान में भी बने रहने के कारणों के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को समझा जा सकता है:-

- भारत में निर्धनता के विद्यमान होने का मुख्य कारण निर्धनता दुष्चक्र की उपस्थिति है। गरीबी की विद्यमानता ने शिक्षा की कमी तथा स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता को समाज में बनाए रखा जिससे एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण पर गरीब

परिवारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो दूसरी तरफ कौशलयुक्त रोज़गार के प्रति अयोग्यता ने गरीब व्यक्ति की अगली पीढ़ी को गरीब बनाए रखने में अपनी नकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया।

- सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विद्यमान त्रुटियों (लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, कालाबाज़ारी) ने भी योजनाओं के लाभ को वांछित व्यक्तियों तक पहुँचाने में बाधाएँ उत्पन्न की हैं। वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इन त्रुटियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

उपर्युक्त कारणों की विद्यमानता ने भारत में निर्धनता के दुष्चक्र को स्थापित किया है लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा कि तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में जो गरीबी 1993-94 में 45.3% तक विद्यमान थी, वह 2011-12 में घटकर 21.9% पर पहुँच गई है। अत: सरकारी प्रयासों का लाभ निर्धन परिवारों तक पहुँच रहा है जिसे और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है, तभी समावेशी विकास का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है।

प्र. 10. धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना, धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य मॉडल से किन-किन बातों में भिन्न है? चर्चा कीजिये।

उत्तर: 'धर्मनिरपेक्षतावाद' लैटिन शब्द 'Seculam' से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ है इहलोक से संबंधित। वास्तव में धर्मनिरपेक्षतावाद आधुनिक काल की एक भौतिकवादी तथा मानववादी विचारधारा है जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति के आधार पर इहलोक के महत्त्व की स्थापना करती है। जहाँ तक भारतीय व पाश्चात्य संदर्भ में भिन्नता की बात है तो उसके मूल में मुख्यत: दो बातें हैं- एक, दोनों स्थानों पर धर्म के अर्थ में अंतर है; दो, दोनों स्थानों पर धर्मनिरपेक्षतावाद की अवधारणा का उदय अलग-अलग परिस्थितियों में हुआ है।

उपर्युक्त दोनों बातों अर्थात् धर्म के अर्थ एवं धर्मनिरपेक्षता के उदय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जब हम भारतीय एवं पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतावाद के मॉडल का सम्यक परीक्षण करते हैं तो दोनों के अर्थ, स्वरूप एवं लक्ष्य में भी अंतर देखा जा सकता है। इस अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है-

- भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद का विकास धार्मिक विविधता के वातावरण में हुआ। यहाँ धर्म एवं राज्य का कभी सत्ता संघर्ष नहीं हुआ जिससे धर्मनिरपेक्षतावाद का स्वरूप मुख्यत: सकारात्मक है। यहाँ राज्य किसी धर्म का विरोध नहीं करता बल्कि 'सर्वधर्म समभाव' का पालन करता है। जबकि पाश्चात्य जगत में धर्मनिरपेक्षतावाद का विकास मध्यकाल में चर्च-राज्य 'धर्मतंत्र' की प्रतिक्रिया में हुआ है जिससे यहाँ राज्य, धर्म को पूरी तरह अस्वीकार करता है। अत: पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक स्वरूप अपनाया गया है।
- भारत में 'धर्म' का अर्थ सदगुण व स्वकर्त्तव्य-पालन से है जिससे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मूल निहितार्थ धर्म से पृथक्करण नहीं बल्कि पंथ/संप्रदाय से राजनीति का पृथक्करण है। जबकि पाश्चात्य जगत में धर्म का अर्थ 'मज़हब' है जो किसी अतींद्रिय सत्ता पर आधारित है। अत: पाश्चात्य मॉडल में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से तटस्थता है।
- भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद का उद्देश्य सांप्रदायिकता के विरोध से है जबकि पाश्चात्य जगत में धर्मनिरपेक्षतावाद का उद्देश्य धर्म की उपेक्षा, तटस्थता तथा विरोध से है।

अत: धर्मनिरपेक्षतावाद के भारतीय एवं पाश्चात्य मॉडल में देश व कालजन्य भिन्नताएँ अवश्य हैं किंतु दोनों स्थानों पर इस विचारधारा का मूल उद्देश्य मानववाद, नैतिकता तथा तार्किकता की स्थापना है।

प्र. 11. श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक असाधारण नई दिशा मिली थी। चर्चा करें।

उत्तर: भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और विकास ने मध्यकालीन भारत के धार्मिक जीवन के क्षेत्र में एक नई चेतना का विकास किया। बंगाल व पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मूलत: एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई जिसमें समाज सुधार के तत्त्वों का समावेश श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से संभव हो सका।

श्री चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल तथा पूर्वी भारत में वैष्णववादी भक्ति परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। चैतन्य के आगमन से पूर्व हिंदू धर्म पतनोन्मुख हो रहा था जिसके भीतर अनेक कर्मकांडीय तत्त्वों का समावेशन हो चुका था जिसे चैतन्य ने सुधारकर्त्ता की भूमिका निभाकर हिंदू धर्म को पुन: समाज में स्थापित किया।

चैतन्यवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं– कृष्ण की भक्ति तथा गुरु के प्रति श्रद्धा। चैतन्य ने कृष्ण व राधा के मध्य विद्यमान भक्ति व प्रेम की भाँति प्रेम व सच्ची श्रद्धा को ईश्वर के प्रति प्रकट करने का संदेश दिया। चैतन्य ने संकीर्तन (सामूहिक भजन गान) के माध्यम से भक्त का ईश्वर से जुड़ाव स्थापित किया। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष की प्राप्ति के लिये गुरु के मार्गदर्शन को अनिवार्य माना।

चैतन्य की मान्यताओं तथा संदेशों ने वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान के साथ-साथ सामाजिक पुनरुत्थान में भी अपनी भूमिका निभाई। वैष्णव धर्म में समाहित हो चुके तांत्रिक मान्यताओं का चैतन्य ने खंडन किया तथा माँस भक्षण व मद्यपान एवं सामूहिक संभोग व यौन क्रियाओं जैसी नकारात्मक अभिवृत्तियों को वैष्णव धर्म से अलग किया। सामाजिक पुनरुत्थान के अंतर्गत चैतन्यवाद धर्म और जाति में कोई भेदभाव नहीं करता था। चैतन्य के अनुयायी समाज के निम्नतर स्तर से आते थे, साथ ही हिंदुओं के साथ-साथ मुस्लिम भी चैतन्य के अनुयायी थे।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि चैतन्य ने मध्यकालीन भारत के दौरान विकसित भक्ति आंदोलन के माध्यम से न केवल हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया अपितु समाज में विद्यमान बुराइयों व कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया।

प्र. 12. चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण, भारत की अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद है या नहीं।

उत्तर: भारत में स्वतंत्रता पश्चात् ही नए राज्यों की मांग शुरू हो गई थी, हालाँकि उस समय नए राज्यों की मांग का कारण 'भाषायी आधार' था। वर्तमान में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- गोरखालैंड, बुंदेलखंड इत्यादि नए राज्य के निर्माण की मांग कर रहे हैं। विभिन्न विद्वानों का मत है

कि नए राज्यों के गठन से बेहतर शासन-प्रशासन के अलावा राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। जबकि आलोचकों का मत है कि नए राज्यों के गठन से देश के संसाधनों का अपव्यय होगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिये प्रतिकूल होगा।

वस्तुत: नए राज्यों का गठन भारत की अर्थव्यवस्था के लिये निम्नलिखित रूप से लाभप्रद है-

- नए राज्यों के गठन से राज्यों का आकार छोटा होगा, जिससे शासन एवं प्रशासन का सुगम संचालन के साथ ही दक्षता में वृद्धि होगी; जो अंतत: राज्य के विकास के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में लाभप्रद होगा।
- बड़ा राज्य होने की स्थिति में कई बार कोई क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक संपन्न होने के बावजूद शासन की गलत नीतियों के कारण आर्थिक-सामाजिक विकास में पिछड़ा रह जाता है। नए राज्यों के गठन से यह समस्या बेहतर शासन पहुँच से दूर होगी तथा राज्य के सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास होगा।
- नए राज्य के गठन के कारण उस राज्य में नृजातीय संघर्ष एवं क्षेत्रवाद जैसी राष्ट्र विरोधी समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा, फलत: नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होगा। राष्ट्रवाद के संचार के कारण नागरिक देश की आर्थिक गतिविधियों में समुचित भागीदारी करके भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को तीव्र कर सकते हैं।
- नए राज्यों के गठन से शासन की योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाकर राज्य में विद्यमान विषमता को कम किया जा सकता है। राज्य में मौजूद विषमता अलगाववाद, नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी हिंसक गतिविधियों में सहयोगी होती है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। नए राज्यों के गठन से बेहतर आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उपर्युक्त गतिविधियों को समाप्त या कम करके निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद होगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों की संवृद्धि हमें इस दिशा की ओर प्रोत्साहित करती है।

किंतु, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि नए राज्यों का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये निरपेक्ष रूप से लाभप्रद हो, यह ज़रूरी नहीं है; जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं-

- नए राज्यों के गठन से अलग-अलग प्रशासनिक भवन और कार्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे देश को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।
- राज्यों के गठन के समय संसाधनों के बँटवारे के क्रम में एक राज्य को संसाधन कम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे वह राज्य पिछड़ा ही रह जाएगा।
- नए राज्यों के गठन के पश्चात् मूल राज्य से विभिन्न संसाधनों जैसे- नदी, ज़मीन इत्यादि पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं जिनसे विभिन्न 'अधिकरणों' का निर्माण एवं विवाद समाधान तंत्र बनाने होते हैं, जिससे अत्यधिक व्यय बढ़ता है।
- नए राज्यों के गठन से नागरिकों के मध्य कटुता, द्वेष एवं हिंसा की भावना बढ़ती है और संसाधनों एवं सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था एवं प्रगति के प्रतिकूल है।
- नए राज्यों का गठन यदि विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिये किया जा रहा है, तो यह उचित है किंतु अगर राजनीतिक लाभ एवं वोटबैंक के लिये किया जा रहा है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्षत: नए राज्यों के गठन से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव परिलक्षित होते हैं। अत नए राज्यों के गठन को लेकर विशेष सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिये। वस्तुत: राज्यों के गठन से ही उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, बल्कि शासन का सुचारु संचालन एवं नीतियों के समुचित क्रियान्वयन से राज्यों का समुचित विकास किया जा सकता है और अंतत: देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्र. 13. अंग्रेज़ किस कारण भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे? क्या वे वहाँ पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे हैं?

उत्तर: ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सफलता ने उपनिवेशवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। एशिया, अफ्रीका के तमाम देशों में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश स्थापित किये। इन देशों में बागानी, खेती, कृषि, खनन इत्यादि जैसी गतिविधियों में कार्य करने के लिये बड़ी संख्या में करारबद्ध मज़दूरों को भारत से ले जाया गया।

वस्तुत: आरंभ में मज़दूरों के व्यापार की शुरुआत व्यक्तिगत नाविक सौदागरों के द्वारा की गई लेकिन 17वीं सदी के अंत तक करारबद्ध मज़दूरों को अंग्रेज़ों द्वारा उपनिवेशों में ले जाना शुरू हुआ। अमेरिका में खेती और खनन पूर्णत: इन्हीं मज़दूरों पर आधारित था। इसी तरह कैरेबियन द्वीपों, एशिया, अफ्रीका आदि क्षेत्रों में इन मज़दूरों को मानव संसाधन के रूप में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लगाया गया। ध्यातव्य है कि इन्हें वेतन के नाम पर रहने और खाने भर का ही दिया जाता था।

मज़दूरों के रूप में गए ये भारतीय विभिन्न देशों में आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखे हैं। यद्यपि वैश्वीकरण के प्रभाव ने एक समन्वित संस्कृति को भी जन्म दिया है जिसे खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन आदि क्षेत्रों में देखा जा सकता है लेकिन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के मूल अभी भी इन देशों में जीवंत बने हुए हैं। मसलन, इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है जिसके बाली द्वीप में हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत की हिंदू सभ्यता यहाँ जीवंत रूप में देखी जा सकती है। इंडोनेशिया एयरलाइंस का लोगो गरुड़ पक्षी है तो वहीं यहाँ के नोटों पर गणेश जी की फोटो छपी हुई है। यहाँ की रामलीला भी काफी प्रसिद्ध है। भगवान राम, मूर्तियाँ, मंदिर आदि इंडोनेशिया को भारत की संस्कृति से कहीं न कहीं जोड़ने का कार्य करते हैं। इसी तरह मॉरीशस में भी भारतीय संस्कृति पूरी तरह मूर्तमान देखी जा सकती है। रामायण की अनुगूँज आज भी यहाँ भारतीयों की आस्था का ज़बर्दस्त सेतु है। भारत में निर्मित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का एक बड़ा वर्ग मॉरीशस

में है। यहाँ भारतीय विषयों पर सिनेमा घरों, दुकानों, बसों आदि के नाम रखे गए है। मॉरीशस के बाद फिजी एक ऐसा देश है जहाँ भारतीय मूल के नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुँचे हैं। यहाँ भारतीय त्योहारों, जैसे- दीवाली धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ भारतीय घरों में आरती और हनुमान चालीसा के पाठ आमतौर पर सुने जा सकते हैं।

कनाडा जैसे देशों में भी भारतीय संस्कृति के दर्शन देखने को मिल जाते हैं। मक्के की रोटी और सरसों के साग तथा मीठी लस्सी से वहाँ के लोग उतने ही परिचित हैं जितना कि भांगड़ा और गिद्दे नाच से। वैंकूवर के अकाली सिक्ख टेंपल में हर तीज-त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह अफ्रीकी देशों तथा अन्य उपनिवेशों में भी भारतीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है।

इस तरह उपर्युक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक वैश्वीकरण के इस दौर में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव ज़रूर पड़ा है, लेकिन अभी भी जिन देशों में अंग्रेज़ों द्वारा मज़दूरों के रूप में भारतीयों को ले जाया गया वहाँ वे अपनी संस्कृति को परिरक्षित रखने में काफी हद तक सफल रहे हैं।

प्र. 14. "भारत में अवक्षयी (डिप्लीटिंग) भौम जल संसाधनों का आदर्श समाधान जल संरक्षण प्रणाली है।" शहरी क्षेत्रों में इसको किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है?

उत्तर: जल प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार है। हालाँकि यह असमाप्य संसाधन है, परंतु यह संकटग्रस्त संसाधन भी है। पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल से आच्छादित है जो अधिकतर महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। महासागरों में पृथ्वी का कुल 97%, हिमनदों और बर्फ चोटियों में 2.4% तथा अन्य स्रोतों, जैसे- नदियों, झीलों और तालाबों में 0.6% जल पाया जाता है। जल संसाधनों को दो विशिष्ट क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है- भूपृष्ठीय जल एवं भौम जल। पृष्ठीय जल एवं वर्षा जल के रिस-रिस कर भूमि के नीचे जमा होने से भौम जल के रूप में जल का विशाल भंडार बन जाता है।

भारत में भौम जल संसाधन लगभग 431 अरब घन मीटर प्रतिवर्ष है। पुनः पूर्तियोग्य भौम जल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। पारंपरिक रूप से भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई भाग कृषि पर निर्भर है। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में ही होता है। केंद्रीय भौम जल बोर्ड के अनुसार, भारत में 2007 से 2017 के बीच कुओं के जलस्तर में 61% की कमी आई जिसका प्रमुख कारण अधिकाधिक भौम जल दोहन है। इसके अलावा अन्य कारण हैं- अपर्याप्त वर्षा, बढ़ती जनसंख्या और अपर्याप्त जल आपूर्ति, नगरीकरण एवं औद्योगीकरण। भू-जल स्तर में कमी का वृहत् सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय प्रभाव पड़ता है। अलवणीय जल की घटती उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत् पोषणीय विकास के लिये इस महत्त्वपूर्ण जीवनदायनी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। एक आदर्श जल संरक्षण प्रणाली द्वारा हम भौम जल संसाधन को अवक्षय होने से बचा सकते हैं। जल संरक्षण प्रणाली के तहत जल के पुनःचक्र और पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

भारत के नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण प्रणाली को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग, जैसे- शोधित उपशिष्ट जल, उद्योगों के लिये एक आकर्षक विकल्प है। स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिये उपयोग में लाया जा सकता है। वर्षा जल का संग्रहण भी एक अच्छा विकल्प है जिसके द्वारा भौम जल का पुनर्भरण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घर की छतों और खुले स्थानों में किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिये, भूमिगत जल पर लोगों की निर्भरता कम करता है। जल की मांग और आपूर्ति में समन्वय के साथ-साथ जल संसाधनों के स्रोतों के बीच ताल-मेल अनिवार्य है। जो जल संसाधनों के संरक्षण द्वारा ही पूरा हो सकता है।

प्र. 15. नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइये?

उत्तर: नीली क्रांति से अभिप्राय जलीय कृषि को बढ़ावा देकर जलीय जीवों, यथा- मत्स्य, क्रस्टेशियन्स, मोलस्क, जलीय वनस्पति आदि के उत्पादन को बढ़ाना है, जिसमें सभी प्रकार के जलीय तंत्रों, जैसे- सागरीय, बैक वाटर, तालाब, झील नदी आदि को शामिल किया गया है। इस संदर्भ में विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु नीली क्रांति की शुरुआत की है।

उल्लेखनीय है कि भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व का दूसरा प्रमुख देश है। अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत इस क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। किंतु इस क्षेत्र में कई समस्याएँ मौजूद हैं जिस कारण भारत काफी क्षमता का अनुकूलतम उपयोग नहीं कर पा रहा है। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

- औसत वार्षिक उत्पादन का अत्यधिक न्यून होना।
- मत्स्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण हेतु पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है जिस कारण उत्पादित संसाधनों की बर्बादी अधिक होती है।
- पर्याप्त परिवहन सुविधा का न होना एवं कोल्ड स्टोरेजों की कमी होना तथा संगठित बाज़ार एवं मूल्य नीति का अभाव होना।
- प्राचीन तकनीकी एवं परंपरागत मत्स्यन उपकरणों का प्रयोग अधिक होना।
- ओवर फिसिंग से पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी समस्याएँ तथा अपर्याप्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) का होना।
- कृषकों से मत्स्यन संबंधी जानकारी का अभाव होना तथा मत्स्यन हेतु पर्याप्त भूमि का न होना।
- मत्स्यन के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु सरकारी प्रयासों की कमी का होना तथा इस क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान न देना।

यद्यपि इस क्षेत्र में पर्याप्त समस्याएँ मौजूद हैं, किंतु इनका निराकरण किये जाने के पश्चात् यह क्षेत्र व्यापक लाभ प्रदाता साबित हो सकता है। इसके लिये निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं-

- मत्स्यन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये एवं इस क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

- साथ ही मत्स्य उत्पादन को तकनीकी की मदद से बढ़ाया जाना चाहिये। मत्स्यन के साथ-साथ अन्य जलीय जीवों एवं जलीय वनस्पतियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- अवसंरचनात्मक विकास, जैसे कि पर्याप्त परिवहन सुविधा, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण सुविधा तथा बाज़ार का विविधीकरण किया जाना चाहिये।
- मत्स्यन से उत्पन्न उपउत्पादों का उचित लाभ लेने हेतु पर्याप्त प्रौद्योगिकी का विकास करना।
- अंतर्सरकारी सहयोग को बढ़ावा देना तथा मत्स्यन हेतु विशेष सरकारी प्रोत्साहन देना।
- कृषकों को संकर मत्स्य बीज एवं उत्तम मत्स्य आहर की सुविधा देना।
- एक व्यापक मत्स्यन नीति तथा इस क्षेत्र में बीमा जैसे प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिये।

मत्स्यन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार नीली क्रांति योजना का क्रियान्वयन कर रही है, राष्ट्रीय मत्स्यन डेवलपमेंट बोर्ड का गठन एवं मत्स्यन हेतु एक फंड भी बनाया गया है, साथ ही मत्स्यन में केसीसी (KCC) देने का भी प्रावधान किया है। इन सभी प्रयासों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करके एवं इस क्षेत्र को पर्याप्त महत्त्व देकर इसे लाभ का सौदा बनाया जा सकता है।

प्र. 16. भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्त्व है? औद्योगिक गलियारों को चिह्नित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइये।

उत्तर: एक औद्योगिक गलियारा किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में आवंटित या चिह्नित की गई बुनियादी अवसंरचनाओं का एक संकुल होता है जिसे उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास में तेज़ी लाने और वैज्ञानिक रूप से नियोजित शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में एकीकृत औद्योगिक गलियारों के विकास की रणनीति अपनाई है। वर्तमान में देश में 5 औद्योगिक गलियारों के विकास की योजना बनाई गई है जो निम्नवत हैं-

- दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)
- चेन्नई–बंगलूरू औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी)
- बंगलूरू–मुंबई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी)
- अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी)
- पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (ईसीईसी)

इन औद्योगिक एवं आर्थिक गलियारों की देश के समावेशी विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। इनके द्वारा नियोजित शहरीकरण, तीव्र औद्योगिक विकास, तीव्र आर्थिक विकास एवं अंततः देश का समग्र विकास हो सकेगा। इन पाँचों औद्योगिक गलियारों के प्रमुख अभिलक्षणों को हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं:-

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)

- यह भारत की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में से एक है।
- इसे भारत एवं जापान के संयुक्त प्रयास से पूरा किया जाएगा।
- गलियारा छः राज्यों से होकर गुज़रेगा।
- इसके पहले चरण में 7 औद्योगिक शहरों का विकास किया जाएगा।

चेन्नई-बंगलूरू औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी)

- यह गलियारा भी भारत-जापान के संयुक्त प्रयास द्वारा पूरा किया जाएगा।
- इस गलियारे का विस्तार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक तक है।

बंगलूरू-मुंबई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी)

- यह गलियारा भारत-यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त प्रयास से विकसित किया जा रहा है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी)

- इस गलियारे में अंतर्देशीय जल प्रणाली विकसित की जा रही है जिसमें इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 विकसित किया जाएगा।
- इसके माध्यम से उत्तरी और पूर्वी राज्यों में औद्योगिक विकास तीव्र होगा।

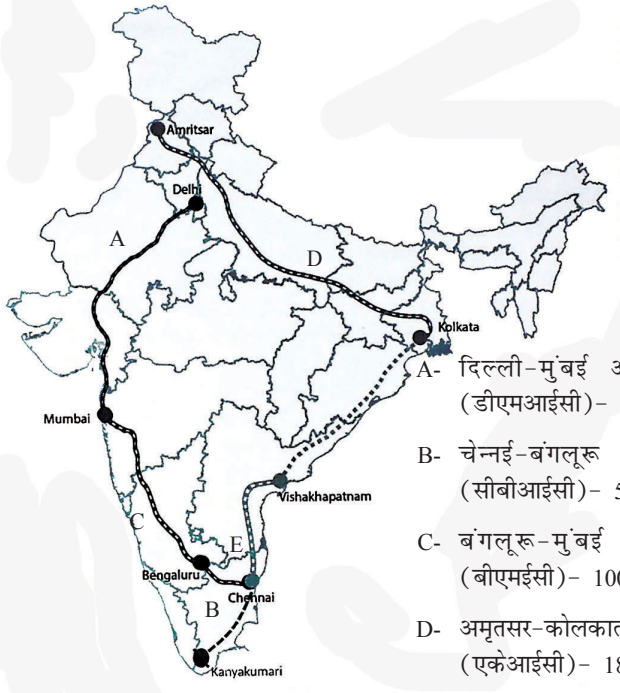

A- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)- 1504 किमी.

B- चेन्नई-बंगलूरू औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी)- 560 किमी.

C- बंगलूरू-मुंबई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी)- 1000 किमी.

D- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी)- 1839 किमी.

E- विजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (फेज-1 पूर्वीतट औद्योगिक गलियारा)- 800 किमी.

पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (ईसीईसी)

- यह गलियारा कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है।
- इसके फेज-1 में विजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारे को विकसित किया जाएगा।

प्र. 17. भारत में 'महत्त्वाकांक्षी ज़िलों के कायाकल्प' के लिये मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिये। इसकी सफलता के लिये अभिसरण सहयोग व प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: भारत सरकार ने देश के कुछ अत्यंत अविकसित ज़िलों के तीव्र तथा प्रभावी रूपांतरण के लिये ट्रांसफॉरमेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 115 ज़िलों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रोग्राम में केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण, केंद्रीय राज्यस्तरीय प्रभारी अधिकारी और ज़िलाधीशों के सहयोग और ज़िलों के मध्य प्रतिस्पर्धा को केंद्रीय महत्त्व दिया गया है।

यह कार्यक्रम अपनी क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने के लिये तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले लोगों की क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी ढाँचा इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र हैं। इसके तहत केंद्र व राज्य की योजनाओं का अभिसरण किया जाएगा तथा इनके सहयोग हेतु केंद्र एवं राज्य स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी एवं ज़िला कलेक्टर का सहयोग लिया जाएगा ताकि इन कार्यक्रमों (लक्ष्यों) को प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया जा सके।

इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न हितकारकों के साथ विचार-विमर्श के कई दौरों के बाद ज़िलों की प्रगति मापने के लिये 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को चुना गया है। राज्य को अपने ज़िलों में बेहतर ज़िले को चुनने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, बाद में प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद की भावना से दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करके देश में एक ज़िले को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया जाता है।

निष्कर्षत: सरकार द्वारा आरंभ किया गया यह प्रोग्राम निश्चित रूप से बेहतर शासन स्थापित करने का उपकरण सिद्ध हो सकता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से इन ज़िलों में संरचनात्मक एवं गुणात्मक बदलाव की आशा की जा सकती है। अब केंद्र से लेकर ज़िला स्तर का शासन तंत्र इन ज़िलों के व्यापक सुधार को महत्त्व देगा। यहाँ नीतियों के त्वरित क्रियान्वयन तथा उसमें कुशल निष्पादन को प्राथमिकता मिलेगी। इस प्रकार यह व्यवस्था प्रामाणिक शासन स्थापित करने में सहयोगी होगी और इससे जन अपेक्षाओं की सहज तथा तीव्र पूर्ति होगी।

प्र. 18. 'भारत में महिलाओं के आंदोलनों ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है।' अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिये।

उत्तर: भारत में महिला आंदोलन जनवादी आंदोलन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये महिला आंदोलन महिलाओं के स्वतंत्रता एवं समानता जैसे मूल्यों को लेकर आगे बढ़े। किंतु इन महिला आंदोलनों की एक सीमा यह बताई जाती है कि इन आंदोलनों ने सामाजिक संरचना में निचले स्तर की महिलाओं, जैसे– दलित, आदिवासी, मज़दूर तथा किसान महिलाओं की समस्याओं को महत्त्व नहीं दिया बल्कि उच्च वर्गीय महिलाओं की समस्या को ही केंद्र में रखा।

कथन के संदर्भ में यदि भारतीय महिला आंदोलन की सीमाओं पर विचार किया जाए तो कथन सत्य ही प्रतीत होता है। कथन की सत्यता का प्रमाण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- भारत में महिलावादी आंदोलन प्रारंभ में उच्च वर्गीय महिलाओं को ही ध्यान में रखकर चलाया गया। जिसका प्रमुख उदाहरण 1927 में गठित 'ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस' के कार्यों में देख सकते हैं जिन्होंने उच्च वर्गीय महिलाओं के हितों की वकालत बंद कमरों की सभाओं में की। इस कॉन्फ्रेंस ने हिंदू पर्सनल लॉ को बदलने की मांग तो उठाई मगर कभी अल्पसंख्यक, दलित एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं तक पहुँचने का प्रयास नहीं किया।
- इसी प्रकार भारतीय इतिहास, दर्शन तथा साहित्य में स्त्री विमर्श तो एक प्रमुख विषय के रूप में मिलता है, किंतु इस स्त्री विमर्श में दलित, अनुसूचित तथा गरीब महिलाओं से संबंधित समस्याओं को गंभीरता से नहीं उठाया गया है। यही कारण है कि नारीवाद की तीसरी लहर जो उत्तर आधुनिक प्रभाव में लैटिन अमेरिकी, एशियाई व अश्वेत नारियों के विषयों को उठाती है, किंतु भारतीय नारीवादी आंदोलन यहाँ भी पिछड़ गया तथा इस पर उच्च वर्गीय नारियों के प्रतिनिधित्व का आरोप लगता है।
- भारत में महिला आंदोलन निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के बहुआयामी शोषण, जो जाति, लिंग एवं वर्ग प्रेरित होता है, को उद्घाटित नहीं कर पाता।

उपर्युक्त आधारों पर प्रश्नोल्लिखित कथन प्रामाणिक प्रतीत होता है किंतु भारतीय महिलावादी आंदोलन का एक दूसरा पक्ष समाजवादी, गैर-ब्राह्मणवादी तथा क्रांतिकारी प्रवृत्ति का भी रहा है। इस पक्ष के अंतर्गत बिहार में 'नारी मुक्ति संघ' तथा 'नारी मुक्ति संघर्ष समिति' एवं दंडकारण्य में 'क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन' का गठन किया गया। इन संगठनों ने आदिवासी, गरीब, खेतिहर मज़दूर औरतों के सामंती शोषण एवं यौन शोषण के विरुद्ध इन पीड़ित व निम्नवर्गीय महिलाओं को लामबंद किया। किंतु इन सांगठनिक गतिविधियों को न तो अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व मिल सका और न ही इनका प्रचार हो पाया।

अत: भारतीय महिला आंदोलन को आज भी निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता बनी हुई है जिसमें ये आंदोलन पीड़ित नारियों की मुक्ति के लिये एक अगुआ दस्ते के रूप में खड़ा हो सके।

प्र. 19. 'आम तौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएँ सुदृढ़ हो गई हैं।' सुस्पष्ट कीजिये।

उत्तर: वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, संचार, आव्रजन तथा परिवहन के द्वारा अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृतियों का एकीकरण होता है। संक्षेप में कहें तो वैश्वीकरण भूमंडलीय अंतर्संबद्धता की एक प्रक्रिया है। अंतर्संबद्धता की इस प्रक्रिया में वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति

को भी प्रभावित किया है, किंतु भारत सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति खुला नज़रिया अपनाए हुए है जिससे यह सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होता रहा है।

वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इससे सभी संस्कृतियों का समांगीकरण हो जाएगा अर्थात् सांस्कृतिक विविधता समाप्त हो जाएगी तथा शक्तिशाली संस्कृति ही एकल संस्कृति के रूप में प्रकट होगी। माइकेल ग्रिफिन जैसे विचारक तो इस संदर्भ में अमेरिकी संस्कृति एवं जीवन शैली के आधिपत्य की संभावना व्यक्त करते हैं। खान-पान, वेशभूषा, पारिवारिक संरचना, मनोरंजन, अभिवादन आदि पर यदि गहन विचार करें तो एक सीमा तक यह संदेह सही भी प्रतीत होता है।

किंतु भारतीय संदर्भ में यह संदेह बहुत उपयुक्त नहीं है क्योंकि आज भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और 'विविधता में एकता' के अपने मूल उपागम पर ज़्यादा मज़बूती से अग्रसर हुआ है। भारतीय अध्यात्म, योग, अहिंसात्मक मूल्यों, त्योहारों, (होली, दीपावली, छठ पूजा, बुद्ध पूर्णिमा आदि) हस्तशिल्प, संगीत तथा आयुर्वेद आदि को राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सशक्त स्वीकृति मिली है। यह स्वीकृति वास्तव में भारतीय सांस्कृतिक विशिष्टताओं तथा जीवन-शैली की स्वीकृति है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता का भारतीय समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा भारतीय समाज में सांस्कृतिक विशिष्टताएँ वैश्वीकरण के बाद ज़्यादा सुदृढ़ हुई हैं। भारत में वैश्वीकरण के बाद सांस्कृतिक विशिष्टताओं की सुदृढ़ता के कुछ अन्य कारण भी रहे हैं-

- भारतीय चिंतन परंपरा की वैचारिक सहिष्णुता एवं स्वीकार्यता की प्रवृत्ति रही है जो 'एकं सद् विप्रा: बहुधा वदन्ति', 'वसुधैव कुटुम्बकम' तथा 'आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत:' जैसे सूत्र वाक्यों से व्यक्त होता है।
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों ने भी भारतीय समाज को परिपक्व किया है जिसकी अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में होती है, जहाँ अल्पसंख्यकों के 'संस्कृति एवं शिक्षा' संबंधी अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। जिससे वैश्वीकरण के दौर में भी इन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिल पाई है।
- भारत के विशिष्ट हस्तशिल्प तथा स्वदेशी परंपरागत ज्ञान प्रणाली विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ी रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने इन परंपरागत ज्ञान प्रणालियों को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाया है जिससे इन प्रणालियों से जुड़ी सांस्कृतिक विशिष्टताओं को भी महत्त्व मिला है।
- भारत का बड़ा तथा विविधतापूर्ण डायस्पोरा आज अपनी मूल सांस्कृतिक विरासत से जुड़ रहा है। इस दिशा में 'भारतीय प्रवासी दिवस' जैसे प्रयास भी हुए हैं। अपनी मूल संस्कृति से जुड़ने की प्रवृत्ति ने भी भारतीय समाज में सांस्कृतिक विशिष्टताओं को सुदृढ़ किया है। इसके अलावा ये डायस्पोरा जहाँ रहता है वहाँ भी भारत की विविधतामूलक संस्कृति को अभिव्यक्त करते हुए भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं को सुदृढ़ करता है।

अत: वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक समांगीकरण को प्रेरित अवश्य किया है किंतु भारतीय संदर्भ में भारतीय संस्कृति की स्वीकार्यतामूलक सोच तथा भारत के सामाजिक एवं आर्थिक कारकों ने वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में भारत में सभी संस्कृतियों को फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर दिया है तथा उनकी सांस्कृतिक विशिष्टताओं को सुदृढ़ किया है।

प्र. 20. 'सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचन के कारण उभरती है।' उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिये।

उत्तर: 'सांप्रदायिकता' एक ऐसी अभिवृत्ति है जिसके अंतर्गत एक संप्रदाय के अनुयायी अपने धार्मिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये स्वयं के समूह को अन्य संप्रदाय के समूह के विरुद्ध संगठित करते हैं। सांप्रदायिकता धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा धार्मिक अंधभक्ति के अलावा शक्ति संघर्ष की प्रक्रिया में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति तथा आपेक्षिक वंचन का भी परिणाम होती है। इसका प्रमुख उदाहरण भारत में हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिकता तथा हिंदू-सिक्ख सांप्रदायिकता के रूप में देखा जा सकता है।

'सांप्रदायिकता' में शक्ति संघर्ष का तत्त्व अंतर्निहित होता है। इसके अंतर्गत जब एक संप्रदाय या धर्म के लोगों के हितों का टकराव दूसरे धर्म या समुदाय के हितों से होता है तो उसकी पूर्ति हेतु भाषा, कर्म एवं आचरण में उग्र सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति होती है।

शक्ति संघर्ष की यह प्रक्रिया धर्म आधारित राजनीति, राजनीतिक संगठन, चुनाव प्रचार, स्वार्थ से प्रेरित राजनीतिक आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ती है। शक्ति संघर्ष की इस प्रक्रिया से विभिन्न समुदायों में अविश्वास, अफवाह तथा अराजक तत्त्वों की भूमिका बढ़ती है तथा सांप्रदायिकता मजबूत होती है। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रज़ों की 'बाँटो और राज करो' की नीति तथा देश की आज़ादी के समय राजनीतिक नेतृत्व की शक्ति की महत्त्वाकांक्षा ने भी अंतत: देश का विभाजन करवा दिया जो कहीं न कहीं शक्ति के संघर्ष से उपजी 'सांप्रदायिकता' का ही परिणाम था। आज़ादी के पश्चात् हुए सांप्रदायिक दंगों में भी ऐसे 'शक्ति संघर्षों' की आसानी से पहचान की जा सकती है जहाँ वोट बैंक की राजनीति सुरक्षा का भय दिखाकर स्वयं को पोषित करती है।

ध्यातव्य है कि 'सांप्रदायिकता' के मूल में धर्म को ही प्रमुख कारक के रूप में देखा जाता है किंतु 'आपेक्षिक वंचन' की भी भूमिका इस संदर्भ में निर्णायक रही है। 'आपेक्षिक वंचन' से सामाजिक तनाव व सामाजिक असमानता बढ़ती है क्योंकि आपेक्षिक वंचन से जहाँ एक तरफ एक बड़ा तबका संपन्न समुदायों (वर्ग) को देखकर कुंठा एवं ईर्ष्या महसूस करता है तो वहीं दूसरी तरफ वंचन से व्युत्पन्न असमानता विभिन्न समुदायों एवं धर्मों के बीच संवाद तथा सहभागिता को सीमित कर देती है। इस सामाजिक संवाद के अंतराल का अंतिम परिणाम आपसी अविश्वास होता है जिसकी परिणति 'सांप्रदायिकता' के रूप में होती है। ऐसी सांप्रदायिकता को मुंबई जैसे शहरों में आसानी से देखा जा सकता है जहाँ बड़ी संख्या में धार्मिक समूहों के मज़दूरों का विस्थापन होता है जो आपेक्षिक वंचन के शिकार होते हैं।

अत: 'सांप्रदायिकता' एक ऐसी उग्र विचारधारा है, जिसके बीज धर्म के अलावा अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों में छिपे रहते हैं जिनका समाधान संतुलित विकास एवं संवाद प्रक्रिया में खोजा जा सकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

प्र. 1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं?

उत्तर: भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें संघीय व राज्य सरकारों का गठन पूर्ण रूप से लोकसभा व विधानसभा के चुनावों के आधार पर होता है, अत: चुनाव हमारे देश में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है जिसमें कि वर्ष 1999 के लोकसभा चुनावों से मतदान के लिये ई.वी.एम. का प्रयोग किया जाता रहा है तथा वर्तमान में भारत में लगभग सभी चुनाव ई.वी.एम. के माध्यम से ही संचालित कराए जाते रहे हैं।

ई.वी.एम. की कार्यप्रणाली भारत में लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है परंतु वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पश्चात् ई.वी.एम. को हैक कर चुनाव परिणाम प्रभावित करने के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जाने लगे तथा निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी इस दौर में गंभीर प्रश्न उठे। अप्रैल 2017 में मध्य प्रदेश के भिंड में उपचुनाव के समय, नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के मेरठ उपचुनाव के समय तथा दिसंबर 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के समय ई.वी.एम. की गड़बड़ी के मामले सामने आए।

ई.वी.एम. संबंधी इन विवादों के पश्चात् आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपनी निष्पक्षता सिद्ध करने की है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को और विश्वसनीय बनाए जाने के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। हालाँकि, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है परंतु इसकी तकनीकी समस्याएँ दूर करना तथा वीवीपैट युक्त मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी आवश्यक है। भारतीय निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है परंतु हाल ही में बोत्सवाना के चुनावों में भारत से ई.वी.एम. मंगाए जाने पर वहाँ की विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद अपनी व भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना भी आयोग के समक्ष बड़ी चुनौती है।

प्र. 2. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये।

उत्तर: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन नहीं करा सकता है। वस्तुत: भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 15(5) के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रकार का संवैधानिक आरक्षण देने से छूट मिली हुई है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपेक्षा जताई थी कि वह अपने संस्थान में अनुसूचित जातियों के एडमिशन के लिये आरक्षण की व्यवस्था करे। यह मुद्दा तब प्रकाश में आया था जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया (दिल्ली) में दलितों के लिये 'कोटा' देने की बात उठाई थी।

ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था कराने का अधिकार रखता है। इसी कारण आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, से अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था करने की अपेक्षा की है।

प्र. 3. किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू करने तक इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं?

उत्तर: भारतीय संविधान के भाग-18 में वर्णित अनुच्छेद-360 के तहत यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का समाधान हो जाए जिसमें कि भारत की अथवा भारतीय क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता पर संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। वर्ष 1975 में 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसी उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर रखा गया, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया।

ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने के प्रभावस्वरूप संघ वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद राज्यों में कार्य कर रहे किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के वेतन व भत्तों में कटौती तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वित्त विधेयकों व धन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिये आरक्षित रखने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को संघ के लिये कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कटौती का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। ये कटौतियाँ 100% तक हो सकती हैं। हालाँकि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति वेतन कटौती के दायरे से बाहर हैं।

समग्रत: वित्तीय आपात की अवधि में संघ राज्यों पर पूर्ण वित्तीय नियंत्रण स्थापित कर लेता है। हालाँकि अभी तक भारत में वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं हुई है। 1990-91 में देश के सम्मुख भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था परंतु वित्तीय आपातकाल लागू करने की स्थिति नहीं बनी।

प्र. 4. आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिये उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका का विवेचन कीजिये।

उत्तर: संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है और यह लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के निर्देशानुसार कार्य करते हुए अपना प्रतिवेदन सदन को सौंपती है।

संसद इतनी भारी-भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए सभी विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती। संसद के कार्य अत्यधिक विविधतापूर्ण, जटिल तथा वृहद् हैं। साथ ही, संसद के पास पर्याप्त समय तथा आवश्यक विशेषज्ञता की भी कमी होती है जिसके कारण समस्त विधायी उपायों तथा अन्य मामलों

की गहन छानबीन संभव नहीं हो पाती है। यही कारण है कि अनेक समितियाँ संसद को इसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसी वर्गीकरण में वित्तीय समितियों के अंतर्गत प्राक्कलन समिति का नाम आता है।

प्राक्कलन समिति लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनती है। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों (Estimates) की जाँच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिये सुझाव देना है। इसीलिये इसे 'सतत् किफायत समिति' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समिति वर्ष भर काम करती है और अपनी रिपोर्ट समय-समय पर सदन के समक्ष रखती जाती है। उसके सुझावों का असली लाभ यह है कि सरकार संसद से आगामी वर्ष के बजट में बढ़ा-चढ़ाकर राशि की मांग नहीं कर पाती।

प्र. 5. "नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।" व्याख्या कीजिये कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है।

उत्तर: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद-148 के तहत एक संवैधानिक पद है। यह लोक वित्त का मुख्य संरक्षक होने के साथ ही देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। सी.ए.जी. के भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्त्व को देखते हुए, संविधान में उसकी नियुक्ति, कार्यकाल, कर्त्तव्य और शक्तियाँ तथा सेवा शर्तों के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं।

कर्त्तव्य और शक्तियाँ

- वह प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले संघ-शासित प्रदेश की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।
- वह संघ और राज्य के आकस्मिक लेखा और राज्य के लोक लेखा से हुए व्यय की संपरीक्षा करता है।
- वह केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित निकायों एवं सभी सरकारी कंपनियों व निगमों की प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षण करता है।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा परीक्षण करता है।

सी.ए.जी. के पद के महत्त्व को देखते हुए उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये संविधान में निम्नलिखित उपबंध किये गए हैं-

- उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण नहीं करता है।
- वह 6 वर्षों या 65 वर्ष की आयु तक के लिये नियुक्त किया जाता है।
- उसे संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के ज़रिये ही हटाया जा सकता है।
- नियुक्ति के पश्चात् उसका वेतन, पेंशन और सेवा की शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- वह पद छोड़ने के पश्चात् केंद्र अथवा राज्य के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता।

उपर्युक्त प्रावधानों के द्वारा संविधान ने उसकी स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया है।

प्र. 6. ''विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के 'संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम' अपर्याप्त रही है।'' सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम सरकार के किसी एक स्तर पर संभव नहीं है। इसके लिये केंद्र एवं राज्य, सरकार के विभिन्न अंग, विभिन्न धार्मिक समुदाय तथा उत्तरदायी निजी क्षेत्रों के बीच नीतिगत उद्देश्यों में स्पष्टता और सामंजस्य होना अनिवार्य है। हालाँकि, भारत में पर्यावरण के निम्नीकरण का मुख्य कारण सरकार के कई स्तरों पर विवादित या अस्पष्ट नीति उद्देश्य का होना है जिसके परिणामस्वरूप विरोधाभाषी प्रबंधन निर्णय होते हैं। इसे निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से समझा जा सकता है-

- हाल ही में केरल में आई त्रासदी पश्चिमी घाट में पर्यावरण निम्नीकरण का ही परिणाम है। पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को निर्वनीकरण और प्रदूषणकारी क्रियाकलाप के लिये 'नो गो' ज़ोन बनाने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव राज्यों की त्वरित कार्यवाही के अभाव में अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में फर्नेस ऑयल तथा पेट्रोलियम-कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। जबकि वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 राज्य बोर्ड को किसी भी ईंधन को 'अनुमोदित ईंधन' घोषित करने का अधिकार देता है।
- यमुना फ्लड प्लेन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को धार्मिक आयोजन की अनुमति देना नीतिगत विरोधाभास का प्रमुख उदाहरण है।

उपर्युक्त के अलावा कुंभ मेले के परिणामस्वरूप जल की कमी, एनजीटी के दिशा-निर्देश के बावजूद यमुना में मूर्ति विसर्जन आदि कई उदाहरण हैं। अत: सभी प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों को पर्यावरण संरक्षण के मामले में स्पष्ट नीति-निर्माण एवं आपसी तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है।

प्र. 7. भारत में सभी के लिये स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिये समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। व्याख्या कीजिये।

उत्तर: भारत में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' आज भी एक चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती को नियंत्रित करने के लिये निस्संदेह समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप बहुत मायने रखता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में गरीबी का जीवन जी रहे एक बड़े वर्ग को प्राय: स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अत: इस मध्यक्षेप को महत्त्व देते हुए और गरीबों की स्वास्थ्य समस्याओं को समाप्त करने के लिये सरकार ने कई प्रयास किये हैं, जैसे 'आयुष्मान भारत' कार्यक्रम का क्रियान्वयन; प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन; दिल्ली सरकार द्वारा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक का संचालन; केंद्र सरकार द्वारा जन औषधि केंद्रों की व्यवस्था करना आदि।

ये सभी प्रयास अपने-अपने स्तर पर स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल को मज़बूत करने के उद्देश्य से महत्त्व रखते हैं:

आयुष्मान भारत

- आवश्यक दवाएँ और नैदानिक सेवाएँ मुफ्त में उपलब्ध।
- मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर बल
- 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना।

- प्राथमिक स्तर से लेकर तृतीयक स्तर तक दवाओं की उपलब्धता।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

- 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ।
- सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में नकदी रहित और पेपरलेस योजना।
- गरीब और कमज़ोर वर्गों पर इलाज के दौरान पड़ने वाले वित्तीय बोझ में कमी।

आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक

प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय सुविधाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना।

जन औषधि केंद्र

- वहनीय मूल्य पर गरीबों और अन्य वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना।

निष्कर्षत: उपरोक्त प्रयासों के कुशल कार्यान्वयन से सभी के लिये स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति और सहज हो सकेगी।

प्र. 8. ई-शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के 'उपयोग मूल्य' के क्रांतिक महत्त्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: 'ई-गवर्नेंस', इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से गवर्नेंस की व्यवस्था है। ई-गवर्नेंस निश्चित रूप से नवीन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग पर आधारित है, किंतु इसका महत्त्व लोगों को शासकीय सेवाएँ और सूचनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराकर तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा प्रशासनिक कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने से है।

आईसीटी, आँकड़ों के सक्षम भंडारण और प्राप्ति, सूचना के तत्काल पारेषण, तीव्र गति से सूचना और आँकड़ों के प्रसंस्करण के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं को न्यायसंगत, तीव्र और पारदर्शी बनाता है। ई-शासन में विभिन्न हितधारकों; जी2जी, जी2सी, जी2बी और जी2ई के बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि कर क्षमता, कार्य-निष्पादन और उत्पादन को बढ़ाया जाता है। ई-गवर्नेंस में सूचना के उपयोग मूल्य को सरकारी कार्यकरण की प्रक्रियाओं में आईसीटी के निम्नलिखित अनुप्रयोग से समझा जा सकता है-

- सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच के विस्तार के साथ तीव्रतम और अधिक सक्षम सुपुर्दगी।
- सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
- सरकारी विभागों की आंतरिक क्षमता में सुधार।
- प्रशासन के उत्पाद और सेवाओं के चयन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना।
- नि:सहाय और हाशिये पर बैठे लोगों को शासन की परिधि में शामिल करना।
- शिकायत तंत्र को मज़बूत कर लोगों के संतुष्टि स्तर को बढ़ाना।

ई-शासन सूचना का तीव्र गति से आदान-प्रदान कर इसके उपयोग मूल्य में वृद्धि करता है और गुड गवर्नेंस को साकार करने का प्रयास करता है।

प्र. 9. "भारत के इज़राइल के साथ संबंधों ने हाल में एक ऐसी गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।" विवेचना कीजिये।

उत्तर: भारत-इज़राइल संबंध सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ते हुए संबंध हैं और भारत की 'प्रैगमैटिव नीति' के परिणामस्वरूप तथा साझे राष्ट्रीय हितों के कारण दोनों देशों के संबंधों ने गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है। यही कारण है कि कुछ विद्वान दोनों देशों को 'प्राकृतिक मित्र' की संज्ञा देते हैं।

वस्तुत: भारत के इज़राइल के साथ संबंधों की गहराई एवं विविधता को सामरिक, तकनीकी, आर्थिक, रक्षा सहयोग इत्यादि संदर्भों में देख सकते हैं-

- रूस एवं अमेरिका के बाद इज़राइल भारत के लिये रक्षा सामग्री की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत-इज़राइल के मध्य सीमा सुरक्षा प्रबंध की तकनीकी और आतंकवाद का सामना करने की साझा रणनीति पर विशेष सहयोग हो रहा है। दोनों देशों के बीच आसूचना पर भी सहयोग हो रहा है। आतंकवाद की समस्या हेतु दोनों देशों के मध्य एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना हुई, जिसके द्वारा दोनों देशों के मध्य प्रशिक्षण, सूचना और हथियारों के आदान-प्रदान में भी सहयोग किया जा रहा है।
- भारत-इज़राइल के मध्य रक्षा संबंध केवल क्रेता-विक्रेता तक सीमित न होकर हथियारों का साझा उत्पादन, जैसे- बराक प्रक्षेपास्त्र और 'द्रोण' जैसी संवेदनशील तकनीक भी इज़राइल भारत को दे रहा है। सायबर सुरक्षा में भी दोनों के मध्य सहयोग हो रहा है।
- कूटनयिक संबंधों के बाद आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है। भारत का उभरता हुआ बाज़ार इज़राइल के लिये एक अवसर है, जबकि भारत को इज़राइल से बेहतर तकनीक प्राप्त हो सकती है और निवेश की भी संभावना है। दोनों ने एक-दूसरे को सर्वाधिक वरीय राष्ट्र का दर्जा दिया है।
- इज़राइल विकसित एवं तकनीकी राष्ट्र होने के कारण दोनों देशों के मध्य कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, संचार क्षेत्र में भी सहयोग देखा जा सकता है। इसके अलावा, संबंधों की गहराई एवं विविधता को दोनों के बीच नागरिकों के आदान-प्रदान अर्थात् पर्यटन के रूप में देख सकते हैं।

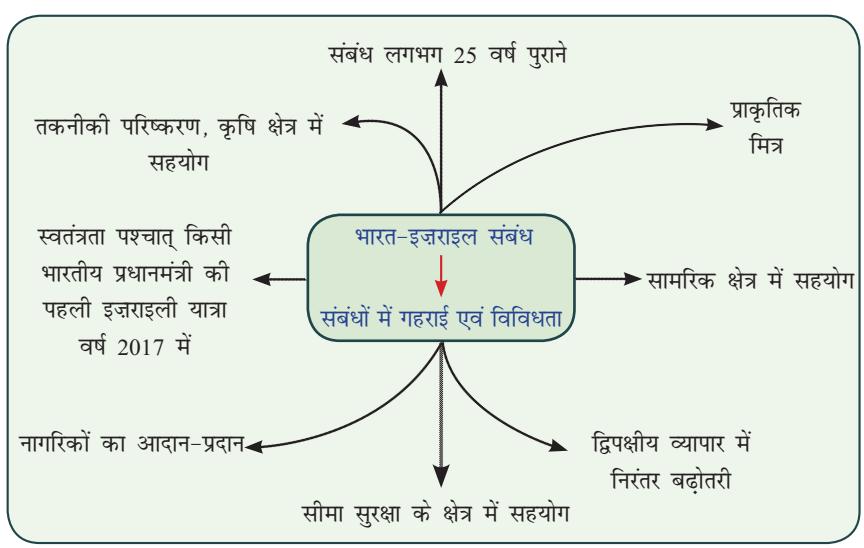

निष्कर्षतः इज़राइल कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है और स्वतंत्रता पश्चात् वर्ष 2017 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार इज़राइल की यात्रा की जो संबंधों की गहराई और विविधता को दर्शाता है। आलोचकों का मत है कि भारत-इज़राइल संबंध फिलिस्तीन के विरुद्ध होने के साथ ही पश्चिम एशिया में भारत के हितों के प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन भारत-इज़राइल संबंधों को फिलिस्तीन के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिये और भारत द्वारा फिलिस्तीन एवं पश्चिम एशियाई देशों के साथ मधुर, मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास पर समानांतर बल दिया जा रहा है जिससे पश्चिम एशिया में भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा किया जा सके।

प्र. 10. मध्य एशिया, जो भारत के लिये एक हित क्षेत्र है, में अनेक बाह्य शक्तियों ने अपने-आप को संस्थापित कर लिया है। इस संदर्भ में, भारत द्वारा अश्गाबात करार, 2018 में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।

उत्तर: भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और महाशक्ति होने के कारण भारत के राष्ट्रीय हित व्यापक हैं। इस कारण यह स्वाभाविक है कि मध्य एशिया भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण हित क्षेत्र है।

उल्लेखनीय है कि मध्य एशिया भारत के लिये हित क्षेत्र होने के कारण 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति के तहत मध्य एशियाई देशों के साथ संचार व परिवहन की कनेक्टिविटी पर बल दिया गया है। इन देशों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके अलावा मध्य एशियाई देश भारतीय वस्तुओं के निर्यात के नए केंद्र बन सकते हैं। साथ ही, मध्य एशिया के देशों में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जिसे संतुलित करने के लिये इन देशों से संबंध बेहतर होने आवश्यक हैं। मध्य एशियाई देश सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

मध्य एशिया में अनेक बाह्य शक्तियों, जैसे चीन और रूस ने स्वयं को संस्थापित कर लिया है। मध्य एशिया में बढ़ती कट्टरवादी विचारधारा से रूस की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है और महाशक्ति होने के कारण रूस के द्वारा इस क्षेत्र पर सदैव अपना प्रभाव बनाया गया है। दूसरी ओर चीन मध्य एशियाई देशों में अपनी गहरी पैठ बना चुका है। वर्तमान में चीन और मध्य एशियाई देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन डॉलर होने के साथ ही सिल्क मार्ग के द्वारा चीन समूचे क्षेत्र का प्रभावी विकास कर रहा है।

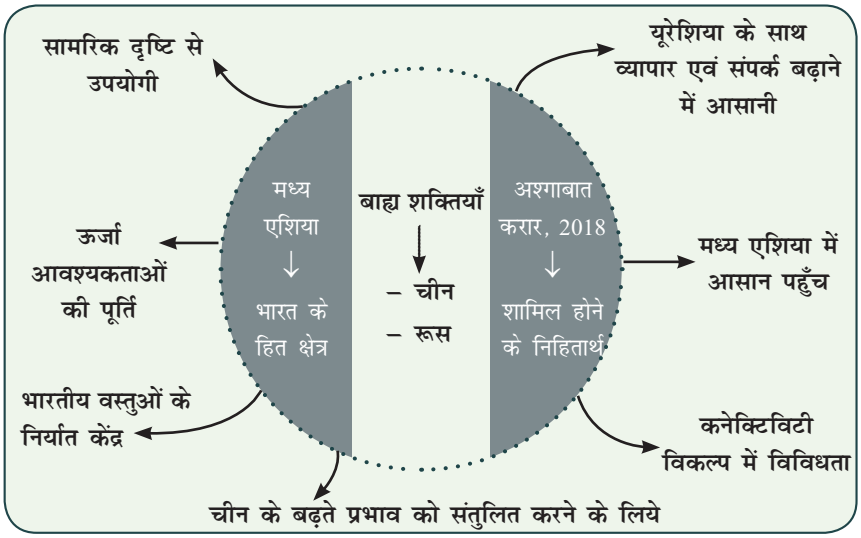

उल्लेखनीय है कि अश्गाबात समझौता मध्य एशिया एवं फारस की खाड़ी के बीच वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारा है। इस समझौते में शामिल होने के निम्नलिखित निहितार्थ हैं-

- समझौते में शामिल होने से भारत को यूरेशिया क्षेत्र के साथ व्यापार एवं व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने में आसानी होगी। भारत लंबे समय से यूरोप और मध्य एशिया तक अपनी पहुँच बनाने के लिये सुगम, सस्ते तथा छोटे रास्ते खोजने में लगा था, जिसकी सुनिश्चितता की जा सकेगी।
- इससे भारत को ईरान के रास्ते से होकर मध्य एशिया में पहुँचने की राह मिल गई है। मध्य एशिया के देश भौगोलिक रूप से भारत के अधिक निकट होने के बावजूद भी बेहतर कनेक्टिविटी व संचार के अभाव में भारत की इन देशों से संबंधों में प्रगाढ़ता व मुधरता नहीं बढ़ सकी, लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।
- भारत चाबहार से अफगानिस्तान तक जो रास्ता बना रहा है, वह अश्गाबात परिवहन एवं पारगमन गलियारे से भी जुड़ेगा। इस समझौते में प्रवेश से मध्य एशिया के साथ भारत के कनेक्टिविटी विकल्प में विविधता आएगी। अनुमान के मुताबिक इस मार्ग से भारतीय उत्पादों को मध्य एशिया में भेजना न सिर्फ 30 फीसदी सस्ता पड़ेगा बल्कि इसे 40 फीसदी कम समय में भेजा जा सकेगा।

निष्कर्षतः इस समझौते में शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा के क्रियान्वयन की दिशा में भारत के प्रयासों को समन्वित करेगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत का व्यापार सीधे पूर्वी यूरोपीय देशों तक फैलाया जा सकता है तो वहीं अश्गाबात समझौता और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरी-दक्षिणी परिवहन का गठजोड़ चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' का एक हद तक सामना करके चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित कर सकता है।

प्र. 11. क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिये।

उत्तर: उच्चतम न्यायालय की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच चल रही खींचतान को दूर करने के लिये एक ऐतिहासिक निर्णय जुलाई 2018 में दिया गया। इसके अनुसार उपराज्यपाल भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था को छोड़कर सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र शक्ति नहीं है,

वह या तो मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिये बाध्य है या अगर किसी विषय को राष्ट्रपति के लिये प्रेषित करता है तो फिर राष्ट्रपति की राय मानने के लिये बाध्य है। साथ ही, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल सहयोगात्मक संघवाद के संचालन में भरोसा करे तथा जानबूझकर हर विषय को राष्ट्रपति के लिये आरक्षित न करे।

यद्यपि अपने इस निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल की शक्तियों को सीमित किया है किंतु इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि दिल्ली सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो गए। बस पहले से प्राप्त अधिकारों की पूर्ति में आ रही अड़चनों को दूर किया गया है।

हालाँकि, इस निर्णय के बाद भी ऐसा नहीं है कि विवाद अंतिम रूप से समाप्त हो गया है। निर्णय के ठीक बाद की घटना ने इसे सिद्ध भी कर दिया जब सेवाओं पर नियंत्रण के मामले में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच विवाद हो गया। ऐसे कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन्हें लेकर आगे गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है।

वास्तव में असली समस्या संविधान की व्याख्या की नहीं बल्कि अपने पक्ष में संविधान की व्याख्या की है। जब राजनीतिक हित अन्य सभी राष्ट्रीय हितों पर हावी हो जाते हैं तो ऐसे गतिरोध उभरकर आते हैं। इन सीमाओं से मुक्त होकर ही संघीय व्यवस्था संचालित हो सकती है।

प्र. 12. आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिये।

उत्तर: अधिकरण भारतीय न्याय व्यवस्था के स्तंभों में से एक है। मूल संविधान में इसके संबंध में उपबंध नहीं है, किंतु 42वें संशोधन अधिनियम से अनुच्छेद 323 क तथा अनुच्छेद 323 ख को जोड़कर अधिकरण की व्यवस्था की गई। ऐसा पूर्वाग्रह रहा है कि सामान्य कानून के तहत अधिकरण की संवैधानिकता अक्सर विवादित रही है। ऐसी कई व्यवस्थाएँ हैं जिनमें अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करती मालूम होती हैं। परन्तु समय के साथ सामान्य न्यायालय के पूरक के रूप में अधिकरण के महत्त्व को स्वीकार किया जा रहा है।

संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 323 क, प्रशासनिक अधिकरण तथा अनुच्छेद 323 ख अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। संविधान, संसद तथा राज्य विधायिका को अधिनियम द्वारा विभिन्न सेवाओं और मामलों से संबंधित मामलों में न्याय के लिये अधिकरण बनाने का अधिकार देता है। अधिकरण, अधिनियम के क्षेत्र में आने वाले विवादों पर निर्णय देने का काम करते हैं। मूल रूप से की गई व्यवस्था के अनुसार किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील केवल उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है। परन्तु चंद्रकुमार वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिकरणों के विनिश्चय उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन होंगे।

सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करने के संदर्भ को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है-

- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत गठित अंतर्राज्यीय जल अधिकरण द्वारा दिये गए निर्णय अंतिम और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे होंगे।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण के गठन के बाद हाईकोर्ट में पर्यावरण से संबंधित मामले अब इस अधिकरण द्वारा संपादित किये जाएंगे।
- दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की शक्ति में वृद्धि की गई है जो एनपीए के त्वरित समाधान के लिये सामान्य न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकती है।
- सैन्य अधिकरण उच्च न्यायालय की अधिकारिता एवं अधीक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं।

अधिकरणों के गठन की व्यवस्था न्यायालय से अतिरिक्त भार को हटाने के उद्देश्य से की गई। हालाँकि उपर्युक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि कई मामलों में अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं। सरकार को चाहिये कि वह अधिकरण को सामान्य न्यायालय के पूरक के रूप में स्थापित करे न कि न्यायालयों की अधिकारिता को कम करने के एक उपकरण के रूप में।

प्र. 13. भारत एवं यू.एस.ए. दो विशाल लोकतंत्र हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिये जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं?

उत्तर: भारत जहाँ विश्व का सबसे बड़ा, वहीं अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। इन दोनों ही राष्ट्रों ने उपनिवेशवादी ताकतों से लड़कर अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की तथा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व जैसे सिद्धांतों के प्रसार पर बल दिया। यद्यपि दोनों ही देश एक-दूसरे से भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप से कई स्तरों पर अलग हैं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधारभूत सिद्धांत व्यापक समानताएँ परिलक्षित करते हैं। हालाँकि, दोनों देशों की राजनीतिक प्रणालियों में कुछ भिन्नताएँ भी हैं।

भारत व अमेरिका दोनों सैद्धांतिक रूप से एक सशक्त व स्थिर संविधान में वर्णित प्रावधानों की परिसीमा में व्यवस्था के सभी अंगों का संचालन व प्रबंधन करते हैं। भारत व अमेरिका के संविधानों की प्रस्तावना 'वी द पीपल' से प्रारंभ होती है जिसका अर्थ है कि संप्रभुता राष्ट्र की जनता में निहित है। भारत एवं अमेरिका दोनों ही देशों ने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किये हैं।

गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संप्रभुता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, संघीयता आदि भारत और अमेरिका के राजनीतिक तंत्र के प्रमुख सिद्धांत हैं। हालाँकि, भारतीय शासन प्रणाली का झुकाव एकात्मकता की और अधिक है किंतु उसके अपने ऐतिहासिक कारण हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था की तुलना में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि सिद्धांत के स्तर पर दोनों ही देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ समान दिखाई पड़ती हैं तथा दोनों ही व्यवस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य अपने नागरिकों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है।

प्र. 14. भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषम (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर: भारतीय संविधान में अनुच्छेद-280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पाँचवे वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले, संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण तथा राज्यों के बीच उनके आवंटन की सिफारिशें करने के लिये किया जाता है।

वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने 'वित्त आयोग (विविध उपबंध) अधिनियम, 1951' पारित करके आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है।

हाल में एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है जो 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 (5 वर्ष) तक के लिये अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय (टर्म ऑफ रेफरेंस) निम्नलिखित हैं-

- संघ और राज्यों के बीच करों के ऊर्ध्वाधर बँटवारे को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत।
- राज्यों के बीच करों के क्षैतिज वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत।
- राज्यों को सहायता अनुदान तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को राज्यों की समेकित निधि से दिये जाने वाले पूरक अनुदान के सिद्धांत।
- राज्यों के लिये उनके निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन राशि का निर्धारण आदि।

15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय के अनुसार वित्त आयोग राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादन, जैसे- जी.एस.टी के प्रसार में किये गए प्रयास, जनसंख्या नियंत्रण, गैर उत्पादक खर्चों में कमी.... आदि के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, 15वाँ वित्त आयोग 1971 की जनगणना को आधार न बनाकर 2011 की जनगणना का प्रयोग निधियों के आवंटन की सिफारिश करने के लिये करेगा। अत: इसे लेकर कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में रोष है क्योंकि इससे उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा होगा। साथ ही इस बात का भी भय है कि 15वाँ वित्त आयोग ऊर्ध्वाधर आवंटन की राशि 42% से घटाकर कम न कर दे।

कुल मिलाकर, राज्यों के पास राजस्व संग्रह के साधन सीमित हैं अत: वे वित्तीय संसाधनों के लिये केंद्र सरकार पर अत्यधिक निर्भर हैं इसलिये 15वें वित्त आयोग को अपनी सिफारिशों में इनकी चिंताओं पर अवश्य गौर करना चाहिये।

प्र. 15. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती है?

उत्तर: स्थानीय शासन स्थान विशेष के लिये कार्य करता है। यह लोगों की स्वयं की शासन व्यवस्था है। इसके तहत स्थानीय लोग संविधान और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित नियमों एवं कानून के अनुरूप स्थानीय समस्याओं का निदान कर स्थानीय विकास करते हैं। पंचायत, नगर निगम, नगरपालिकाएँ आदि स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधन के तहत स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई।

स्थानीय लोगों द्वारा गठित होने के कारण पंचायतें स्थानीय शासन को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। पंचायतें स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा गाँव के लिये विकास-कार्यक्रमों का निर्माण करती हैं, साथ ही उनके समुचित क्रियान्वयन, निगरानी आदि का कार्य करती हैं। इस प्रकार आम जनसमुदाय निर्णय स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाता है। पंचायत के माध्यम से स्थानीय लोग स्थानीय मुद्दों के लिये स्वयं ही निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं और विवादों का निपटारा भी करते हैं। इस प्रकार वे अपने अधिकारों व हकों की सुरक्षा करते हैं। पंचायत प्रणाली एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ स्थानीय समुदाय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्थानीय समस्याओं पर विचार कर सभी के विकास को साकार रूप देने का प्रयास करता है।

स्थानीय शासन को तभी सफल बनाया जा सकता है जब किसी गाँव के प्रत्येक ग्रामीण की शासन में समान भागीदारी सुनिश्चित हो। यह तभी संभव है जब विकास परियोजनाओं का समुचित वित्तीयन हो। वित्त पंचायतों की मूलभूत समस्या रही है। सरकारी अनुदानों के अलावा पंचायतों के पास आय का कोई साधन नहीं है। स्थानीय शासन को सफल बनाने के लिये विकास के साथ-साथ आय के साधन तैयार करने होंगे। इसके लिये आय के अन्य स्रोतों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे-

- ग्रामीण हाट बाज़ार का निर्माण करना।
- मेलों का आयोजन।
- ग्रामीण शासकीय भूमि पर बागवानी।
- स्थानीय तीर्थ स्थानों पर कर लगाना।
- गाँवों में सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराया जाना।
- गाँवों में उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाओं, जैसे सिंचाई के लिये पानी की अपूर्ति, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था आदि पर शुल्क।

उपर्युक्त स्रोतों से पंचायतें अपनी खुद की आय का सृजन कर विकास परियोजनाओं का वित्तीयन कर सकती हैं।

प्र. 16. समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

उत्तर: भारत में कमज़ोर वर्गों के लिये निस्संदेह रूप से कई आयोग कार्यरत हैं। इनमें से कुछ संवैधानिक उपबंध द्वारा गठित हैं तो कुछ सांविधिक स्वरूप लिये हुए हैं। दरअसल, भारत में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये क्रमश: राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग,

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपने-अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। साथ-साथ इन कमजोर वर्गों के अतिरिक्त वृद्धजन, नि:शक्तजन और तृतीयलिंगी समुदायों के हितों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

इनके अलावा अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने की चर्चा हो रही है। ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि इन आयोगों के कार्यक्षेत्र में अतिव्यापता आ जाए या फिर इनके प्रकार्यों में भी दोहरापन जैसी समस्या प्रकट हो जाए।

अत: इन सभी कमज़ोर वर्गों के लिये पृथक् आयोगों के स्थान पर केवल मानव अधिकार आयोग को ही बनाए रखने का विकल्प सामने आता है। इस परिप्रेक्ष्य में, इस विकल्प के विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर ध्यान देने की आवश्यकता जान पड़ती है।

सकारात्मक पक्ष

- चूँकि, कमज़ोर वर्गों के मानवाधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न सभी संबद्ध आयोगों की कार्य-सूची में वरीयता क्रम में होता है अत: मानवाधिकार आयोग इस कार्य को सहजता से पूरा कर सकता है।
- अलग-अलग आयोगों के मध्य कार्य अतिव्याप्ता की समस्या का निपटारा किया जा सकता है।
- वृद्धजनों, नि:शक्तजनों या फिर तृतीयलिंगी समुदायों के समुचित विकास के लिये संभावित तौर पर पृथक् आयोगों की स्थापना की आवश्यकता नहीं रहेगी।

नकारात्मक पक्ष

- भारत में कार्यरत सभी आयोग संबद्ध वर्गों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। अत: इन सभी से जुड़े मामलों पर केवल मानवाधिकार आयोग में विचार करना इनके हितों की पूर्ति में व्यवधान ला सकता है।
- सभी कमज़ोर वर्गों की समस्याएँ, उनके उपचार और समाज में इन वर्गों की स्थिति भिन्न-भिन्न है। अत: मानवाधिकार आयोग के लिये इन सब पर एक साथ नियंत्रण पाना एक जटिल कार्य हो सकता है।
- वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सभी महत्त्वपूर्ण आयोगों, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि के प्रमुखों का प्रतिनिधित्व विद्यमान है। अत: ये सभी प्रमुख अपने-अपने आयोगों से जुड़े मानवाधिकार मुद्दों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाते रहते हैं।

इस प्रकार, एक व्यापक मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत सभी आयोगों का विलय करने से बेहतर विकल्प यह हो सकता है कि सभी संबद्ध आयोग अपने कार्यक्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित करें ताकि अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्या में कमी लाई जा सके। इसके साथ-साथ एक विकल्प यह भी अपनाया जा सकता है कि वृद्धजनों, नि:शक्तजनों और तृतीय लिंगी समुदायों के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यपरिधि में ही लाया जाए। अत: इनके लिये अलग से आयोग गठित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में इनके हितों के साथ कोई समझौता न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा।

प्र. 17. आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस, भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है?

उत्तर: प्रभावी मानव विकास के विविध पक्षों, जैसे पोषक तत्त्व युक्त खाद्य उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण में से पोषक तत्त्व युक्त खाद्य उपलब्धता का विशेष महत्त्व है। लेकिन जब भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 100वें पायदान पर रहता है तब यह संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि क्या खाद्य उपलब्धता में कमी ही भारत की इस स्थिति के लिये ज़िम्मेदार है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भूख पर नियंत्रण पाने के साथ-साथ अन्य पक्षों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

भारत में खाद्य उपलब्धता में कमी की बात की जाए तो केवल इसे ही भूख का मुख्य कारण मानना तर्कसंगत नहीं लगता है। वस्तुत: भारत सरकार ने गरीब जनता तक सुगम खाद्य उपलब्धता के लिये कई कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के ज़रिये कम मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति, मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये शिक्षा के साथ-साथ पोषणयुक्त आहार की व्यवस्था सरकार के ऐसे ही कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयास हैं। लेकिन कुछ स्तरों पर कमियाँ भी उजागर होती हैं जिससे ये प्रयास प्रभावी रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। ये कमियाँ हैं:

- उन्नत खाद्यान्न भंडारण की कमी
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्तर पर रिसाव (Leakage) की समस्या
- बचे हुए भोजन की बर्बादी

अत: इन कमियों को दूर करने की दिशा में नीतिगत प्रबंधन की आवश्यकता है। इसके लिये खाद्यान्न भंडार गृहों की क्षमता और उनके उन्नतीकरण को और बेहतर करना चाहिये। रिसाव की समस्या को दूर करने के लिये चुस्त मॉनिटरिंग तंत्र अपनाना ज़रूरी है। साथ ही पके हुए भोजन की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिये लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत भी है।

हालाँकि केवल भूख पर काबू पा लेना प्रभावी मानव विकास की दिशा की ओर पहला कदम ही माना जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता की पूर्ति से ही समग्र मानव विकास की ओर फोकस किया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010; सार्वभौमिक स्वास्थ्य को महत्त्व देते हुए 'आयुष्मान भारत' और 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' जैसे कार्यक्रमों का आरंभ किया है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ वातावरण के मद्देनज़र वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर त्वरित रोकथाम के उपाय भी किये जा रहे हैं।

इन सबके अलावा जीवन निर्वाह योग्य आय भी प्रभावी मानव विकास में योगदान देती है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना (MUDRA Scheme) आदि का क्रियान्वयन किया है। कुल मिलाकर, कहा जा सकता है कि भारत में प्रभावी मानव विकास नीतियों पर समुचित तौर पर फोकस अवश्य किया जा रहा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि भूख जैसे प्राथमिक मुद्दे को महत्त्व देते हुए इसके त्वरित और सक्षम निदान के प्रयास करने

चाहियें। साथ ही, अन्य पक्षों की बेहतर और सटीक व्यवस्था को भी लक्षित रखना चाहिये क्योंकि समग्र और प्रभावी मानव विकास में इन सभी की उपस्थिति आवश्यक है।

प्र. 18. नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परन्तु इसकी अपनी परिसीमाएँ हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिये तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिये उपायों का सुझाव दीजिये।

उत्तर: नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा व्यवस्थित दस्तावेज़ है जो किसी संगठन को नागरिक केंद्रित बनाता है। इसका उद्देश्य मुहैया कराई जा रही सेवाओं के संबंध में गैर-भेदभावपूर्ण वितरण, गुणवत्ता, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना है। नागरिक चार्टर सेवा प्रदाता एवं सेवा प्राप्त करने वालों को अधिकाधिक संतुष्ट कर स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करता है, परन्तु भारत में इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में कई बाधाएँ भी विद्यमान हैं।

नागरिक चार्टर की परिसीमाएँ

- संगठन में भ्रष्टाचार के कारण सेवाओं के मानदंडों, निष्पादन और निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव।
- सिविल सेवकों में सेवा दृष्टिकोण का अभाव।
- पारदर्शिता की कार्य-संस्कृति को विकसित करने में असफलता।
- प्रशासनिक कर्मियों में जनसंपर्क पक्ष का कमज़ोर होना।
- नागरिकों से संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिक चार्टर का निर्माण नहीं किया जा सका है।
- उच्चस्थ-अधीनस्थ संबंधों की दृढ़ता ने संगठनों में टीम भावना को कमज़ोर किया है।
- भारत जैसे देशों में उपभोक्ता जागरूकता या चेतना में कमियों से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता और बेहतर रूप प्रदान करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

- उपभोक्ताओं में नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार और जनसंपर्क के मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ाया जाना।
- सिविल सेवकों को शासक वर्ग की मानसिकता से बाहर निकालकर उन्हें जनसेवा उन्मुख बनाना।
- पदसोपानिक दृढ़ता को कमज़ोर कर टीम में कार्य संस्कृति को बढ़ाना।
- निजी क्षेत्र के निष्पादन मूल्यांकन अनुभव को भी उपयोग किया जाना चाहिये।
- विश्व भर के श्रेष्ठ अनुभवों से तुलनात्मक विश्लेषण कर बेहतर नागरिक चार्टर तैयार किया जाना चाहिये।
- नागरिक चार्टर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों को सिविल सेवा आचार संहिता में शामिल किया जाना चाहिये।
- संगठनों के निष्पादन मूल्यांकन में सेवा वर्गों की भागीदारी को यथासंभव महत्त्व दिया जाना चाहिये।

उपर्युक्त उपायों को अपनाकर नागरिक चार्टर को नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है और इसके उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकेगा। नागरिक घोषणा-पत्र विधेयक, 2011 इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

प्र. 19. यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) को ज़िन्दा बने रहना है तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए?

उत्तर: विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन करने के उद्देश्य से की गई थी। स्थापना के दो दशक से अधिक बीत जाने के बाद 'विश्व व्यापार संगठन' के समक्ष कई चुनौतियाँ उपस्थित हैं तथा यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इन चुनौतियों के प्रति संगठन की प्रतिक्रिया भविष्य में इसके अस्तित्व व प्रासंगिकता का निर्धारण करेगी।

विश्व व्यापार संगठन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में अमेरिका व चीन के मध्य छिड़े 'व्यापार युद्ध' की है। इस व्यापार युद्ध के निहितार्थों में अमेरिका जैसे देशों में संरक्षणवाद की ओर लौटने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। ज्ञातव्य है कि विश्व व्यापार संगठन का उदय ही वैश्वीकरण व व्यापारिक उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से हुआ था और यदि संरक्षणवाद की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में यह संगठन असफल रहता है तो उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा हो जाएगा। संगठन के संदर्भ में दूसरा सुधार का क्षेत्र इसकी कार्यप्रणाली में परिलक्षित होती अमीर देशों की पक्षधरता को कम कर सदस्यों के मध्य समानता सुनिश्चित करने का है। भारत, जो कि संगठन में विकासशील व अल्पविकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता है, संगठन के खाद्य सुरक्षा संबंधी विनियमों पर प्रश्न खड़े करता है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा सार्वजनिक भंडारण की ऊपरी सीमा तय कर दिये जाने का विरोध भारत व अन्य विकासशील देशों ने किया। 2013 के बाली सम्मेलन में 'पीस क्लॉज़' के माध्यम से इस मुद्दे का अंतरिम समाधान कर 2017 के ब्यूनस आयर्स सम्मेलन में स्थायी समाधान की बात की गई थी। हालाँकि, अमेरिका के विरोध के चलते कोई समाधान नहीं निकल सका अत: भारत व विकासशील देशों की समस्याओं का स्थायी हल निकालना भी विश्व व्यापार संगठन के लिये चुनौतीपूर्ण है।

समग्रत: वर्तमान परिदृश्य यदि संगठन के लिये चुनौतीपूर्ण है तो दूसरी ओर वर्तमान संकटों के निराकरण में प्रभावी भूमिका निभाकर एक वैश्विक नियामक की अपनी छवि सशक्त करने का अवसर भी संगठन के पास है।

प्र. 20. इस समय जारी अमेरिकी-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिये।

उत्तर: भारत के वर्तमान में अमेरिका एवं ईरान के साथ संबंध प्रगाढ़ एवं मधुर रहे हैं, जिसे हाल ही में भारत द्वारा ईरान में 'चाबहार पत्तन का निर्माण' तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के संदर्भ में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में भारत के अमेरिका के साथ संबंध किसी अन्य कालक्रम की अपेक्षा अत्यधिक ऊँचाई पर हैं जिसे 'लॉजिस्टिक सहयोग समझौता' एवं 'कॉमकासा' जैसे सामरिक एवं सुरक्षा संदर्भ में समझ सकते हैं। इस कारण अमेरिका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल हो सकता है।

वस्तुत: ईरान की परमाणु समस्या के समाधान के लिये संयुक्त सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य तथा एक अन्य महाशक्ति जर्मनी और ईरान के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, इन वार्ताओं को P–5+1 का नाम दिया गया जिसके द्वारा ईरान अपने यूरेनियम के संवर्द्धन के लिये आवश्यक सेन्ट्रीफ्यूब की दो-तिहाई कटौती करेगा तथा उसके सभी रिएक्टरों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करेगी जिसके बदले ईरान पर लागू सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा कर दी है तथा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध को कड़ा कर दिया है।

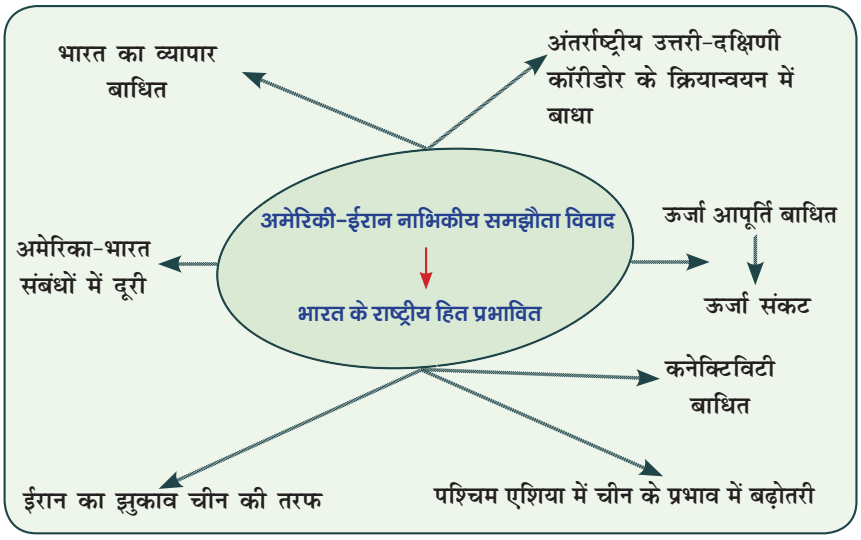

अमेरिका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित करेगा-

- भारत एक ऊर्जा आयातक देश है और अपनी अधिकतर ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति 'ईरान' से करता है, इस कारण ईरान का भारतीय विदेशनीति में विशेष महत्त्व है। प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप भारत में तेल कीमतें बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त, ईरान से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने पर ऊर्जा संकट की समस्या उत्पन्न होगी जो भारतीय आर्थिक गतिविधियों को मंद कर देगा।
- इस विवाद से ईरान-भारत की कनेक्टिविटी बाधित होगी। भारत द्वारा ईरान में निर्मित चाबहार बंदरगाह भारत के लिये 'कनेक्टिविटी' तथा 'सामरिक' दोनों रूप से महत्त्वपूर्ण है। चाबहार पत्तन के अवरोध होने से भारत का व्यापार बाधित होगा। पत्तन के माध्यम से भारत की अफगानिस्तान तक पहुँच सुनिश्चित होती है जिसमें बाधा उत्पन्न होगी, जबकि अफगानिस्तान-भारत संबंध अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के साथ ही भारतीय हितों के अनुकूल हैं।
- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से ईरान का झुकाव चीन की ओर बढ़ेगा और चीन का पश्चिम एशिया में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। चीन-ईरान और पाकिस्तान का गठबंधन भारतीय हितों के प्रतिकूल होगा। इसके अलावा, ईरान से विवाद उत्पन्न होने पर भारत के पश्चिम एशिया के अन्य देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं जिससे भारत की 'लिंक वेस्ट' नीति प्रभावित होगी जिसका भारतीय विदेशनीति में विशेष महत्त्व है।
- अमेरिका द्वारा ईरान पर आरोपित प्रतिबंध के बावजूद अगर भारत, ईरान से संबंध रखता है तो इससे भारत-अमेरिकी संबंध, जो वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, बाधित होंगे।

अत: अब यह सवाल उठता है कि भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिये? वस्तुत: भारत, ईरान से अपने सभ्यागत, सांस्कृतिक संबंधों को तोड़ नहीं सकता है, तो वहीं 'ऊर्जा की आपूर्ति का भारतीय विदेश नीति में विशेष महत्त्व है, जिसका ईरान के अलावा कोई प्रभावी विकल्प नज़र नहीं आता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अमेरिका के दबाव में भारत फैसला नहीं ले सकता है तथा महाशक्ति होने के कारण भारत के व्यापक राष्ट्रीय हित मौजूद हैं। अत: भारत को कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। जिससे दोनों देशों के साथ संबंध बेहतर बनाए जा सकें। इसके साथ ही भारत को इस संकट को एक मौके की तरह देखना चाहिये जिससे भविष्य में इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने की योजना बनाई जा सके। भारत को ईरान के साथ 'रूपए-रियाल व्यापार भुगतान तंत्र' पर तेज़ी से कार्य करना चाहिये। यह व्यवस्था दोनों देशों को वित्तीय लेन-देन की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही, भारत अमेरिका के साथ आगामी वार्ता में इस बात पर ज़ोर दे सकता है कि अफगानिस्तान तक पहुँच व उसका पुनर्निर्माण दोनों देशों का एक साझा उद्देश्य है तथा ईरान पर प्रतिबंध से चाबहार बंदरगाह का विकास प्रभावित होने के साथ ही अफगानिस्तान में विकास कार्यों पर असर पड़ेगा जो दक्षिण एशिया में अशांति उत्पन्न करेगा।

निष्कर्षत: अमेरिकी-ईरानी नाभिकीय समझौता विवाद में भारत की कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस प्रकार कूटनीतिक संबंध बनाए रखने में सफल हो पाता है या नहीं? तथा भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कूटनीतिक दिशा में प्रयास करना चाहिये जिससे दोनों देशों के साथ संबंध मधुर व प्रगाढ़ बन सकें।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

प्र. 1. "वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टैनेबल) विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: सतत् विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अगस्त 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG, 2000-2015) के स्थान पर 'सतत् विकास लक्ष्य' या 'एजेंडा 30' को स्वीकार किया गया है जिसमें 17 मुख्य लक्ष्यों तथा 169 सहायक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। उन्हीं में से एक (7वाँ) लक्ष्य है "सस्ती, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।"

ऊर्जा और इसकी उपलब्धता आज मानव सभ्यता के सामने आने वाली अधिकांश चुनौतियों और अवसरों को परिभाषित करती है। यह सर्वमान्य है कि आधुनिक ऊर्जा सेवाएँ मानव की भलाई के लिये आवश्यक है, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है तथा स्वच्छ जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य उपयोगी ऊर्जा सेवाओं को प्राप्त करने के लिये भी आवश्यक है। गरीबों की सस्ती, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को सक्षम बनाना है। वहनीय एवं विश्वसनीय तथा आधुनिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से गरीबों तक पहुँचाई जा सकती है। यह गरीब समुदायों को स्थानीय स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने के लिये सक्षम तो बनाता ही है, साथ ही संभावित राजस्व उत्पादन की अनुमति भी देता है।

भारत ने सतत् विकास लक्ष्यों के तहत वहनीय एवं धारणीय ऊर्जा को लोगों की पहुँच तक लाने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे- ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु नेशनल एनर्जी लेबलिंग प्रोग्राम, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबीटेट असेसमेंट (GRIHA) की शुरुआत की है; स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के लिये राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति बनाई है। साथ ही ऊर्जा संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़म, राष्ट्रीय विद्युत नीति आदि को प्रावधानित किया है। सतत् विकास लक्ष्य की पूर्ति हेतु भारत ने आईएनडीसी (INDC) लक्ष्य निर्धारित करते हुए 2030 तक अपनी सकल ऊर्जा ज़रूरत का लगभग एक-तिहाई हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है।

प्र. 2. केंद्रीय बजट, 2018-2019 में दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एल.सी.जी.टी.) तथा लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.) के संबंध में प्रारंभ किये गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में सूचीबद्ध शेयरों, इक्विटी फंडों तथा बिज़नेस ट्रस्टों की यूनिटों के हस्तांतरण से अर्जित ₹ एक लाख से अधिक के दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर 10 फीसद की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

गौरतलब है कि इसके पूर्व सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी फंडों तथा बिज़नेस ट्रस्टों की यूनिटों से प्राप्त होने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर किसी प्रकार का कर नहीं लगता था। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 2017-18 में फाइल किये गए इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार सूचीबद्ध शेयरों तथा यूनिटों पर पूंजीगत लाभ कर से मिलने वाली कुल छूट ₹3.67 लाख करोड़ पहुँच गई है, जिसका बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट तथा सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को प्राप्त हुआ है। ऐसे में, सरकार का मानना है कि पूंजी लाभ कर में दी जाने वाली छूट से यह संकेत जाता है कि सरकार विनिर्माण के खिलाफ है, इसलिये अतिरिक्त पूंजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बाज़ार में लगाओ। साथ ही, सरकार का मत है कि इक्विटी पर रिटर्न पहले ही काफी आकर्षक है और अगर कर लगा दिया जाए तो भी ये आकर्षण कम नहीं होगा। अत: दीर्घकालिक पूंजी लाभ को कर के दायरे में लाना युक्तिसंगत है।

दीर्घावधिक पूंजी लाभ पर कर के साथ ही 2018-19 के बजट में इक्विटी केंद्रित म्यूचुअल फंडों की वितरित आय पर भी 10 फीसद की दर से लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.) का प्रस्ताव किया गया है। सरकार द्वारा यह कदम सभी प्रकार के ग्रोथ (वृद्धि) वाले फंडों तथा लाभांश वितरित करने वाले फंडों के साथ एक समान व्यवहार का आधार तय करने के लिये उठाया गया है।

प्र. 3. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों को निम्न आय फंदे (Low Income Trap) से किस प्रकार बचाव करेगा?

उत्तर: न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाली फसलों की खरीद करती है, चाहे फसलों का मूल्य जो भी हो। देश में, खरीफ और रबी सबकी निश्चित कृषि फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा फसलों की बुआई के मौसम के आरंभ में की जाती है।

एमएसपी कृषकों को निम्न आय के फंदे से निम्न प्रकार से सुरक्षित करती है-

- यदि फसलों का अत्यधिक उत्पादन हुआ तो भी सरकार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय कर किसानों के हितों की रक्षा करती है।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग फसलों की एमएसपी की अनुशंसा में मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को ध्यान में रखता है। इससे किसानों की आय स्फीतिकारी प्रभावों से सुरक्षित रहती है।
- कृषि उत्पादों की कीमत में अस्थिरता के कारण बाज़ार-जोखिम उच्च-स्तर पर होता है। एमएसपी किसानों को इस जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

हालाँकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि एमएसपी का लाभ अधिकतर बड़े किसानों तक सीमित है। छोटे किसानों की एमएसपी के तहत फसल क्रय प्रक्रिया में भागीदारी बहुत सीमित है। साथ ही यह भी एक समस्या है कि प्रत्येक राज्य में फसलों की उत्पादन लागत में भिन्नता पाई जाती है जबकि एमएसपी की दर देश में एक-समान होती है। किसानों को एमएसपी के माध्यम से

कमज़ोर आय के फंदे से यदि बाहर निकालना है तो ज़रूरी है कि इसके अंतर्गत आने वाली फसलों की संख्या बढ़ाई जाए, छोटे किसानों को इसके दायरे में समेटा जाए और मूल्य निर्धारण में क्षेत्रीय भिन्नताओं का ध्यान रखा जाए।

प्र. 4. फलों, सब्ज़ियों और खाद्य पदार्थों के आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में सुपरबाज़ारों की भूमिका की जाँच कीजिये। वे बिचौलियों की संख्या को किस प्रकार खत्म कर देते है?

उत्तर: आपूर्ति शृंखला एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ताओं को उपभोक्ताओं से जोड़ा जाता है। आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपयुक्त वस्तुएँ कम लागत पर, सही स्थान एवं समय पर पहुँचे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आपूर्ति शृंखला प्रबंधन एक बड़ी समस्या रही है। हालाँकि बीते कुछ वर्षों से फलों, सब्ज़ियों और खाद्य पदार्थों के आपूर्ति शृंखला में सुपरबाज़ारों की बढ़ती भूमिका ने इस समस्या के समाधान का विकल्प प्रस्तुत किया है।

आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में सुपरबाज़ारों की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- सुपरबाज़ार खेत से लेकर उपभोक्ता तक एकीकृत कोल्ड चेन तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें उत्पादन केंद्रों पर शीतलन पूर्व सुविधाएँ, सामान ढोने वाली वैन, मोबाइल कूलिंग यूनिट तथा मूल्यवर्द्धन केंद्र शामिल होते हैं।
- सुपरबाज़ारों ने भंडारण, परिवहन व वितरण के ढाँचे को बेहतर बनाकर पश्च-फसल नुकसान को कम किया है।
- सुपरबाज़ार किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्रदान करते हैं और आपूर्ति शृंखला को बेहतर बनाकर उपभोग्ताओं तक सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ पहुँचाते हैं।
- सुपरबाज़ार खाद्य वस्तुओं की ग्रेडिंग और खाद्य गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर बल देते हैं। साथ ही, खाद्य वस्तुओं में उच्च मूल्यवर्द्धन भी करते हैं।

देश की पारंपरिक आपूर्ति शृंखला में उत्पादक-व्यापारी-थोक व्यापारी-रिटेलर-उपभोक्ता की एक लंबी कड़ी प्रचलन में है। इसके विपरीत सुपरबाज़ारों ने उत्पादक-व्यापारी-उपभोक्ता की कड़ी या सीधे उत्पादक-उपभोक्ता की अपूर्ति शृंखला की कड़ी विकसित की है। सुपरबाज़ारों द्वारा आपूर्ति शृंखला के इस तरह प्रबंधन करने से बिचौलियों की भूमिका समाप्तप्राय हो जाती है।

प्र. 5. प्रो. सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा किये गए 'बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी' के कार्य पर चर्चा कीजिये और दर्शाइये कि इसने किस प्रकार भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी।

उत्तर: आधुनिक भौतिकी को एक नई दिशा देने वाले महान भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस को क्वांटम भौतिकी में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये जाना जाता है। क्वांटम भौतिकी में उनके अनुसंधान ने 'बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी' और 'बोस-आइंस्टीन संघनन' सिद्धांत की नींव रखी। भौतिकी में मुख्य रूप से दो प्रकार की सांख्यिकी का उपयोग होता है। चिरसम्मत सांख्यिकी (Classical Mechanics) जिसमें मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी आता है और क्वांटम सांख्यिकी जिसके अंतर्गत बोस-आइंस्टीन तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है।

सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924 में पहली बार प्लांक के विकिरण नियम को एक नए सांख्यिकी ढंग से निकाला और क्वांटम सांख्यिकी का आविष्कार किया। उन्होंने प्रकाश की कल्पना द्रव्यमान रहित कण (फोटॉन) के रूप में की और यह साबित किया कि गैस के कण मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के चिरसम्मत नियमों का पालन नहीं करते बल्कि अपनी अविभाज्य प्रकृति के कारण एक अलग सांख्यिकी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इस शोध को आइंस्टीन ने कुछ संशोधन के साथ अपनी पत्रिका में प्रकाशित कराया। इसी शोध-पत्र ने क्वांटम भौतिकी में 'बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी' नामक एक नई शाखा की बुनियाद रखी। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों को पॉल डिराक द्वारा 'बोसॉन' नाम दिया गया।

बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी ने चिरसम्मत भौतिकी की असफलताओं को मिटाते हुए पूरी दुनिया में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में खलबली मचा दी। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के आविष्कार के बाद क्वांटम सिद्धांत के क्षेत्र में अचानक नई खोजों की बाढ़-सी आ गई। फर्मी-डिराक ने फर्मी-डिराक सांख्यिकी की नींव डाली, पॉली ने अपना अपवर्जन (Exclusion) सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा हाइज़ेनबर्ग-मैक्सबार्न-पॉस्कल जार्डन ने मिलकर आव्यूह यांत्रिकी (Metric Mechanics) की खोज की। इस प्रकार सत्येंद्रनाथ बोस ने अपनी खोज द्वारा पूरे भौतिक जगत में एक नई क्रांति ला दी।

प्र. 6. निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ है? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं?

उत्तर: भारत एक तेज़ी से उभरती हुए अर्थव्यवस्था है और इसलिये यहाँ ठोस अपशिष्टों की मात्रा का निरंतर बढ़ना स्वाभाविक ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 150,000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्टों (MSW) का उत्पादन होता है किंतु इनमें से केवल 83% अपशिष्ट को संगृहीत और 30% से भी कम को उपचारित किया जाता है। तकनीकी अक्षमता और वित्तीय अपर्याप्तता के कारण ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और प्रबंधन तक लगभग प्रत्येक स्तर पर चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

व्यक्ति, समुदाय व सरकार सभी स्तरों पर संगठित व वैज्ञानिक रूप से नियोजित पृथक्करण के उपायों का अभाव है। अपशिष्टों के वर्गीकरण का कार्य अधिकांशत: असंगठित क्षेत्रों द्वारा अत्यधिक असुरक्षित व जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में की जाती है। लैंडफिल साइट निर्धारित समयसीमा पूर्ण हो जाने के बाद भी कार्यशील हैं और आए दिन दुर्घटनाओं को जन्म देते रहते हैं। इसके लिये वैकल्पिक स्थलों की मांग नगर निगम व राज्य सरकार के बीच विवाद का विषय बन जाती है।

इसके अलावा कंपोस्टिंग और अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों की या तो कमी है या वे अपनी कार्य क्षमता से कम पर संचालित किये जा रहे हैं।

जहाँ तक बात है इन अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की तो इसके लिये व्यक्तिगत के साथ-साथ संस्थागत प्रयासों की भी आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिये स्रोत पर ही अपशिष्टों का पृथक्करण व वर्गीकरण, रैग पिकर्स को उचित प्रशिक्षण व वित्तपोषण, लैंडफिल साइट्स के आस-पास ग्रीन

बेल्ट का निर्माण आदि के माध्यम से जहाँ अपशिष्टों के कुछ दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है वहीं ज़हरीले अपशिष्ट के निपटान में ₹5 (रिड्यूस, रियूज, रिकवर, रिसायकल, व रीमैन्यूफैक्चर) की अवधारणा समेत कोरियाई **'वाल्यूम-बेस्ट्ड वेस्ट फ्री (VBMF) सिस्टम'** को भी अपनाकर इस समस्या का प्रभावी निराकरण किया जा सकता है। इस संबंध में सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों को कठोरता से लागू करने के साथ-साथ नगर निगम व राज्य के बीच समन्वय को बढ़ाना भी काफी कारगर साबित हो सकता है।

प्र. 7. आर्द्रभूमि क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण के संदर्भ में 'बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग' की रामसर संकल्पना को स्पष्ट कीजिये। भारत से रामसर स्थलों के दो उदाहरणों का उद्धरण दीजिये।

उत्तर: आर्द्रभूमि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और जो आंशिक रूप से या पूर्णत: जल से भरे रहते हैं। इसमें तटीय तथा समुद्री (6M की गहराई तक) नदी, झील, तालाब, नहर, बाढ़ के मैदान, दलदल, मछली के तालाब, ज्वारीय दलदल तथा मानवनिर्मित आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं। इन क्षेत्रों में स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की जैवविविधता पाई जाती है जिस कारण इन्हें इकोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है, तथा ये पर्यावरणीय संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा जल का पुनर्भरण व स्वच्छीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं जिस कारण इन्हें किडनीज ऑफ लैंडस्केप भी कहा जाता है।

तीव्रता से होते औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने आर्द्रभूमियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिनके संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ईरान के रामसर में किया गया, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा गया जो कि वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के लिये राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा उपलब्ध कराता है। इसमें वर्तमान में करार करने वाले 158 दल हैं और 1758 वेटलैंड्स स्थल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 161 मिलियन हेक्टेयर है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत भी इसका एक पक्षकार है।

रामसर सम्मेलन को विलुप्त हो रहे वेटलैंड्स प्राकृतिक आवासों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिये जाने का आह्वान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। ताकि वेटलैंड्स के महत्त्वपूर्ण कार्यों, मूल्यों, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में समझ को बढ़ाया जाए, साथ ही इन आर्द्रभूमियों की गुणवत्ता एवं संख्या में भी सुधार किया जाए और उनकी निगरानी एवं संरक्षण को और अधिक बेहतर किया जाए।

भारत विश्व की सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाले देशों में प्रमुख है। यहाँ विशाल नदी तंत्रों से लेकर समुद्र तटीय रेखा है तथा साथ ही दलदलों, झीलों, तालाबों, मैंग्रोव तथा मानवनिर्मित आर्द्रभूमियों की बड़ी संख्या है।

राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के तहत लगभग 115 आर्द्रभूमियों की पहचान की गई है जबकि रामसर सूची में भारत की 36 आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं जिनमें से दो अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सूची (मान्ट्रेक्स रिकॉर्ड) में शामिल हैं। भारत में मौजूद दो प्रमुख रामसर स्थल निम्नलिखित हैं-

- **केवलादेव घाना रामसर स्थल:** भरतपुर, राजस्थान में स्थित यह आर्द्रभूमि वर्ष 1981 में रामसर स्थल के रूप में सूचित की गई। यह आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों का प्रमुख गंतव्य स्थल है। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसे मॉण्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
- **लोकटक झील:** यह मणिपुर स्थित स्वच्छ जलीय झील है। इसे वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन में जोड़ा गया तथा वर्ष 1993 में मॉण्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यह झील अपने तैरते बायोमास 'फूमँदी' के लिये प्रसिद्ध है। जो कि विलुप्तप्राय सेंगाई डियर का एकमात्र आवास है।

प्र. 8. सिक्किम भारत में प्रथम जैविक राज्य है। जैविक राज्य के पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभ क्या-क्या होते हैं?

उत्तर: वर्ष 2016 में सिक्किम लगभग 75 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य बना, सिक्किम विधानसभा ने 12 वर्ष पूर्व सिक्किम को पूर्णरूप से जैविक राज्य बनाने की घोषणा की थी तत्पश्चात् वहाँ रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों की बिक्री तथा उपयोग पर रोक लगा दी गई जिस कारण वह जैविक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हुआ।

जैविक कृषि में रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का इस्तेमाल करने की बजाय परंपरागत तरीके अपनाकर पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर कृषि की जाती है, जिससे कि दीर्घकाल में व्यापक पर्यावरणीय तथा आर्थिक लाभ उत्पन्न हो सकते हैं-

- जैविक कृषि से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है, भूमि के बंजर होने जैसी समस्या का समाधान होता है।
- जैविक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से विषाक्तता (भूमि व वायु) जैसी समस्याओं का समाधान होता है।
- जैविक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है तथा वाष्पीकरण का दर कम हो जाता है, जिस कारण सिंचाई लागत में कमी आती है।
- जैविक कृषि को बढ़ावा देने से भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान होता है।
- जैविक उर्वरकों को बनाने में घरेलू अपशिष्टों तथा पशु मल-मूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसकी लागत बहुत कम होती है, साथ ही यह सर्वसुलभ होता है जिससे कचरा प्रबंधन की समस्या का समाधान होगा।
- संपूर्ण रूप में कृषि लागत कम होती है, जिससे कृषक को लाभ होता है जो अंतत: सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- जैविक कृषि द्वारा उत्पन्न उत्पादों की गुणवत्ता, तुलनात्मक रूप से अधिक है जिस कारण इनकी मांग बढ़ती है जो कृषक के लिये लाभदायी होता है।

उपर्युक्त लाभों को देखने से लगता है कि जैविक कृषि दीर्घकालिक पर्यावरणीय तथा आर्थिक लाभ का सौदा है किंतु इसके मार्ग में कुछ चुनौतियाँ, जैसे- उत्पादन में अल्पकालिक कमी इत्यादि विद्यमान हैं। यदि इन चुनौतियों का दीर्घकालिक व प्रभावी समाधान किया जाता है तो यह निश्चित रूप से लाभ का सौदा होगा।

प्र. 9. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सी.पी.ई.सी.) को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल 'एक पट्टी एक सड़क, पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। सी.पी.ई.सी. का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिये तथा भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइये।

उत्तर: चीन व यूरोप को स्थल मार्ग से जोड़ना चीन का एक महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य रहा है जिसे कि वह 'एक पट्टी एक सड़क' पहल का नाम देता है। 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' इसी परियोजना का मूलभूत घटक है जिसके अंतर्गत चीन के शिनजियांग प्रांत स्थित काशगर' को बलूचिस्तान स्थित 'ग्वादर बंदरगाह' से जोड़ा जाना है। इस गलियारे में विस्तृत सड़क नेटवर्क के अतिरिक्त अवसंरचना के अन्य घटकों, यथा-बांध, रेलवे, पाइपलाइन, विद्युत आदि का भी विकास किया जाएगा। यह विकास मुख्यत: पाकिस्तान में केंद्रित होगा जिससे कि वहाँ अर्थव्यवस्था तथा शेष क्षेत्रकों में भी उल्लेखनीय विकास दर्ज किया जाना अपेक्षित है तथा इस पूरी बेल्ट एंड रोड पहल से चीन को यूरोप तक पहुँच के साथ एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त भी प्राप्त होगी।

भारत ने चीन की इस पूरी पहल से बाहर रहने का निर्णय किया जिसके पीछे निम्नवत कारण समझे जाते हैं-

- भारत के इससे बाहर रहने का सबसे बड़ा कारण सी.पी.ई.सी. का पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र से गुज़रना है। भारत का पक्ष है कि जब तक भारत व पाकिस्तान के बीच यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक विवादित क्षेत्र में निर्माण कार्य भारतीय संप्रभुता व हितों को चुनौती देने जैसा है।
- चीन द्वारा इस परियोजना की प्रक्रिया में हज़ारों सुरक्षाकर्मी तैनात किये जा रहे हैं तथा भारतीय सीमा से इस क्षेत्र के सटे होने के कारण भारत की सीमा सुरक्षा पर चीन द्वारा संकट उत्पन्न किया जा रहा है।
- भारत की एक चिंता इस पहल के दौरान चीन द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण की वापसी की शर्तों में अस्पष्टता से संबंधित है तथा भारत इसे चीन के 'नव उपनिवेशवाद' का अस्त्र बताता है।

चीन की इस परियोजना में विकास कार्यों के नाम पर अनेक छिपे हुए उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं, अत: भारत ने अपना स्पष्ट पक्ष रखते हुए स्वयं को इससे दूर रखा है।

प्र. 10. वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिये भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: भारत में बीते कुछ वर्षों में वामपंथी विचारधारा प्रेरित हिंसक संघर्षों के प्रसार व तीव्रता में अधोमुखी प्रवृत्ति देखी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान देश में वामपंथी उग्रवाद की 908 घटनाओं में 263 लोगों की मृत्यु हुई जो कि वर्ष 2010 में हुई 2213 घटनाओं में हुई 1005 मौतों की तुलना में अत्यधिक कम है। हालाँकि अभी भी 10 राज्यों के 106 ज़िले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं तथा 7 राज्यों के 35 ज़िले गंभीर रूप से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। यह संख्या पिछले वर्षों से तुलनात्मक रूप से कम है परंतु हाल में लाल गलियारे के सुदूर दक्षिण (केरल-तमिलनाडु सीमा) तक विस्तृत हो जाने से नई चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

वामपंथी उग्रवादजनित चुनौतियों से निपटने के लिये भारत सरकार सुरक्षा व विकास दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कार्य कर रही है। चूँकि कानून-व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, अत: संघीय सरकार इस संदर्भ में निगरानी करने, राज्यों के प्रयासों को समन्वित तथा संपूरित करने, राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य करने, केंद्रीय बल मुहैया कराने तथा पुलिस को सटीक व त्वरित आसूचना संप्रेषित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार प्रभावित ज़िलों के बहुआयामी विकास की दिशा में तथा इस संदर्भ में राज्यों की क्षमता विकसित करने पर बल दे रही है।

समग्रत: वामपंथी उग्रवाद आज भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है तथा सरकार पूरी गंभीरता के साथ सभी आयामों का समावेशित कर इसे समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है।

प्र. 11. भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किये जा रहे सिद्धांत इससे पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर: 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक संकल्प पारित करके नीति आयोग (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की स्थापना की गई। यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है।

यद्यपि नीति आयोग सांगठनिक संरचना की दृष्टि से योजना आयोग के समान ही है परंतु कार्यात्मक स्तर पर दोनों में भिन्नता व्याप्त है। नीति आयोग और योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांतों में भिन्नता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- योजना आयोग धन हस्तांरण संबंधी दो निर्णयों में भागीदार था; पहला, यह कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिये प्रत्येक राज्य को कितना पैसा दिया जाए और दूसरा, यह कि प्रत्येक राज्य को उसकी अपनी पंचवर्षीय परियोजनाओं के लिये कितना धन दिया जाए। वहीं, नीति आयोग का कार्य केवल एक नीतिगत थिंक टैंक के समान है, धन हस्तांतरण में उसकी भूमिका गौण है। अब फंड के निर्धारण की शक्ति वित्त मंत्रालय में निहित है।
- योजना आयोग तथा नीति आयोग में नीति-निर्माण के दृष्टिकोण में भी भिन्नता व्याप्त है। जहाँ योजना आयोग 'टॉप-डाउन अप्रोच' के अंतर्गत 'सबके लिये एक समाधान' के अनुसार कार्य करता था, वहीं नीति आयोग राज्यों को अधिक महत्त्व प्रदान करते हुए योजनाओं के निर्माण में उनकी अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- योजना आयोग के अंतर्गत राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों का राष्ट्रीय विकास परिषद् में प्रतिनिधित्व था। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग की प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप से स्वीकृत करती थी। माना जाता था कि इसमें संघीय भावना की अनुपस्थिति थी। नीति आयोग में राज्यों की अधिक सार्थक भूमिका है। राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों को नीति आयोग की कार्यकारी परिषद में प्रतिनिधित्व देकर संरचनात्मक सहयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रकाश में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रकों तथा रणनीतियों में साझे दृष्टिकोण के साथ राज्यों की अग्रसक्रिय भागीदारी (प्रोएक्टिव पार्टनरशिप) को सुनिश्चित किया गया है।

- योजना आयोग समय के साथ एक केंद्रीयकृत निकाय में बदला गया था, जिसके पास प्रशासनिक शक्ति भी थी और वित्तीय नियंत्रण भी। वहीं नीति आयोग एक समूहिक संघीय निकाय है जिसकी शक्ति प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण की बजाय उसके विचारों में है।
- जहाँ योजना आयोग पंचवर्षीय आयोजन के मॉडल का अनुसरण करता था, वहीं नीति आयोग ने पंचवर्षीय आयोजन के मॉडल को छोड़ते हुए योजनाओं का विघटन तीन स्तरों पर किया है, यथा- तीन वर्षों के लिये अल्पावधिक कार्य योजना, सात वर्षों के लिये क्रियान्वयन योजना और पंद्रह वर्षों के लिये विज़न दस्तावेज़।

यह सही है कि योजना आयोग के मुकाबले नीति आयोग में संघीय भावना अधिक मज़बूत है, किंतु योजना आयोग के प्रतिस्थापन और राष्ट्रीय विकास परिषद के अप्रासंगिक होने से रचनात्मक बहस की कमी भी महसूस हो रही है। अत: नीति आयोग को निरंतर संपर्क-संवाद करने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आना होगा।

प्र. 12. विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाज़ियों की हाल की परिघटनाएँ भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी?

उत्तर: हालिया समय में विश्व व्यापार में वैश्वीकरण की राह के उलट संरक्षणवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विकसित देश आयात शुल्कों में वृद्धि करके ओर वीजा नियमों को सख्त बनाकर संरक्षणवाद की राह पकड़ रहे हैं। अमेरिका-चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध और अमेरिका द्वारा भारत से आयातित स्टील और एल्युमीनियम के आयात शुल्क में वृद्धि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

मुद्रा की चालबाज़ियाँ भी व्यापारिक संक्षणवाद का ही एक आयाम है। ईरान पर बढ़ रहे अमेरिकी प्रतिबंध, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और फेड रिज़र्व द्वारा बढ़ाई गई ब्याज दरों के कारण डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है। डॉलर के सापेक्ष विकासशील देशों की घरेलू मुद्राएँ दबाव में हैं और उनका मूल्य गिर रहा है। अमेरिका से ट्रेडवार में उलझा चीन जान-बूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य नीचे रखे हुए है जिससे विश्व व्यापार में निर्यात के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इन सबका भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ रहा है-

- भारत के कुल उत्पादन का एक बड़ा भाग निर्मात किया जाता है। संरक्षणवाद के बढ़ने से निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ेगा। निर्यात घटेगा तो कंपनियाँ अपना उत्पादन घटाएंगी और कामगारों की छँटनी करेंगी जिससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। श्रम बाज़ार में शामिल हो रहे नए कामगारों को भी रोज़गार नहीं मिलेगा। इससे सामाजिक असंतोष भी बढ़ेगा।
- भारत में उत्पादित कई वस्तुओं के लिये ज़रूरी कच्चे माल को आयात किया जाता है। संरक्षणवाद से आयात का प्रवाह टूटेगा जिससे आयात आधारित उत्पादन क्षेत्र में मंदी का प्रसार होगा।
- वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विकसित देशों से गरीब देशों को कम ब्याज पर धन उपलब्ध हो जाता है। साथ ही, विकसित देशों की कंपनियों और निवेशकों ने गरीब देशों में बड़ी मात्रा में निवेश भी किया हुआ है। भारत को भी ये लाभ हासिल हैं। संरक्षणवाद अपनाने से इस धन का बहिर्गमन होगा। हाल के समय में भारत से बड़ी मात्रा में पूंजी का पलायन देखने को मिला है। इससे रुपये का मूल्य गिर रहा है। रुपये के मूल्य गिरने से आयात महँगा हो रहा है जिससे मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा है।
- संरक्षणवाद से समष्टि स्तर पर जो उथल-पुथल देखी जा रही है, उसके कारण यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकने हेतु आर.बी.आई. नीतिगत ब्याज दरों को बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में पहले स चल रहे घरेलू निवेश की अपर्याप्तता का संकट और बढ़ेगा। सरकार की वित्तीय ज़िम्मेदारी के भार में वृद्धि होगी जिससे सरकारी कर्ज़ की मात्रा बढ़ेगी। इसका परिणाम यह निकलेगा कि सरकार को जनकल्णकारी खर्चों को घटाना पड़ेगा। ऐसा करने से सामाजिक न्याय की विकास यात्रा प्रभावित होगी।
- सरंक्षणवाद को बढ़ावा मिलने पर भौतिक परियोजनाओं में निवेश घटेगा और अल्पावधि में लाभ हेतु सट्टेबाज़ी को बढ़ावा मिलेगा। इससे लंबी परियोजनाओं की लागत तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनसे आर्थिक प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। ऐसे में एनपीए का संकट और गहराएगा।
- सरंक्षणवाद के अंतर्गत कुछ ही कंपनियों, उद्यमियों और लोगों को फायदा पहुँचेगा। इससे आर्थिक विषमता की खाई और चौड़ी होगी।

प्र. 13. बागवानी फार्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) की भूमिका का आकलन कीजिये। यह किसानों की आय बढ़ाने में कहाँ तक सफल हुआ है?

उत्तर: राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 2005-06 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना एवं बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्यान्वयन देश के 18 राज्यों एवं 5 केंद्र-शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये मदद उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही, राज्य सरकारों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्रियों के लिये भी वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन जैसे उपमिशन को भी शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत फलों, सब्ज़ियों, जड़ एवं कंदित पौधों, मशरूम, मसाले, फूल, नारियल सुगंधित पौधे, काजू, कोको तथा बाँस की खेती पर विशेष बल दिया जा रहा है।

इस मिशन के अंतर्गत फसल के पश्च प्रबंधन हेतु बुनियादी ढाँचे का सृजन, बाज़ार एवं उत्पादन संबंधी अनुमान के लिये सूचना एवं संचार तकनीक तथा सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही, पौधरोपण सामग्रियों के उत्पादन एवं वितरण के अंतर्गत नर्सरी की स्थापना, टिश्यू कल्चर इकाई, सब्ज़ी बीज उत्पादन, नए बगीचों की स्थापना, कम उत्पादक बागों एवं पौधों का पुनर्जीवन, ग्रीन हाउस जैसी संरक्षित खेती, जाली युक्त घर (Net House) आदि की स्थापना की गई है। इन कदमों से बागवानी फार्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किये गए प्रयासों से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। इस बात की पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से होती है-

- कुल फसल क्षेत्र के 8.5 प्रतिशत पर ही की जाने वाली बागवानी भारत के कृषि जीडीपी का 30% है।
- 2017 में बागवानी फसलों का उत्पादन लगातार पाँचवे वर्ष खाद्यान्न के उत्पादन से अधिक रहा।
- कम संसाधनों के स्वामी गरीब किसानों को बागवानी क्षेत्र में वृद्धि से सर्वाधिक लाभ हो रहा है क्योंकि फल और सब्ज़ियाँ अधिकांशत: सीमांत और छोटे किसानों द्वारा उगाई जाती हैं।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किये गए उपाय बागवानी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालाँकि इस संबंध में कुछ और भी उपाय अपनाए जाने की ज़रूरत है। जैसे- अनुबंध कृषि को बढ़ावा देना, केवल फसल ऋण के बजाय आवधिक ऋण तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना, किसाना संगठनों को अधिक प्रोत्साहन देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत भंडारण, परिवहन, विद्युत और संचार अवसंरचना का विकास करना। इन उपायों से किसानों को अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत में अधिक अंश मिलना सुनिश्चित होगा जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

प्र. 14. गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर ज़ोर ने सस्यन पैटर्नों में किस प्रकार परिवर्तन ला दिये हैं? मोटे अनाजों (मिलटों) के उत्पादन और उपभोग पर बल को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: फसलों का सस्यन पैटर्न विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि क्षेत्र की कृषि-जलवायु दशा, भूमि एवं जल जैसे संसाधनों की उपलब्धता, बाज़ार के घटक, किसानों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत और संसाधनों की उपलब्धता में होने वाला परिवर्तन। पारंपरिक रूप से भारत के सस्यन पैटर्न में खाद्यान्न उत्पादन पर ज़ोर रहा है; किंतु 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद विभिन्न क्षेत्रों में कपास, गन्ना, सोयाबीन जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर ज़ोर ने सस्यन पैटर्न में बदलाव स्थापित कर दिया। साथ ही बड़े स्तर पर बांधों का निर्माण कार्य हुआ और नहरों का बड़ा जाल बिछाया गया। इससे प्रचुर जल की ज़रूरत वाली धान जैसी फसलों का उत्पादन पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि ऐसे स्थानों पर भी किये जाने लगा जहाँ पहले ऐसा सस्यन पैटर्न नहीं पाया जाता था।

व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर ज़ोर से पारंपरिक सस्यन पैटर्न की फसलों, जैसे कि- मोटा अनाज, दलहन, तिलहन आदि का उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है। बीते कुछ सालों में ऐसा भी देखा गया है कि किसान कुछ विशेष फसलों के उत्पादन पर ही बल दे रहे हैं। उदाहरण के लिये इस वर्ष उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में किसानों ने उच्च मूल्य की वजह से गन्ने का इतना अधिक उत्पादन किया है कि चीनी मिल सभी किसानों का गन्ना खरीदने की स्थिति में ही नहीं है। जिनका गन्ना, मिलों ने खरीद भी लिया है, उन्हें भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि चीनी का मूल्य बाज़ार में कम है।

मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग पर बल

मोटे अनाज छोटे बीज वाली घासों के समूह हैं। ये अनाज फसल/खाद्यान्नों के रूप में विकसित होते हैं। इसमें ज्वार, रागी, कोर्रा, बाजरा और संवा सम्मिलित होते हैं। सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योग एवं खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 2018 को 'राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' (National Year of Millets) के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति दी गई है।

हालिया समय में मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसके निम्नलिखित कारण हैं-

- एक कुशल जड़ तंत्र के कारण अन्य फसलों की तुलना में इन्हें कम जल की आवश्यकता होती है।
- मोटे अनाज अपनी लघु विकास अवधि के कारण खाद्य मांग की पूर्ति करने में सहायक होते हैं।
- ये रोगों एवं कीटों से कम प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इनके लिये कीटनाशकों की आवश्यकता न्यूनतम होती है।
- मिश्रित कृषि प्रणालियों में इनका खाद्य एवं चारे के रूप में उपयोग किया जाता है।
- ये विभिन्न प्रकार की महत्त्वपूर्ण फसलों के साथ उगाए जा सकते हैं।
- बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए ये प्रमुख फसल-विकल्प हो सकते हैं।
- मोटे अनाजों में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैगनीशियम, जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनका GI (ग्लाइसीमिक इंडेक्स) निम्न होता है। इस प्रकार ये भारत में कुपोषण और भुखमरी की समस्या को कम कर सकते हैं।
- ये उच्च मधुमेहग्रस्त एवं ग्लूटेन इनटॉलेरेंट व्यक्तियों के लिये लाभदायक हैं।
- इसमें कार्बन प्रच्छादन एवं जलवायु अनुकूलन में सहयोग करने की क्षमता होती है।
- इनकी कृषि के दौरान मुख्य रूप से कार्बनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप इनसे रासायनिक उर्वरकों से संबंधित आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों प्रकार की लागतों में कमी होती है।

मोटे अनाजों के लिये सरकार की पहल

- **इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन (INSIMP):** इसका उद्देश्य 0.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को मोटे अनाजों की कृषि के अंतर्गत लाना, हाइब्रिड बीज की आपूर्ति करना एवं संयुक्त मोटा अनाज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विस्तार:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समूह (PDS Basket) में सम्मिलित किया गया है।

प्र. 15. क्या कारण है कि हमारे देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक सक्रियता है? इस सक्रियता ने बायोफार्मा के क्षेत्र को कैसे लाभ पहुँचाया है?

उत्तर: जैव प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ अक्सर 21वीं शताब्दी की तकनीक (Technology of 21st Century) के रूप में जाना जाता है। जैवप्रौद्योगिकी एक उच्च अंत:विषय

(Interdisciplinary) क्षेत्र है जो जीवों और जैविक प्रणालियों में हेल्थकेयर, दवा, कृषि, भोजन, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यावरण नियंत्रण को आगे बढ़ाने वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिये इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के साथ जैविक विज्ञान को जोड़ता है।

भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र बेहद अभिनव है किंतु विकास के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर है। भारतीय जैव प्रौद्योगिक उद्योग वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा रखता है। भारत दुनिया के शीर्ष 12 बायोटेक स्थलों में से एक है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह तीसरे स्थान पर है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित किये जा रहे हैं। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कई संस्थान चाहे वो सरकारी हो या निजी, इस क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये अवसर प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R&D) की सुविधाएँ प्रदान करके इस क्षेत्र को पर्याप्त अवसर दिया है। भारतीय जैव प्रौद्योगिक क्षेत्र ने पिछले दो दशकों में वैश्विक रूप से काफी ध्यान आकर्षित किया है। भारत की मज़बूत जेनेरिक जैव प्रौद्योगिकी क्षमता के कारण कई वैश्विक कंपनियाँ भारतीय कंपनियों के साथ बड़ी उत्सुकता से हाथ मिला रही हैं। इस प्रकार भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्रियता विद्यमान है।

बायोफार्मा, फार्मास्यूटिकल उद्योग का एक उप-समूह है जिसमें जैविक तरीकों से दवाओं का निर्माण किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ा अनुप्रयोग दवाएँ ही हैं जो अनिवार्य रूप से बायोफार्मा है। जैविक प्रणालियों की समझ बढ़ाने के बाद, दवा कंपनियों ने कई दवाओं की खोज और निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना शुरू कर दिया। जैव प्रौद्योगिकी विशिष्ट बीमारियों और रोगी समूहों के लिये बेहतर उत्पाद लक्ष्यीकरण प्रदान करती है, विशेष रूप से जेनेटिक्स के अभिनव प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से। जैव प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्रक्रिया पर काफी नियंत्रण रखती है जिससे संक्रामक रोगजनकों के माध्यम से प्रदूषण के जोखिम में महत्त्वपूर्ण कमी आती है। जैव प्रौद्योगिकी नई दवाओं, उपकरणों के विकास और उत्पादन की अनुमति देती है जो अधिक प्रभावी, विशिष्ट और कम दुष्प्रभावी होते हैं। इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी ने बायोफार्मा को हर दिशा में लाभ ही लाभ पहुँचाया है।

प्र. 16. ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिये? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों व भयों की विवेचना करें।

उत्तर: भारत विश्व का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में बढ़ती हुई जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति एवं अपने औद्योगिक विकास कार्यक्रमों के कुशल संचालन हेतु भविष्य में भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के और अधिक बढ़ने की संभावना है। एक अनुमान के अनुरूप भारत की ऊर्जा आवश्यकता अगले 25 वर्षों में 4.2% तक बढ़ने की संभावना है।

ध्यातव्य है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देश है। साथ ही यहाँ परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की अत्यधिक सीमित मात्रा है। ऐसे में, भारत गैर-परंपरागत एवं वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है। जिनमें से भारत का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम प्रमुख है। भारत ने अपना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम वर्ष 1956 से शुरू किया जिसे चार चरणों में बाँटा गया।

भारत के पास वर्तमान में 22 परमाणु रिपेक्टर इकाइयाँ कार्यरत हैं जो कुल 6,730MW विद्युत उत्पादन करती हैं। वर्तमान समय में जहाँ विश्व के सभी विकसित देश अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को बंद कर रहे हैं, वहीं भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है। ऐसा भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु कर रहा है।

जीवाश्म ईंधनों तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा ईंधनों की सीमित मात्रा एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास न हो पाने के कारण भी 'भारत' अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है। यद्यपि परमाणु ऊर्जा से संबंधित कई चिंताएँ, जैसे- परमाणु विकिरण फैलने का खतरा, अपशिष्टों के निपटान की समस्या, नाभिकीय ईंधन की अपर्याप्तता आदि बनी हुई हैं। फिर भी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार वर्तमान में समय संगत प्रतीत होता है किंतु इसे दीर्घकाल में कम करने की आवश्यकता है। जिसके लिये अन्य वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना होगा।

नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा का एक प्रकार है जिसे नाभिकीय ईंधन के दहन के पश्चात् टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ निम्नलिखित हैं-

- स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा वायु प्रदूषण संबंधी समस्या का समाधान होता है।
- नाभिकीय ईंधन की बहुत कम मात्रा से ऊर्जा की पर्याप्त प्राप्ति की जा सकती है।
- नाभिकीय रिएक्टर को एक बार लगाने से उससे दशकों तक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त लाभों के साथ-साथ नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन से कई पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ विधमान हैं-

- नाभिकीय दुर्घटनाओं का भय तथा इन दुर्घटनाओं से पर्यावरणीय एवं मानवीय संसाधनों का ह्रास होता है।
- नाभिकीय कचरे के निष्पादन की समस्या तथा रेडियोएक्टिव प्रदूषण होने की संभावना।
- नाभिकीय ईंधनों की समिति उपलब्धता।
- आस-पास के क्षेत्र में विकिरण फैलने की संभावना।

प्र. 17. भारत में जैव विविधता किस प्रकार अलग-अलग पाई जाती है? वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण में जैव विविधता अधिनियम, 2002 किस प्रकार सहायक है?

उत्तर: जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो प्रजातियों में, प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को भी सम्मिलित करती है। जीवों की विविधता सुनिश्चित करने में वहाँ की जलवायु की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राय: उच्च से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर जैव विविधता में वृद्धि पाई जाती है। यही कारण है कि विविध भौगोलिक परिदृश्य व ऊष्णकटिबंधीय जलवायु वाले भारत में जैव विविधता का क्षैतिज और उर्ध्वाधर वितरण समृद्ध होते हुए भी असमान है।

देश के कुल भू-भाग के लगभग 12% पर हिमालय विस्तृत है और यह लगभग 30% जीवों और 31% वनस्पतियों का वास स्थान है। यह क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न है और यहाँ घास भूमि से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, मिश्रित शंकुधारी और अल्पाइन घास तक के मैदान आदि पाए जाते हैं। इसी तरह भारत का पश्चिम घाट यहाँ के चार जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है।

यह क्षेत्र कई स्थानिक (Endemic) जीवों से भी समृद्ध है जिनमें उभयचर तथा सरीसृप प्रजातियाँ मुख्य रूप से शामिल हैं। भारत के तटीय व द्वीपीय क्षेत्रों में जहाँ कोरल पॉलिप व मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है वहीं इसके मरुस्थलीय क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे क्रिटिकली इंडेनजर्ड जीव भी पाए जाते हैं।

सार रूप में कहें तो भारत अपनी विशिष्ट भौगोलिक दशाओं की वजह से टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय वनस्पतिजात व प्राणिजात विविधता लिये हुए है।

यही कारण है कि जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न प्रयासों के बीच जैव विविधता अधिनियम, 2002 पारित किया गया। जिनके प्रावधान वनस्पतिजात व प्राणिजात के संरक्षण में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority – NBA) राज्य जैव विविधता बोर्ड (State Biodiversity Board – SBB) एवं स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (Biodiversity Management Committees – BMC) का गठन किया गया है, जो इस अधिनियम को लागू करने एवं इसके क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होंगे।

- सभी विदेशी नागरिकों/संगठनों को जैविक संसाधन प्राप्त करने अथवा किसी भी उपयोग हेतु संबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिये एनबीए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- इसी प्रकार, भारतीय नागरिकों अथवा संगठनों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु आयात किये जाने वाले किसी भी जैविक संसाधन के बारे में संबंधित एसबीबी को पहले से सूचना देनी होगी। यदि एसबीबी को लगता है कि इससे संरक्षण, सतत् संपोषणीय उपयोग एवं लाभ के बँटवारे के उद्देश्यों का उल्लंघन हो रहा है तो वह इस आयात पर रोक लगा सकता है।
- यद्यपि वैद्य एवं हकीमों सहित स्थानीय लोग एवं समुदाय देश के अंदर निजी उपयोग, औषधीय उद्देश्यों तथा अनुसंधान हेतु जैविक संसाधनों के उपयोग के लिये स्वतंत्र होंगे।

प्र. 18. भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) के लिये 'सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप (2015-2030)' हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात् किये गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिये। यह प्रारूप 'ह्योगो कार्रवाई प्रारूप, 2005' से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर: आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्गत आपदाओं के विध्वंसक बलों के प्रभाव, आपदाओं के परिमाण तथा आपदाओं से उत्पन्न जोखिम को कम करना शामिल है। इस दिशा में भारत ने वर्ष 2005 में ह्योगो कार्रवाई प्रारूप से सेंडाई फ्रेमवर्क कार्रवाई प्रारूप तक सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को लागू किया।

भारत ने वर्ष 2004 की सूनामी के पश्चात् वर्ष 2005 में ह्योगो कार्रवाई प्रारूप को अपनाया तथा वर्ष 2005 में ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन गृह मंत्रालय के तहत किया गया। इसके तहत ही भारत में एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का गठन किया गया।

राज्य स्तर पर एसडीएमए तथा ज़िला स्तर पर डीडीएमए तथा साथ में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी (NCMC) का गठन किया गया तथा राज्य स्तर पर स्टेट एक्सक्यूटिव कमेटी का भी गठन किया गया।

इन सभी प्रयासों के तहत प्रशिक्षण माड्यूल का विकास, आपदा प्रबंधन में अनुसंधान, प्रलेखन कार्य, प्रशिक्षण कार्य, शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों इत्यादि को बढ़ावा दिया गया ताकि ह्योगो फ्रेमवर्क में उल्लेखित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। तत्पश्चात् वर्ष 2015 में भारत ने सेंडाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये।

सेंडाई फ्रेमवर्क एक प्रगतिशील ढाँचा है और इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक आपदाओं के कारण बुनियादी ढाँचे को होने वाले नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या में कमी लाना है।

सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की। इसका उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जनजीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना है।

ह्योगो कार्रवाई प्रारूप 2005 के तहत आपदाओं में कमी लाने के लिये राष्ट्रों और समुदायों के बीच लचीलेपन का व्यवहार किये जाने के साथ क्षेत्रों में सभी अलग-अलग लोगों को आवश्यक कार्यों को समझाने, वर्णन करने तथा विस्तार करने संबंधी सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया था। यह कार्रवाई प्रारूप सेंडाई फ्रेमवर्क से निम्नलिखित रूपों में भिन्न है-

- ह्योगो प्रारूप में आपदा क्षति (Disaster Loss) पर ध्यान दिया गया था जबकि सेंडाई में आपदा जोखिम (Disaster Risk) पर।
- सेंडाई में ह्योगो की तुलना में अधिक विस्तारित रूपों, जैसे- आपदा की प्रकृति, प्रभाव न्यूनीकरण एवं जोखिम आकलन सभी मुद्दों को शामिल किया गया है।
- सेंडाई के तहत सात लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है जिनमें मुख्यत: वैश्विक मृत्यु दर में कमी, आपदा प्रभावित लोगों की संख्या में कमी, GDP में आपदा नुकसान को कम करना बुनियादी ढाँचे में नुकसान को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि की चर्चा है, जबकि ह्योगों में लक्ष्य आधारित अप्रोच को अधिक महत्त्व नहीं दिया था।
- ह्योगो में जोखिम के प्रति तैयारी तथा निवारण को महत्त्व दिया गया जबकि सेंडाई में जोखिम पूर्ण आकलन, तैयारी तथा निवारण सभी रूपों पर विस्तृत ध्यान दिया गया है।

निष्कर्षत: सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्योगों प्रारूप का अग्रगामी रूप है जिसमें ह्योगो प्रारूप के तहत शामिल नहीं किये गए लक्ष्यों को भी शामिल किया है। साथ ही उद्देश्यों को एक निश्चित अवधि में प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्र. 19. अंकीयकृत (डिजिटायज़्ड) दुनिया में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के कारण डाटा सुरक्षा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जस्टिस बी.एन. कृष्णा समिति रिपोर्ट में डाटा की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सोच-विचार किया गया है। आपके विचार में साइबर स्पेस में निजी डाटा की सुरक्षा से संबंधित इस रिपोर्ट की खूबियाँ और खामियाँ क्या-क्या हैं?

उत्तर: इंटरनेट की दुनिया जैसे-जैसे अपना विस्तार करती जा रही है, इंटरनेट पर निजी जानकारी को सुरक्षित रखने में भी उसी गति से बाधाएँ सामने आ रही हैं तथा साइबर दुनिया में डाटा चोरी जैसे अपराधों की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में फेसबुक द्वारा लगभग 5 करोड़ उपयोगकर्त्ताओं के डाटा उल्लंघन होने की पुष्टि की गई। यह इस समस्या के स्वरूप का एक चिंताजनक उदाहरण है तथा डाटा सुरक्षा के महत्त्व को निरूपित करता है।

जुलाई 2018 में जस्टिस बी.एन. कृष्णा की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपी तथा डाटा सुरक्षा से जुड़े लगभग सभी पक्षों पर व्यापक विमर्श कर भारत में 'डाटा संरक्षण फ्रेमवर्क' पर ड्राफ्ट जारी किया। समिति ने भारत में 'डाटा संरक्षण कानून' का ड्राफ्ट बिल तैयार करते हुए इसमें एक डाटा प्राधिकरण की स्थापना करने, व्यक्तिगत डाटा को परिभाषित करने तथा 'संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा' को भी स्पष्ट करने संबंधी प्रावधान किये हैं। ड्राफ्ट विधेयक में किसी व्यक्ति के डाटा का उपयोग करने के लिये उस व्यक्ति की 'स्पष्ट', 'सूचित', 'विशिष्ट' तथा 'मुक्त' सहमति लेने की अनिवार्यता का प्रावधान है तथा 'संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा' की विस्तृत परिभाषा देते हुए ऐसे डाटा के उपयोग संबंधी प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाया गया है तथा किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। डाटा संरक्षण की दिशा में यह बिल एक बेहद सराहनीय प्रयास है, हालाँकि यह ड्राफ्ट किसी व्यक्ति को उसके निजी डाटा का वास्तविक स्वामित्व सुनिश्चित नहीं करवाता है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का यह भी विचार है कि इस कानून के माध्यम से सरकार डाटा पर हमले को रोकने से अधिक उस तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दे रही है। बड़ी टेक कंपनियों द्वारा डाटा संग्रहण नियंत्रित करने के लिये बिल देश की सीमा में उत्पन्न डाटा की एक प्रति देश में रखने का आदेश देता है, परंतु एक प्रति सुरक्षित रखने के बाद भी इस डाटा को देश से बाहर ले जाया जा सकता है, तथा इस संदर्भ में बिल में अस्पष्टता है।

समग्रत: डाटा सुरक्षा के प्रथम प्रयास के रूप में यह ड्राफ्ट स्वागत योग्य है तथा सरकार ने सभी हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करने के बाद ही इसे विधि का रूप देने की बात कही है। अत: इसमें सुधार के मार्ग खुले होना बेहतर डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

प्र. 20. संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किये जाने चाहिये?

उत्तर: अफगानिस्तान व म्याँमार क्रमश: विश्व के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक देश हैं। इनके अतिरिक्त म्याँमार के पड़ोसी राष्ट्र थाईलैंड व लाओस मिलकर 'गोल्डन ट्राइऐंगल' तथा अफगानिस्तान के निकट स्थित ईरान व पाकिस्तान 'गोल्डन क्रेसेंट' का निर्माण करते हैं। गोल्डन ट्राइऐंगल तथा गोल्डन क्रेसेंट क्षेत्र विश्व के अधिकतर अफीम का उत्पादन करते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अवैध अफीम का होता है। इस पूरे क्षेत्र के भारत के बहुत निकट स्थित होने के चलते भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और चिंताजनक हो जाती है।

नशीली दवाओं के अवैध व्यापार का भारत पर दो संदर्भों में प्रभाव पड़ता है। पहला, इस माध्यम से भारत की युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं का व्यसनी बनाकर एक विकराल सामाजिक समस्या को जन्म देना, जैसा कि पंजाब व उत्तरी भारत में देखा जाता है। दूसरा, इस अवैध व्यापार से होने वाली कमाई का उपयोग आतंकवाद व वामपंथी उग्रवाद जैसी गतिविधियों में किया जाना जिससे कि भारत की आंतरिक सुरक्षा पर दो सबसे बड़े खतरे अपने स्वरूप के विस्तार की दिशा में अग्रसर होते चले जाते हैं। सामान्यत: नशीली दवाओं के व्यापार में संलिप्त लोग व समूह धन शोधन, मानव तस्करी जैसे अपराधों को अपने कार्यों के साथ एकीकृत कर एक चक्र का निर्माण कर देते हैं, इस चक्र में तस्करी व अवैध व्यापार जैसे कार्यों से अर्जित किया गया धन आतंकवाद व वामपंथी उग्रवाद का वित्त पोषण करने में उपयोग किया जाता है तथा आतंकी गतिविधियों के माध्यम से अपने व्यापार को विस्तार दिया जाता है। इससे संगठित अपराध का एक जटिल स्वरूप तैयार होता है।

भारत में इन गतिविधियों को समाप्त करने के लिये सर्वप्रथम उपाय सीमाओं की यथासंभव सशक्ततम सुरक्षा है। म्याँमार व भारत की सीमा के कई स्थानों पर छिद्रित होने से अफीम व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही इस पूरे आपराधिक अंतर्संबंध के हर घटक को कमज़ोर करने की दिशा में एक बहुआयामी तथा समन्वित रणनीति से काम किये जाने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ- ड्रग्स के व्यापार रोकने के साथ ही युवाओं में इसके विरुद्ध जगरूकता फैलना, धन शोधन नेटवर्क तथा मानव तस्करी को पूर्ण रूप से बाधित करने के प्रयास किये जाना। अवैध अफ़ीम का उत्पादन रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भी भारत को प्रभावी भूमिका निभानी चाहिये तथा द्विपक्षीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास करने चाहिये एवं बाह्य आसूचना तंत्र को सशक्त बनाया जाना चाहिये।

कुल मिलाकर इन गतिविधियों पर रोक सभी पक्षों की जटिलताओं को संबोधित करती हुई रणनीति बनाकर इन संगठित अपराध तंत्रों पर प्रहार करने से लग सकती है। तथा इस दिशा में किये जा रहे सरकारी प्रयासों को सुचारु क्रियान्वयन के माध्यम से अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिये।

सामान्य अध्ययन पेपर-4

प्र. 1. a सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रकृति के, तीन आधारिक मूल्यों का कथन कीजिये और उनके महत्त्व को उजागर कीजिये।

उत्तर: भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवाओं व सिविल सेवकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य के प्रमुख 'एजेंट' होते हैं। सिविल सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए सिविल सेवकों में सार्विक प्रकृति के तीन आधारभूत मूल्यों– सत्यनिष्ठा, करुणा और सहिष्णुता का होना आवश्यक है। सार्विक प्रकृति के मूल्यों से आशय उन मूल्यों से है जिन्हें विश्व के अधिकांश समाज व समुदायों में मान्यता प्राप्त होने व समाज में प्रचलन में होने तथा देश, काल, परिस्थितियों का जिन पर प्रभाव न पड़ता हो, जैसे– करुणा का मूल्य। करुणा को भारतीय व पश्चिमी समाज में अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। संपूर्ण विश्व में परोपकार की मूल भावना का कारण 'करुणा' ही है।

वस्तुत: सत्यनिष्ठा से तात्पर्य किसी चीज़ के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा होने से कर्मचारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जनता का विश्वास प्राप्त हो जाता है जिससे सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य मामलों में जनता का सक्रिय सहयोग मिलता है। कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा की उपस्थिति इस बात की गारंटी देती है कि राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है, वे लाभ सचमुच उन्हें प्राप्त होंगे।

करुणा एक सामान्य भाव है जो कमज़ोर व्यक्तियों या प्राणियों की पीड़ा को महसूस कर उनकी सहायता की इच्छा उत्पन्न होने की भावना से उत्पन्न होता है। लोकसेवाओं में करुणा का मूल्य होने से लोक सेवक कमज़ोर एवं गरीब वर्गों की स्थिति में सुधार करने के साथ ही उनकी दशा सुधारने के लिये भीतर से प्रतिबद्ध होंगे, जिससे इन वर्गों की जीवन स्थिति में गुणात्मक सुधार और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

सहिष्णुता का संकीर्ण अर्थ सहन करना है। जबकि व्यापक अर्थ अपने विरोधी एवं विभिन्न भाषा, लिंग, धर्म, विचार इत्यादि समुदायों व व्यक्तियों के विचारों, मान्यताओं को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने से है एवं उनके विचार वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित एवं तार्किक होने पर उन्हें अपनाने से है। भूमंडलीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में सभी समाजों के वैविध्य में वृद्धि हो रही है। लगभग सभी समाजों में धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयताओं के विभिन्न समूह साथ-साथ रहते हैं। इन परिस्थितियों में लोकसेवाओं में सहिष्णुता होने से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ ही समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक होते हैं। भारत एवं अन्य विविधतावादी देशों में लोकसेवाओं में यह गुण अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

निष्कर्षत: लोकसेवाओं में इन आधारिक मूल्यों से समाज, प्रशासन व राजनीति सभी को लाभ पहुँचता है और देश की प्रगति व विकास में लोकसेवक समुचित तरीके से अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन करते हैं।

प्र. 1. b उपयुक्त उदाहरणों सहित 'सदाचार संहिता' और 'आचार संहिता' के बीच विभेदन कीजिये।

उत्तर: नीति संहिता और आचरण संहिता दोनों का ही संबंध प्रशासन या प्रबंधन में नैतिकता की स्थापना से है। सदाचार संहिता या कोड ऑफ इथिक्स में प्रशासन या प्रबंधन से जुड़े कुछ आधारभूत मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट, सदाचार संहिता पर आधारित दस्तावेज़ होता है जो प्रशासन या प्रबंधन में कुछ निश्चित कार्यों या आचरणों के बारे में यह बताता है कि किसी अधिकारी को इन्हें करना चाहिये या नहीं।

उल्लेखनीय है कि व्यावहारिक तौर पर इन दोनों को पूरी तरह से अलग करना संभव नहीं है किंतु सैद्धांतिक तौर पर इनमें अंतर किया जा सकता है। सदाचार संहिता सामान्य व अमूर्त होती है जबकि आचरण संहिता विशिष्ट व मूर्त।

इसके अलावा, सदाचार संहिता के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है जबकि 'आचार संहिता' के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। सदाचार संहिता करणीय व अकरणीय के कुछ मानदंड निर्धारित कर प्रशासकों के व्यवहार में सुनिश्चितता लाती है। चूँकि प्रशासन के नैतिक मूल्य आधारभूत मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। इसलिये यह संभव है कि विभिन्न देशों या एक ही देश में सरकार के विभिन्न अंगों, विभागों आदि की सदाचार संहिताएँ एक जैसी हों। परंतु आचार संहिताएँ एक जैसी सदाचार संहिताओं पर आधारित होकर भी भिन्न-भिन्न हो सकती हैं क्योंकि एक ही नैतिक मूल्य अलग-अलग विभागों में विभिन्न रूपों में व्यक्त हो सकता है। जैसे कि 'प्रतिबद्धता' का नैतिक मूल्य प्राय: सभी विभागों की सदाचार संहिताओं में पाया जाता है। सैनिक आचरण संहिता में 'प्रतिबद्धता' का अर्थ युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपना जीवन अर्पण करने के लिये तैयार रहना और शत्रु को हर हाल में हराना होगा। जबकि सिविल सेवकों की आचरण संहिता में इसका तात्पर्य ईमानदारी से कम करना, वेतन शर्तों इत्यादि पर ध्यान न देना होगा।

गौरतलब है कि नैतिक संहिता तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है क्योंकि सामान्यत: नैतिक मूल्यों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से आते हैं परंतु आचरण संहिता अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिये 'ईमानदारी' का नैतिक मूल्य 'सदाचार संहिता' में लगभग हर समय स्थायी रहता है। किंतु आचरण संहिता में परिवर्तन इसलिये होता है क्योंकि समय के साथ बेईमानी के नए-नए रूप सामने आते हैं, जैसे– डोपिंग एवं मैच फिक्सिंग इत्यादि।

निष्कर्षत: सार्वजनिक एवं निजी जीवन में नैतिकता की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अत: अच्छे शासन व सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के संवर्द्धन हेतु सदाचार संहिता और आचार संहिता दोनों आवश्यक हैं।

प्र. 2. a लोकहित से क्या अभिप्राय है? सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन-कौन से सिद्धांतों और कार्यविधियों का अनुसरण किया जाना चाहिये?

उत्तर: 'लोकहित' सामूहिक रूप से जनता के हित को कह सकते हैं। इसके अंतर्गत या तो प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होता है या फिर इसमें लोगों के एक वर्ग को लाभ होता है किंतु दूसरों को कोई नुकसान नहीं होता। वर्तमान में लोकहित प्रजातंत्र, सरकार के स्वरूप, जनकल्याण, सरकारी नियोजन तथा न्याय के लिये आवश्यक हो गया

है। लोकहित को सर्वमान्य आधार पर परिभाषित करना जटिल है किंतु इतना अवश्य है कि लोकहित वर्तमान में सत्ता की वैधता का मानदंड अवश्य है। सरल शब्दों में कहें तो लोकहित का तात्पर्य है साधारण व्यक्तियों की ज़रूरतों व आवश्यकताओं को संपोषित और पूरा करना।

प्रशासनिक नैतिकता के अंतर्गत सिविल कर्मचारियों के लिये लोकहित के सिद्धांतों तथा कार्यविधियों का अनुसरण आवश्यक है क्योंकि इनके द्वारा सिविल सेवक आम जनता के प्रति सहयोगी, समानतापूर्ण, संवेदनशील तथा सकारात्मक व्यवहार करने में सक्षम बनता है।

यदि लोकहित के सिद्धांतों पर विचार करें तो इसके अंतर्गत सिविल कर्मचारी पारदर्शिता, भागीदारी, परोपकार, स्वायत्तता, निपक्षता तथा सत्यनिष्ठा जैसे सिद्धांतों का पालन करता है। साथ ही, लोकहित के उन्नयन के लिये विवेकपूर्ण अधिकारों का भी उपयोग करता है।

इन सिद्धांतों के पालन में सिविल कर्मचारी नैतिक मूल्यों पर स्थापित कार्यविधियों का अनुसरण करता है। लोकहित के अंतर्गत सिविल कर्मचारी प्रत्येक व्यक्ति की मांग व ज़रूरत को समान महत्त्व व सम्मान के साथ पूरा करने का प्रयास करता है। सिविल कर्मचारी 'लोकहित' की प्रक्रिया में उपयुक्तता, तत्परता, सहानुभूति तथा संवेदनशीलता का समुचित समन्वय करता है।

इस प्रकार 'लोकहित' तथा इसके सिद्धांतों एवं कार्यविधियों का मुख्य ध्येय नागरिकोन्मुख प्रशासन की स्थापना है जिसमें कार्यनिष्पादन सहयोग व प्रेम की भावना के साथ किया जाता है न कि भार के रूप में।

प्र. 2. b "सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के बारे में ही नहीं है अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनःपरिभाषित करता है।" विवेचना कीजिये।

उत्तर: किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार नागरिकों का सशक्तीकरण, शासन व प्रशासन में जवाबदेहिता और पारदर्शिता, नागरिकों तक सूचनाओं की प्रभावी उपलब्धता होता है। इस दृष्टि से सूचना का अधिकार अधिनियम स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण अधिनियम है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों का सशक्तीकरण करने के साथ ही जवाबदेहिता की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है।

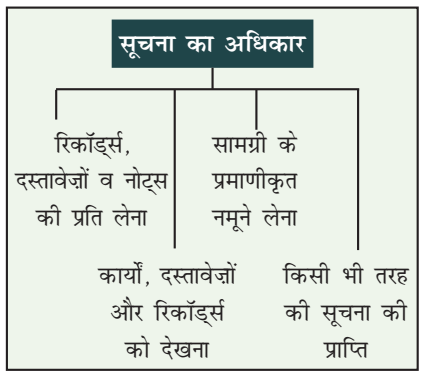

उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम शासन प्रक्रियाओं के बारे में लोगों की जानकारी को बढ़ाकर नागरिकों में सशक्तीकरण लाता है। यह खुले शासन के लिये आवश्यक दशाओं का निर्माण करता है जो लोकतंत्र की आधारशिला बनती है। वस्तुतः सूचना का अधिकार अधिनियम न सिर्फ व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है जो लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है बल्कि सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितता को भी कम करने में सहयोग करता है जो एक सशक्त समाज के निर्माण के लिये आवश्यक है। इस प्रकार यह अधिकार नागरिकों के सशक्तीकरण एवं सुशासन में सहायक है।

ध्यातव्य है कि सूचना के अधिकार से पूर्व नागरिकों को सरकार से सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था और शासन में 'गोपनीयता की संस्कृति' को बढ़ावा मिलता था, जो भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त, शासन व प्रशासन में कोई प्रभावी नियम व अधिनियम की अनुपलब्धता के कारण जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी।

किंतु सूचना के अधिकार अधिनियम ने जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित किया है इसके माध्यम से नागरिक, अधिकारी से कोई भी सवाल या सूचना (कुछ अपवाद, जैसे अधिनियम के अनुच्छेद 8 में वर्णित कुछ विषय इत्यादि को छोड़कर) प्राप्त कर सकता है तथा संबंधित संस्था या विभाग द्वारा 30 दिन की अवधि में सूचना प्रदान की जाएगी। अब विभाग के अधिकारी दस्तावेज़ों को संरक्षित रखने का प्रयास करने के साथ ही प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हैं तथा लोक सेवक अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग होने के साथ ही पिछली गलतियों को दोहराने से बचते हैं।

गौरतलब है कि जनमानस अब आरटीआई को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए शासन की प्रत्येक इकाई से जवाबदेही की मांग कर सकता है। इसी व्यवस्था का परिणाम है कि अब देश का साधारण से साधारण नागरिक भी शासकीय व्यवस्था में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने में सक्षम हुआ है साथ ही जवाबदेहिता व उत्तरदायित्व को पुनः परिभाषित किया है।

निष्कर्षतः आरटीआई अधिनियम को बेहतर एवं सशक्त बनाने के लिये कुछ और महत्त्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है तथा वर्तमान में यह नागरिकों के सशक्तीकरण के साथ ही उनमें जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बना है। आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला इत्यादि को उजागर करने में आरटीआई अधिनियम की निर्णायक भूमिका रही है।

प्र. 3. a हित-विरोधिता से क्या तात्पर्य है? वास्तविक और संभावित हित विरोधिताओं के बीच के अंतर को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: 'हित-विरोधिता' से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जो किसी लोक सेवक के व्यक्तिगत हित तथा सार्वजनिक एवं पेशेवर हित के बीच विरोध उत्पन्न करने के कारण उसकी निष्पक्षता, तटस्थता तथा सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक मूल्यों को कमज़ोर करती है। 'हित-विरोधिता' संभवतः सर्वाधिक प्राकृतिक उदाहरण है जो सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व को नैतिक दुविधा में डालता है। यहाँ 'हित-विरोधिता' के मुख्यतः दो रूपों पर चर्चा करनी है– एक, वास्तविक हित-विरोधिता; दूसरा, संभावित हित-विरोधिता।

'वास्तविक हित-विरोधिता' तब उत्पन्न होती है जब किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कर्त्तव्य तथा उसके निजी हितों में वास्तविक संघर्ष उत्पन्न हो, यहाँ हित-विरोधिता अनुमानित नहीं होती, जैसे आजकल राजनीतिज्ञों एवं उद्योगपतियों के गठजोड़ से 'क्रोनी कैपिटलिज़्म' का प्रचलन बढ़ा है जिसके मूल में ही 'लाभ के लिये दोस्त' बनाने की मानसिकता काम करती है। इन परिस्थितियों में लोक सेवा के पद को धारण करने वाला व्यक्ति प्रतिफल के रूप में उद्योगपति को लाभ पहुँचाता है। इस प्रकार ऐसे 'भ्रष्टाचार' वास्तविक हित-विरोधिता का परिणाम होते हैं।

'संभावित हित-विरोधिता' उन परिस्थितियों को संदर्भित करती है जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में सार्वजनिक

पदाधिकारी या लोक सेवक के निजी एवं सार्वजनिक हितों में विरोध उत्पन्न हो सकता है। यहाँ 'हित-विरोधिता' का अनुमान लगाया जाता है, यह वास्तविक नहीं होती। जैसे प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री बन जाए जो स्वयं भी कई अस्पतालों का संचालन करता हो। ऐसी स्थिति में उसके निजी हित व सार्वजनिक हितों में विरोधिता उत्पन्न हो सकती है क्योंकि हो सकता है भविष्य में यह मंत्री चिकित्सा के आवश्यक मानकों के प्रवर्तन में अपने अस्पतालों को छूट दे दे।

इस प्रकार 'हित-विरोधिता' एक सार्वजनिक पदाधिकारी को नैतिक दुविधा में डालने के साथ-साथ भ्रष्टाचार की प्रमुख कारक भी है इसलिये एक सार्वजनिक पदाधिकारी को 'हित-विरोधिता' से बचना चाहिये।

प्र. 3. b "नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की खोज करते समय आप तीन गुणों को खोजते हैं: सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यदि उनमें पहला गुण नहीं है तो अन्य दो गुण आपको समाप्त कर देंगे।" वॉरेन बफेट। वर्तमान परिदृश्य में इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: किसी भी शासन, प्रशासन और व्यवसाय की तरक्की या उन्नति में उसमें कार्यरत व्यक्तियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। योग्य व्यक्तियों व व्यक्तियों में सत्यनिष्ठा के अभाव में कोई भी संगठन, शासन, प्रशासन मंथर मृत्युगति को बाध्य है।

अब यह सवाल उठता है कि संगठन में व्यक्तियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाए, तो इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति में तीन गुणों– सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा की खोज की जाए। इन गुणों के अभाव में कोई भी व्यक्ति आपके लिये उपयोगी नहीं हो सकता है। लेकिन इन तीनों में भी मूल आधार-सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा नैतिक चरित्र का तत्त्व है जो दया, करुणा, अनुशासन, जवाबदेहिता, कर्त्तव्यनिष्ठता जैसी आदतों को विकसित करता है। सत्यनिष्ठा युक्त व्यक्ति को प्रशासन या संगठन की गोपनीय जानकारी सौंपी जा सकती है क्योंकि सत्यनिष्ठा व्यक्ति के ठोस चरित्र का निर्माण करती है। सत्यनिष्ठा के साथ बुद्धिमत्ता और ऊर्जा जैसे मूल्य व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि कर देते हैं जो अंतत: आपके लिये सहायक होता है। बगैर सत्यनिष्ठा के बुद्धिमत्ता और ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति गलत या अनैतिक कार्यों में कर सकता है जो संगठन, व्यवसाय, प्रशासन को नुकसान पहुँचा सकता है तथा पहले गुण के अभाव में अन्य दो गुण आपको समाप्त कर देंगे।

अगर हम वर्तमान परिदृश्य में इस कथन की चर्चा करें, तो व्यक्तियों में सत्यनिष्ठा के अभाव के कारण संपूर्ण विश्व में भ्रष्टाचार एवं घोटाले एक प्रमुख समस्या बनकर उभरे हैं। हाल ही में विभिन्न कॉरपोरेट और बैंकों में घोटाले इस संदर्भ को रेखांकित करते हैं। इसके अलावा, व्यक्ति अपनी ऊर्जा एवं बुद्धिमत्ता का उपयोग सकारात्मक दिशा में न करके नकारात्मक दिशा में करेगा, जैसे ओसामा बिन लादेन ने बुद्धिमत्ता और ऊर्जा का दुरुपयोग मानवीय नरसंहार के लिये किया। सत्यनिष्ठा के अभाव के कारण व्यक्ति बुद्धिमत्ता और ऊर्जा से संगठन के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप के साथ ही अपनी ज़िम्मेदारियों का समुचित निवर्हन नहीं करेगा जिससे संगठन की उत्पादकता और प्रभाविता कम होगी।

निष्कर्षत: सत्यनिष्ठा के अभाव में बुद्धिमत्ता और ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति मानव के विरुद्ध ही करेगा। इसी कारण कहा जाता है कि बिना सत्यनिष्ठा के बुद्धिमत्ता अंतत: मानव जाति को नुकसान ही पहुँचाएगी।

प्र. 4. a "अच्छा कार्य करने में वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति के द्वारा या स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो।" एक लोक सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के संदर्भ में इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिये।

उत्तर: लोक सेवक सार्वजनिक हित एवं कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिये नीतियों के सूत्रीकरण (नीतियों की जटिलता कम करने में), कार्यक्रमों की अभिकल्पना, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन में प्रमुख योगदान देते हैं। इस कार्य में लोक सेवकों की 'आचरण संहिता' उनका मार्गदर्शन करने में अमूल्य योगदान देती है। किंतु, कभी-कभी लोक सेवकों की आचरण संहिता में अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शक अभिव्यक्तियों की कमी होती है।

मार्गदर्शक अभिव्यक्तियों या स्पष्ट निहितार्थों की कमी की ऐसी परिस्थितियों में लोक सेवकों को अपनी भावनात्मक समझ से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है। कर्त्तव्य पालन हेतु तथा श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर लोक सेवक को लोक सेवा के बुनियादी मूल्यों, जैसे सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, भेदभावरहितता, संवेदनशीलता, सहानुभूति तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। गांधीजी के नैतिक चिंतन में इसी को साध्य एवं साधन की पवित्रता के रूप में व्यक्त किया गया है अर्थात् श्रेष्ठ एवं अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ साधनों को भी अपनाना चाहिये। ऐसे साधनों को प्रयोग करने से लोक सेवक वास्तविक अर्थों में अच्छे कार्य कर सकेंगे। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है-

- यदि किसी लोक सेवक को 'स्वच्छ भारत मिशन' को सफल बनाना है तो उसे 'व्यवहार परिवर्तन' की प्रक्रिया को समाज में बढ़ाना होगा। इस प्रक्रिया हेतु लोक सेवक अवपीड़क (कठोर) कदम भी उठा सकता है तो दूसरी ओर 'अनुनय' तथा 'सामाजिक प्रभाव' की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी अपना सकता है। स्पष्ट है कि 'व्यवहार परिवर्तन' हेतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया ज़्यादा कारगर होगी।
- इसी प्रकार आपदा प्रबंधन, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास, सामाजिक सौहार्द्र के निर्माण, भ्रष्टाचार की समाप्ति तथा लैंगिक समानता एवं विकासपरक योजनाओं की सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ाने में भी एक लोक सेवक के लोकतांत्रिक कदम उसके दंडात्मक तथा अवपीड़क कदमों की तुलना में ज़्यादा उपयोगी एवं प्रभावी होंगे। इसके लिये वह सामाजिक जागरूकता तथा अपनी भावनात्मक समझ का प्रयोग करके लोगों को अभिप्रेरित कर सकता है, साथ ही बेहतर कार्य-संस्कृति का विकास कर सकता है।

अत: अच्छा कार्य करने हेतु एक लोक सेवक को मार्गदर्शक अभिव्यक्तियों का अभाव होने की दशा में वही सब कुछ करना चाहिये जो लोक सेवा के बुनियादी मूल्यों के अनुकूल हो तथा जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया व साध्य-साधन की पवित्रता बनी रहे।

प्र. 4. b कार्यवाहियों की नैतिकता के संबंध में एक दृष्टिकोण तो यह है कि साधन सर्वोपरि महत्त्व के होते हैं और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। आपके विचार में इनमें से कौन-सा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क पेश कीजिये।

उत्तर: नैतिकता मानक नियमों का एक संवर्ग है जिसे समाज अपने ही ऊपर लागू करता है और जो उचित-अनुचित, व्यवहार, विकल्पों और कार्रवाइयों के मार्गदर्शन में सहायता करता है।

नैतिकता की कार्यवाइयों के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों एवं विचारकों के मध्य यह विवाद का विषय है कि 'साधन' ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है, या 'परिणाम' की पवित्रता साधनों को भी उचित बना देगी। गांधीजी जैसे चिंतक साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं और उनका मानना है कि साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र हो वह अनैतिक साधनों को पवित्र नहीं बना सकता है। इसी दृष्टिकोण पर चलते हुए गांधीजी ने स्वाधीनता संग्राम को अहिंसक सत्याग्रह का रूप दिया। 'जॉन रॉल्स' ने कहा है कि साधन पवित्र होगा तो 'साध्य' या 'परिणाम' भी पवित्र हो जाएगा। इन दृष्टिकोणों से समाज में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, तो साथ ही समतामूलक समाज का निर्माण होने के अलावा नैतिक व्यवस्था उच्च स्तर पर होगी।

यद्यपि, दूसरी तरफ मार्क्स, स्पेंसर, मैकियावेली जैसे विचारकों का मानना है कि परिणाम या साध्य ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है। यदि कार्य का परिणाम उचित है तो वह साधनों को भी उचित बना देगा जैसे 'मार्क्स' ने विषमता को समाप्त करने के लिये हिंसक क्रांति को नैतिक माना है। उपयोगितावादी मानते हैं कि अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख साधने के लिये कुछ व्यक्तियों को कुछ कष्ट उठाना भी पड़े तो यह अनैतिक नहीं है। इसी कारण विभिन्न देशों में क्रांतियाँ हुईं, जैसे रूस की साम्यवादी क्रांति में 'सर्वहारा वर्ग' का शासन स्थापित करने वाले जैसे पवित्र साध्य में हिंसक क्रांति हुई; तो वहीं 'रूस' में साम्यवादी शासन की स्थापना के लिये विभिन्न व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ा।

अब यह सवाल उठता है कि इन दोनों दृष्टिकोणों में अपेक्षाकृत कौन अधिक उपयुक्त है? इस संदर्भ को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 'कबीर' अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करने के पश्चात् अपने देश में 'स्कूल' प्रारंभ करना चाहता है, किंतु इसके लिये सरकारी कर्मचारी कुछ रिश्वत मांगते हैं और अगर वह रिश्वत नहीं देगा तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अत: कबीर को रिश्वत देकर स्कूल प्रारंभ करना चाहिये या नहीं?

कार्यवाहियों के संदर्भ में साध्य या परिणाम के साथ ही 'साधनों' का भी महत्त्व है क्योंकि अनैतिक साधनों द्वारा प्राप्त परिणाम पूर्णत: नैतिक नहीं होगा, जो अंतत: मानव समाज के लिये नुकसानदायक ही होगा। इसके साथ ही, विरले परिस्थितियों में अनैतिक साधनों को भी अपनाया जा सकता है लेकिन इसमें समाज का व्यापक हित मौजूद होना चाहिये। इन दोनों दृष्टिकोणों में अपेक्षाकृत उचित दृष्टिकोण पर चर्चा करें तो दूसरा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक एवं उचित है क्योंकि इसमें समाज का व्यापक हित मौजूद होने के साथ ही व्यक्ति में समाज के प्रति कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है। अत: कबीर को 'रिश्वत' जैसे अनैतिक कार्य पर स्कूल प्रारंभ करने वाले परिणाम को तरजीह देना अपेक्षाकृत अधिक उचित दृष्टिकोण होगा।

प्र. 5. a मान लीजिये कि भारत सरकार एक ऐसी पर्वतीय घाटी में एक बांध का निर्माण करने की सोच रही है जो जंगलों से घिरी है और जहाँ नृजातीय समुदाय रहते हैं। अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने के लिये सरकार को कौन-सी तर्कसंगत नीति का सहारा लेना चाहिये?

उत्तर: प्रश्नोल्लिखित प्रकरण में सर्वप्रथम यदि हम अप्रत्याशित आकस्मिकताओं पर विचार करें तो इसमें निम्नलिखित आकस्मिकताएँ दिखाई पड़ती हैं-

- पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे जैवविविधता का ह्रास, जंगल का विनाश, वनस्पतियों के डूबने से मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैस में वृद्धि आदि।
- नृजातीय असंतोष की अभिव्यक्ति हो सकती है। जैसे सांस्कृतिक पहचान व आजीविका संकट के कारण।
- आपदा की चुनौती उत्पन्न हो सकती है। जैसे बांधकी पर्वतीय घाटी में अवस्थिति के कारण भूकंप, भूस्खलन तथा बाढ़ की संभावना आदि।

उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार को जल, जंगल तथा ज़मीन हेतु एक समग्र एवं तार्किक नीति पर कार्य करना चाहिये। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सरकार को बिंदुवार निम्नलिखित कदम उठाने चाहियें-

- बांध परियोजना को प्रारंभ करने से पहले सरकार को नृजातीय समुदाय को विश्वास में लेना चाहिये तथा समुदाय के लोगों को वार्ता में शामिल करते हुए बांध निर्माण का लाभ समझाना चाहिये। इस समुदाय के पुनर्वास की नीति ऐसी हो जिससे इन्हें विस्थापन के पश्चात् सांस्कृतिक अलगाव तथा मुआवज़े एवं जीविका के संकट का सामना न करना पड़े।
- पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु 'पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन' की प्रक्रिया का विधिवत् पालन करना चाहिये, साथ ही इस संवेदनशील क्षेत्र में पेशेवरों तथा विशेषज्ञों के द्वारा बांध निर्माण की प्रक्रिया के पूर्व लाभ और हानि का गहन विश्लेषण करना चाहिये।
- आपदा की समस्या से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन के 'सेंदाई फ्रेमवर्क' के मानकों का पालन करना चाहिये। इस संदर्भ में आपदा पूर्व, आपदा के समय तथा आपदा के पश्चात् की तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा होना चाहिये तथा समय-समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिये।
- पर्वतीय क्षेत्र में जंगलों का विनाश होने पर समस्याएँ और जटिल हो सकती हैं इसलिये उपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरू होना चाहिये।

इस प्रकार बांध निर्माण की इस प्रक्रिया में सरकार को नृजातीय समुदाय की भावनाओं, राष्ट्रीय हितों तथा पर्यावरणीय चुनौतियों से जुड़ी सभी अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित एवं सजग रूप से आगे बढ़ना चाहिये जिससे सतत् विकास की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

प्र. 5. b लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: लोक प्रशासन में अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दो मूल्यों के मध्य किस मूल्य को प्राथमिकता दी जाए, को लेकर टकराव हो जाता है, तो कभी व्यक्तिगत व सार्वजनिक हित के मध्य द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और इसी प्रकार विभिन्न चुनौतियों में से एक 'नैतिक दुविधा' है जो समय-समय पर उत्पन्न होती रहती है।

उल्लेखनीय है कि नैतिक दुविधा में दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं। विकल्पों में कम-से-कम एक पक्ष नैतिकता से संबंधित होता है और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों विकल्प अलग-अलग नैतिक मूल्यों पर आधारित हों; लगभग सभी विकल्प बराबर होने के साथ ही एक विकल्प को चुनना ज़रूरी होता है।

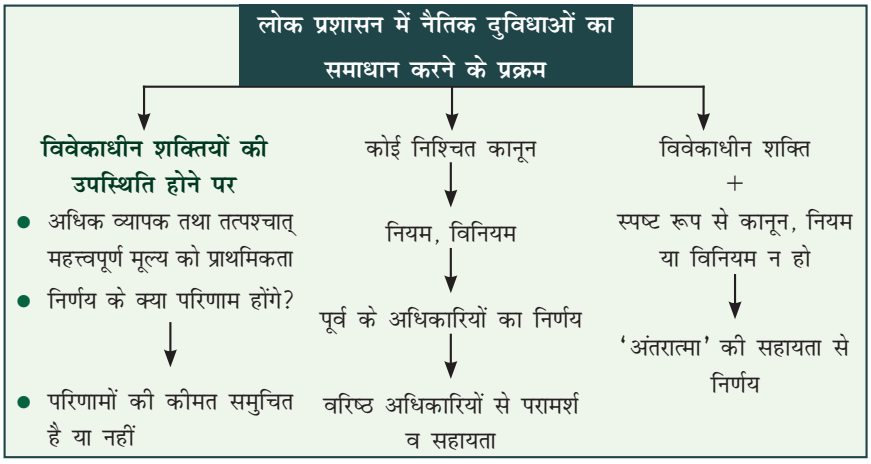

अत: लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करना जटिल हो जाता है। इस समस्या के समाधान के प्रक्रम में सर्वप्रथम कोई निश्चित कानून है तो इस आधार पर निर्णय लेना चाहिये। अगर कानून है किंतु पर्याप्त नहीं है तो उसके पश्चात् नियम, विनियम को देखना चाहिये। अगर कानून, नियम और विनियम न हो तो अधिकारी को, उससे पहले के अधिकारियों ने ऐसे मामलों में क्या निर्णय लिये थे व उसके पक्ष में क्या तर्क दिये थे; इससे कुछ ऐसे सुझाव मिल सकते हैं जो सामूहिक बुद्धिमत्ता पर आधारित होंगे। इसके अलावा, अगर उसे कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की निर्णय क्षमता या परिपक्वता में विश्वास हो तो उनसे भी सलाह लेनी चाहिये ताकि कोई पहलू अनछुआ न रह जाए।

गौरतलब है कि अगर निर्णय में विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं तो कुछ अन्य प्रतिमानों को भी आधार बनाया जाना चाहिये, जैसे– अगर दो मूल्यों में संघर्ष है तो देखना चाहिये कि कौन-सा मूल्य अधिक व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण है, जैसे– परिवार से जुड़े मूल्यों से ज़्यादा महत्त्व देश से जुड़े मूल्यों को मिलना चाहिये। इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि कौन-से निर्णय के क्या परिणाम होंगे और उन परिणामों के लिये जो कीमत चुकाई जाएगी वह समुचित है या नहीं है। इसके अलावा, अगर जहाँ विवेकाधीन शक्ति हो और स्पष्ट रूप से कानून, नियम या विनियम न हों, तो 'अंतरात्मा' की सहायता से निर्णय लिये जा सकते हैं।

निष्कर्षत: उपर्युक्त विकल्पों के माध्यम से लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करके कर्त्तव्य पालन, प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों का पालन करके देश के विकास व प्रगति में सहयोग किया जा सकता है।

प्र. 6. a **"किसी भी बात को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्धारण करने में सही नियम यह नहीं है कि उसमें कोई बुराई है या नहीं; बल्कि यह है कि उसमें अच्छाई से अधिक बुराई है। ऐसे बहुत कम विषय होते हैं जो पूरी तरह बुरे या अच्छे होते हैं। लगभग सभी विषय, विशेषकर सरकारी नीति से संबंधित, अच्छाई और बुराई दोनों के अविच्छेदनीय योग होते हैं; ताकि इन दोनों के बीच प्रधानता के बारे में हमारे सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है।"– अब्राहम लिंकन**

उत्तर: सरकारी नीति, व्यक्तिगत जीवन में यह प्रमुख द्वंद्व का विषय रहता है कि किस बात को स्वीकार किया जाए और किस बात को नहीं? क्योंकि किसी भी बात में पूर्णत: अच्छाई या बुराई नहीं होती है, बल्कि दोनों का अविच्छेदनीय योग होता है और इस अविच्छेदनीय योग के कारण सरकारी नीति में सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता होती है जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख एवं समाज के व्यापक हित को सुनिश्चित किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि किसी भी सरकारी योजना को प्रारंभ करने से पहले यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि समाज के उचित लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुँच सके; किंतु इसमें कई बार लीकेज या भ्रष्टाचार की समस्या आने लगती है; लेकिन इस कारण इस सरकारी नीति को बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें गरीब एवं वंचित लाभार्थियों का सुख मौजूद है। इन्हीं कारणों से सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता होती है, जैसे कि इस लीकेज या भ्रष्टाचार की समस्या को वर्तमान में रोकने के लिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एवं तकनीकी उपयोग इत्यादि प्रयास किये जा रहे हैं।

गौरतलब है कि किसी भी सरकारी नीति में सौ प्रतिशत अच्छाई या बुराई नहीं होती है। इसी प्रकार किसी भी बात को उसमें बुराई होने पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है बल्कि यह देखने का प्रयास करना चाहिये कि उसमें अच्छाई से अधिक बुराई है या बुराई से अधिक अच्छाई है। वर्तमान में पर्यावरण एवं विकास का मुद्दा एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एवं रक्षा को महत्त्व देने पर आर्थिक विकास की गतिविधियाँ बाधित होती हैं तो वहीं पर्यावरण के विकास पर आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है इसीलिये सर्वोत्तम निर्णय पर्यावरण-मानव सहअस्तित्व पर बल दिया जा रहा है।

निष्कर्षत: किसी भी बात को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्धारण और सरकारी नीति में व्यापक अच्छाई या बुराई को देखकर ही इस संदर्भ में निर्णय लेना चाहिये क्योंकि अगर हमने केवल बुराई के आधार पर किसी बात को अस्वीकार किया तो इससे समाज के किसी भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं होगा और मानवीय हित बाधित होंगे। अत: हमें व्यापक जनहित एवं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का पालन करते हुए सर्वोत्तम निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिये।

प्र. 6. b **"क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं।" – महात्मा गांधी (150 शब्द)**

उत्तर: व्यक्ति अच्छा जीवनयापन तभी कर सकता है जब उसमें सद्गुण एवं अच्छे मूल्य विकसित हों और इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति सफलता एवं उन्नति को प्राप्त करता है। लेकिन क्रोध और असहिष्णुता के कारण व्यक्ति का चारित्रिक विकास बाधित होता है तथा समाज में उसकी बातों को ज़्यादा महत्त्व नहीं दिया जाने लगता है जिसके कारण क्रोध और असहिष्णुता को सही समझ के शत्रु कहा जाता है।

उल्लेखनीय है कि क्रोध एक नकारात्मक मनोभाव है; जब हमारा व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, जबकि असहिष्णुता का अर्थ सहन न करने से है। इसमें व्यक्ति अपने विरोधी एवं भिन्न व्यक्तियों, समुदायों, धार्मिक, राष्ट्रीयता, जाति या परंपराओं के समूहों के लोगों के विचारों, विश्वासों एवं प्रथाओं को स्वीकार न करने के साथ ही उनका सम्मान नहीं करता है। क्रोध और असहिष्णुता दोनों एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं।

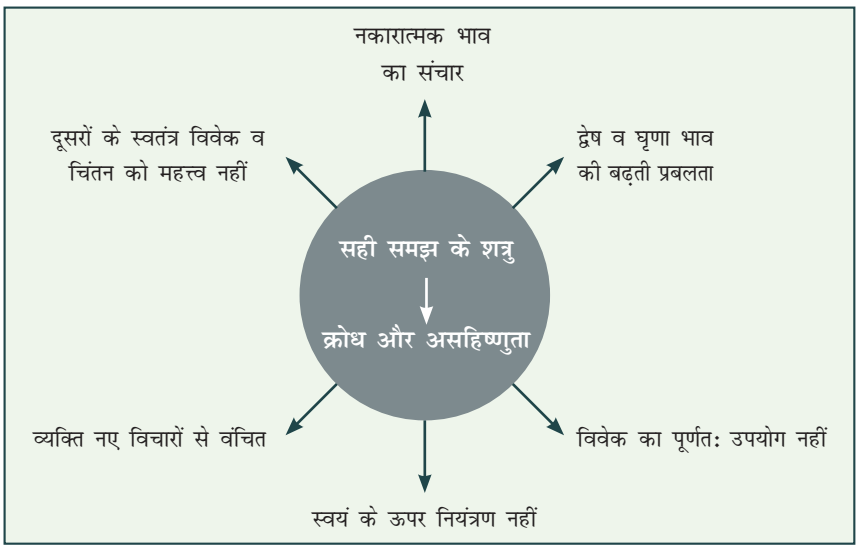

ध्यातव्य है कि क्रोध और असहिष्णुता परस्पर सौहार्द्र को खत्म करते हुए द्वेष व घृणा भाव को प्रबल बना देते हैं जिससे व्यक्ति में दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव का संचार होने के साथ ही व्यक्ति समाज से कटने लगता है। क्रोध के समय व्यक्ति का स्वयं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है तथा कोई भी कृत्य करने से पूर्व वह उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता है और अंततः यह कृत्य उसे ही नुकसान पहुँचाता है। इसके अतिरिक्त, क्रोध के समय व्यक्ति अपने विवेक का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाता है और कोई भी निर्णय तार्किक आधार पर नहीं करने के अलावा अच्छे-बुरे को तय करने का भेद मिट जाता है जिसके परिणाम उसके सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक उत्थान को बाधा पहुँचाते हैं। इसी कारण महात्मा बुद्ध ने कहा है, "जिस तरह उबलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी तरह क्रोध की अवस्था में यह नहीं जान पाते कि हमारी भलाई किस बात में है।"

वस्तुतः असहिष्णुता के कारण व्यक्ति दूसरों के विचारों को नहीं सुनता है और उनका सम्मान भी नहीं करता है जिससे व्यक्ति नए विचारों से वंचित रह जाता है जो उसकी समझ बढ़ाने में बाधा उत्पन्न करता है। वर्तमान वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण के दौर में जबकि विविधता को अत्यधिक महत्त्व देने के साथ ही विविधता को सम्मान दिया जा रहा है; इन परिस्थितियों में सहिष्णुता का होना आवश्यक है। बिना सहिष्णुता के व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता है।

निष्कर्षतः व्यक्ति को क्रोध और असहिष्णुता जैसे नकारात्मक भावों को निरंतर कम करने का प्रयास करते हुए शांति, सौहार्द्र एवं भाईचारे को बढ़ावा देकर व्यक्तियों के विचारों को सुनकर व उनका सम्मान करके अपनी समझ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

प्र. 6. c "असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है यदि उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो"- तिरुक्कुरल

उत्तर: नीतिशास्त्र में सत्य को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है, क्योंकि सत्य ही व्यक्तियों के मध्य विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ शांति, प्रेम इत्यादि के साथ नैतिक व्यवस्था में स्थायित्व लाता है इसीलिये गांधीजी जैसे विचारक सत्य को 'ईश्वर' के समान मानते हैं।

असत्य को नीतिमीमांसा में बुरा माना जाता है, लेकिन असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है यदि परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो। यदि वह असत्य जिससे समाज के किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो तथा समाज का व्यापक हित सुनिश्चित हो, तो वह असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है। जैसे- किसी अत्यधिक व्यस्त सड़क मार्ग पर यदि कोई दुर्घटना हो गई है जिससे एक व्यक्ति अत्यधिक घायल हो गया है जिस कारण सड़क पर अत्यधिक भीड़ उत्पन्न हो गई है और मैं उस क्षेत्र का पुलिस अधिकारी हूँ तो इन परिस्थितियों में घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी मृत्यु की सूचना को जनता को नहीं दूंगा और भीड़ को समझाने का प्रयास करूंगा कि घायल व्यक्ति सुरक्षित है क्योंकि इससे सार्वजनिक परिवहन सुविधा बाधित नहीं होगी। इस प्रकार के असत्य से भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं होगी और सड़क यातायात प्रभावी तरीके से संचालित हो सकेगा। इस प्रकार इस असत्य का परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण है तो यह सत्य का स्थान ले सकता है।

विचारणीय बिंदु है कि वह असत्य जिससे समाज के कुछ व्यक्तियों के शोषण व अत्याचार को बढ़ावा मिलता हो, भले ही उस असत्य से लाभ लेने वालों की संख्या अधिक हो, फिर भी वह असत्य-सत्य का स्थान नहीं ले सकता है। इस संदर्भ में यह कथन उपयोगितावादी विचारधारा का विरोधी प्रतीत होता है क्योंकि इस विचारधारा में यदि कुछ व्यक्तियों का हानि से अधिकतम व्यक्तियों को सुख प्राप्त हो रहा हो तो उस कार्य को शुभ माना जा सकता है।

वर्तमान परमाणु युग के दौर में संपूर्ण विश्व एक भय के वातावरण में जीवन-यापन कर रहा है। इन परिस्थितियों में यदि सभी देश मिलकर एक असत्य की घोषणा कर दें कि सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने परमाणु हथियार समाप्त कर दिये हैं तो इस असत्य से संपूर्ण विश्व में शांति का वातावरण उत्पन्न होने के साथ ही भय के वातावरण से मुक्ति मिलेगी; इस प्रकार यह असत्य सत्य का स्थान ले सकता है क्योंकि इसका परिणाम निष्कंलक सार्वजनिक कल्याण होगा। वास्तव में यह कथन 'सर्वोदय' की दिशा में अर्थात् सबके कल्याण की स्थिति में ही असत्य को सत्य का स्थानापन्न बनाना चाहता है।

निष्कर्षतः जीवन की विकट स्थितियों में यदि असत्य से समाज के व्यापक हित को लाभ होता हो तथा उस असत्य पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जाए तो वह निश्चित ही सत्य का स्थान ले लेता है। संक्षेप में कहें तो वहीं असत्य, सत्य का स्थान ले सकता है जो निष्कंलक एवं सभी के सार्वजनिक कल्याण जैसे 'सर्वोदय' को स्थापित करता है न कि उपयोगितावाद की दृष्टि से कुछ के शोषण पर अधिकतम के कल्याण की स्थापना करे।

प्र. 7. राकेश ज़िला स्तर का एक ज़िम्मेदार अधिकारी है जिस पर उसके उच्च अधिकारी भरोसा करते हैं। उसकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसे वरिष्ठ नागरिकों के लिये एक स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व सौंपा है। लाभार्थी होने के लिये निम्नलिखित कसौटियाँ हैं:

(अ) 60 वर्ष की या उससे अधिक आयु हो।

(ब) किसी आरक्षित समुदाय से संबंधित हो।

(स) परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो।

(द) इलाज के बाद लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर होने की प्रबल संभावना हो।

एक दिन एक वृद्ध दंपति राकेश के कार्यालय में योजना के लाभ के लिये आवेदन-पत्र लेकर आया। वे उसके ज़िले के एक गाँव में जन्म से रहते आए हैं। वृद्ध व्यक्ति की बड़ी आँत में एक ऐसे विरले विकार का पता लगा जिससे उसमें रुकावट पैदा होती है। परिणामस्वरूप, उसके पेट में बार-बार तीव्र पीड़ा होती है जिससे वह कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकता है। वृद्ध दंपति की देखरेख करने के लिये कोई संतान नहीं है। एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, जिससे वे मिले हैं, बिना फीस के उनकी शल्य चिकित्सा करने को तैयार है। फिर भी, उस वृद्ध दंपति को आकस्मिक व्यय, जैसे दवाइयाँ, अस्पताल का खर्च आदि जो लगभग 1 लाख रुपए होगा, स्वयं ही वहन करना पड़ेगा। दंपति मानक 'ब' के अलावा योजना का लाभ प्राप्त करने की सारी कसौटियाँ पूरी करता है। फिर भी, किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता निश्चित तौर पर उनके जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पैदा करेगी। राकेश को इस परिस्थिति में क्या अनुक्रिया करनी चाहिये? (250 शब्द)

उत्तर: वृद्ध दंपतियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अमानवीय दशाओं में अपना जीवन-यापन करना पड़ता है क्योंकि वृद्ध दंपति शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं और यह समस्या तब और जटिल हो जाती है जब उनकी देखभाल एवं रखरखाव के लिये कोई संतान न हो; उपर्युक्त प्रकरण में इन्हीं परिस्थितियों व समस्याओं को उल्लिखित किया गया है।

वस्तुत: राकेश की ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए उसे वरिष्ठ नागरिकों के लिये एक स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व सौंपा गया है और लाभार्थी होने की कसौटियाँ भी बताई गई हैं। अत: राकेश का यह कर्त्तव्य व जवाबदेही बनती है कि वह कसौटियों के अनुसार ही योजना के लाभार्थियों का चयन करे तथा इन कसौटियों में वृद्ध दंपति मानक "ब" का पालन नहीं करता है इस कारण वह इस योजना का लाभार्थी नहीं हो सकता है। यह भी संभव है कि अगर इस वृद्ध दंपति को इस योजना का लाभार्थी बनाया जाए, तो कोई आरक्षित समुदाय का वृद्ध व्यक्ति इस योजना से बाहर हो जाए क्योंकि इस योजना का वास्तविक लाभार्थी आरक्षित समुदाय है जिससे इस योजना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

लेकिन, अब यह सवाल उठता है कि वृद्ध दंपति केवल मानक "ब" का पालन नहीं करता है, जबकि अन्य सभी कसौटियों का प्रभावी पालन करता है। चूँकि, वृद्ध दंपति के पास कोई संतान भी नहीं है जो वृद्ध दंपत्ति के इलाज का खर्च वहन कर सके। इन परिस्थितियों में यह प्रभावी विकल्प है कि मैं वृद्ध दंपति को योजना का लाभार्थी बनाऊँ और इलाज के लिये वित्तीय मदद करूँ।

इस बिंदु पर भी विचार करना ज़रूरी है कि एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक भी उनकी शल्य चिकित्सा बिना फीस के करने को तैयार है। वृद्ध व्यक्ति के पेट में बार-बार तीव्र पीड़ा होती है जिससे वह शारीरिक श्रम नहीं कर सकता है। अत: वृद्ध दंपति की शल्य चिकित्सा पश्चात् वह शारीरिक श्रम करके अपनी जीवन-गुणवत्ता में सुधार के साथ ही राष्ट्र के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है और यह वृद्ध दंपत्ति बोझ न बनकर योग्य मानवीय संसाधन में रूपांतरित हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता निश्चित तौर पर उनकी जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पैदा करेगी, जो कि योजना की कसौटियों का मूल है। अत: राकेश को निश्चित ही वृद्ध दंपति की सहायता का प्रयास करना चाहिये जिससे उनके जीवन में गुणात्मक सकारात्मक सुधार आ सके, जो कि कल्याणकारी राज्य के हितों के भी अनुकूल है।

उपर्युक्त प्रकरण में यह हो सकता है कि उच्च अधिकारियों को इस बात का पता लगने पर उसकी ईमानदारी व कर्त्तव्यनिष्ठता पर सवाल खड़े किये जा सकते हैं क्योंकि वृद्ध दंपति मानक "ब" का पालन नहीं करता है परंतु भले ही यह योजना की कसौटियों से थोड़ा-सा विचलन है लेकिन यह प्रयास वृद्ध दंपति के जीवन में गुणात्मक सुधार लाएगा, जो मानवीयता व नैतिकता के हितों के अनुकूल है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुशी लाना किसी भी ज़िम्मेदार अधिकारी का परम कर्त्तव्य है अत: राकेश को वृद्ध दंपति की मदद करनी चाहिये। साथ ही किसी एनजीओ एवं स्वयंसेवी संगठन को भी इस कार्य में शामिल करने का प्रयास करना चाहिये क्योंकि मानक का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस वृद्ध दंपति की सहायता करना नैतिक दृष्टि से सर्वथा उचित है।

प्र. 8. अपने मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आपकी पहुँच महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों तथा आने वाली घोषणाओं, जैसे सड़क निर्माण परियोजनाएँ तक जनता के अधिकार-क्षेत्र में जाने से पहले हो जाती है। मंत्रालय एक बड़ी सड़क निर्माण योजना की घोषणा करने वाला है जिसके लिये खाके तैयार हो चुके हैं। नियोजकों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि सरकारी भूमि का अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाए ताकि निजी भूमि का कम-से-कम अधिग्रहण करना पड़े। निजी भूमि के मालिकों, के लिये क्षतिपूर्ति की दरें भी सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित कर ली गई हैं। निर्वनीकरण कम-से-कम हो इसका भी ध्यान रखा गया है। ऐसी आशा है कि परियोजना की घोषणा होते ही उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र की भूमि की कीमतों में भारी उछाल आएगा।

इसी बीच, संबंधित मंत्री ने आपसे आग्रह किया कि सड़क का पुन:सरेखण इस प्रकार किया जाए जिससे सड़क मंत्री के 20 एकड़ के फार्म हाउस के पास से निकले। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि वह आपकी पत्नी के नाम, प्रस्तावित बड़ी सड़क परियोजना के आसपास एक बड़ा भूखण्ड प्रचलित दरों पर जो कि नाममात्र की हैं, क्रय करने में सहायता करेंगे। मंत्री ने आपको यह भी विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि भूमि वैधानिक रूप से खरीदी जा रही है। वह आपसे यह भी वादा करता है कि यदि आपके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है तो उसकी पूर्ति में भी आपकी सहायता करेगा। लेकिन सड़क के पुन:सरेखण में बहुत-सी कृषि-योग्य भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा जिससे सरकार पर काफी वित्तीय भार पड़ेगा तथा किसान भी विस्थापित होंगे।

केवल यह ही नहीं, इसके चलते बहुत सारे पेड़ों को भी कटवाना पड़ेगा जिससे पूरे क्षेत्र का हरित आवरण समाप्त हो जाएगा।

इस परिस्थिति का सामना होने पर आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के हित-द्वंद्वों की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिये तथा स्पष्ट कीजिये कि एक लोक सेवक होने के नाते आपके क्या दायित्व हैं। (250 शब्द)

उत्तर: उपर्युक्त प्रकरण में एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते मेरी कर्त्तव्यनिष्ठता, जवाबदेहिता, पारदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का परीक्षण है। वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण मुझे मंत्रालय के महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की जानकारी पहले हो जाती है अत: इसका उपयोग मैं अपने व्यक्तिगत हित में कर सकता हूँ।

लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति का सामना होने पर मैं अपने व्यक्तिगत हितों पर सार्वजनिक हितों को वरीयता दूंगा और मंत्री द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रस्तावों को अस्वीकार करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा, पहले जिस प्रकार सड़क का खाका तैयार किया गया है जिसमें निजी भूमि का अधिग्रहण कम-से-कम होने के साथ ही निर्वनीकरण कम-से-कम हो इसका ध्यान रखा गया है, इसी खाके के अनुसार 'बड़ी सड़क निर्माण योजना' की दिशा में कार्य करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि मंत्री द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने के पश्चात् मेरे सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे- मेरे परिवार पर सुरक्षा का संकट एवं मीडिया, आम जनमानस में मेरी छवि को खराब करना; लेकिन मैं इन सभी समस्याओं का समुचित समाधान करने का प्रयास करूंगा।

उपर्युक्त प्रकरण में विभिन्न प्रकार के हित द्वंद्व निम्नलिखित हैं-

व्यक्तिगत हित

बनाम

अपने कर्त्तव्यों का समुचित निवर्हन

सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, पारदर्शिता जैसे मूल्यों का पालन

बनाम

अपने परिवार की सुख-सुविधाओं में वृद्धि करना

समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना

बनाम

'स्वहित' व भ्रष्टाचार को महत्त्व देना।

पहले हित द्वंद्व में मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मंत्री का मेरे प्रति भरोसा बढ़ेगा और भविष्य में उससे अन्य प्रकार की भी मदद ले सकता हूँ। लेकिन इससे मैं पद की शपथ के अनुरूप अर्थात् कर्त्तव्यनिष्ठता से कार्य नहीं कर सकूंगा जो एक लोक सेवक के दायित्व के विपरीत है।

दूसरे हित द्वंद्व में एक लोक सेवक होने के नाते मुझे सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, पारदर्शिता जैसे मूल्यों का पालन करना चाहिये क्योंकि यह मेरी 'नैतिक संहिता' में उल्लिखित है। दूसरी तरफ अगर मैं इस समझौते में शामिल हो जाऊँ तो इससे मेरी पत्नी को प्रस्तावित बड़ी सड़क परियोजना के आसपास भूखंड को क्रय करने में मंत्री मेरी सहायता करेगा; इस भूखंड की कीमत अधिक है जिसे मैं अपने वेतन से प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। अत: इस समझौते से मेरे परिवार की सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

तीसरे हित द्वंद्व में एक व्यक्ति व अधिकारी होने के नाते समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना मेरा कर्त्तव्य है। तो वहीं मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करके मैं भ्रष्टाचार के माध्यम से 'स्वहित' को महत्त्व दे सकता हूँ और मंत्री का सहयोग होने के कारण मेरा नाम भी उजागर होने की संभावना कम है। लेकिन यह कार्य मेरी आचार संहिता एवं सामाजिक हित के विपरीत है।

एक लोक सेवक होने के नाते मेरे निम्नलिखित दायित्व हैं-

- सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने का प्रयास करूँ जिससे सही लाभार्थियों तक संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- सरकार के वित्त का अनावश्यक दुरुपयोग न हो, क्योंकि यह जनता का धन है जिसका समुचित एवं देश के विकास में ही उपयोग होना चाहिये।
- अपने व्यक्तिगत हितों के ऊपर सार्वजनिक हितों को वरीयता दूँ।
- सिविल सेवक को आचार संहिता व नैतिक संहिता का पालन करते हुए संविधान के सुसंगत कार्य करने का प्रयास करना चाहिये।
- लोक सेवक को विस्थापन एवं समुचित पुनर्वास के साथ ही हरित वातावरण को भी महत्त्व देना चाहिये अर्थात् पर्यावरण-मानव सहअस्तित्व विकास पर बल देना चाहिये।

निष्कर्षत: वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते मंत्री की बात को अस्वीकार करूंगा जो कि मेरे कर्त्तव्य के अनुकूल होने के साथ ही सामाजिक हित में होगा।

प्र. 9. यह एक राज्य है जिसमें शराबबंदी लागू है। अभी-अभी आपको इस राज्य के एक ऐसे ज़िले में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है जो अवैध शराब बनाने के लिये कुख्यात है। अवैध शराब से बहुत मौतें हो जाती हैं, कुछ रिपोर्ट की जाती हैं और कुछ नहीं जिससे ज़िला अधिकारियों को बड़ी समस्या होती है।

अभी तक इसे कानून और व्यवस्था की समस्या के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है और उसी तरह इसका सामना किया जाता रहा है। छापे, गिरफ्तारियाँ, पुलिस के मुकदमे, आपराधिक मुकदमे- इन सभी का केवल सीमित प्रभाव रहा है। समस्या हमेशा की तरह अभी भी गंभीर बनी हुई है।

आपके निरीक्षणों से पता चलता है कि ज़िले के जिन क्षेत्रों में शराब बनाने का कार्य फल-फूल रहा है, वे आर्थिक, औद्योगिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न समुदायों में बार-बार होने वाले टकराव अवैध शराब निर्माण को बढ़ावा देते हैं। अतीत में लोगों के हालात में सुधार लाने के लिये न तो सरकार के द्वारा और न ही सामाजिक संगठनों के द्वारा कोई महत्त्वपूर्ण पहलें की गई हैं। समस्या को नियंत्रित करने के लिये आप कौन-सा नया उपागम अपनाएँगे? (250 शब्द)

उत्तर: उपर्युक्त प्रकरण में एक पुलिस अधीक्षक के रूप में मुझे ज़िले में अवैध शराब निर्माण तथा इसके पीछे विद्यमान कारणों को समाप्त करने हेतु नवीन उपागमों को अपनाने पर ध्यान देना होगा।

नवीन उपागमों को अपनाने से पहले मैं ज़िले की अवैध शराब से जुड़ी सभी समस्याओं को जानने का प्रयास करूंगा जो निम्नलिखित हैं-

- ज़िला अवैध शराब निर्माण हेतु कुख्यात है।
- अवैध शराब के सेवन से कई मौतें होती हैं तथा सबकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती।
- इस समस्या का प्रभावी समाधान कानून व्यवस्था के उपागम पर काम करके नहीं हो पा रहा है।

ज़िले में जब उपरोक्त समस्याओं के मूल में विद्यमान कारणों पर गौर किया गया तो इसके पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित रहे–

- ज़िले का आर्थिक, शैक्षिक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन।
- सिंचाई व्यवस्था की कमी के कारण कृषि का पिछड़ापन।
- सामुदायिक टकराव।
- सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों का उदासीन प्रयास जिससे लोगों का सही विकास ही नहीं हो पाया।

इन कारणों के समाधान हेतु मैं निम्नलिखित नवीन उपागमों पर कार्य करूंगा–

- सर्वप्रथम ज़िले में विद्यमान आर्थिक संभावनाओं का पता लगाऊंगा तथा ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर ज़िले की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाऊंगा।
- सरकार की कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं, जैसे कौशल विकास योजना, उस्ताद योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करूंगा। जिससे लोगों में कौशल विकास को बढ़ावा देकर छोटे एवं स्थानीय रोज़गार अवसरों का विकास किया जा सके। साथ ही कृषि हेतु सिंचाई की समस्या का निराकरण किया जा सके।
- औद्योगिक पिछड़ापन दूर करने के लिये राज्य सरकार से वार्ता करके इस ज़िले में उद्योगों को आकर्षित करने हेतु दीर्घकालिक प्रयासों को प्रभावी बनाया जा सकता है।
- क्षेत्र में कृषि एवं उससे संबद्ध रोज़गार अवसरों को विविधीकृत करने का प्रयास करूंगा, जैसे मधुमक्खीपालन, पशुपालन, मछलीपालन आदि। साथ ही, कृषि की ऐसी पद्धतियों को अपनाने हेतु लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करूंगा जो लागत प्रभावी एवं पर्यावरण के अनुकूल भी हों। जैसे जैविक खेती की दिशा में प्रयास करना, ज़ीरो बजट कृषि का विकास करना जिससे जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा सिंचाई की नवीन विधियों का प्रसार करना।
- तात्कालिक तौर पर इस समस्या के समाधान हेतु अवैध शराब की बिक्री एवं आपूर्ति प्रक्रिया को रोकना होगा। इसके लिये आबकारी एवं पुलिस विभाग के प्रयोग से औचक जाँच तथा पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। साथ ही सिविल सोसायटी, सामाजिक समूह के संगठन तथा मीडिया का सहारा लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा क्योंकि शराबबंदी लागू है फिर भी शराब का प्रयोग हो रहा है जो ज़िले में नशे की समस्या की ओर संकेत करता है। अत: 'नशामुक्ति' एवं 'शराबमुक्ति' हेतु प्रशासनिक एवं सामाजिक स्तर पर गंभीर प्रयास करूंगा। इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रयासों का गहनीकरण किया जा सकेगा। साथ ही नशामुक्ति केंद्र भी खुलवाने का प्रयास करूंगा।
- ज़िले में सामुदायिक टकराव के मूल में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों की पहचान कर स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व के सहयोग से समाधान का प्रयास करूंगा तथा सामुदायिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा।
- चूँकि, इस समस्या का एक पक्ष कानून एवं व्यवस्था से जुड़ता है अत: अराजक तत्त्वों एवं अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, इससे संबंधित मौतों की पूर्ण रिपोर्टिंग हेतु पुलिस को विशेष निर्देश दूंगा।

इस प्रकार अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी समस्या को सिर्फ कानून एवं प्रशासन के प्रयास से समाप्त नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिये स्थानीय लोगों को भी साथ में लेना होगा और ये लोग तभी साथ आएंगे जब इनको विकास की प्रक्रिया में साझीदार बनाया जाएगा। इसके अलावा नशावृत्ति के प्रति लोगों में जागरूकता को मज़बूत करना होगा। इस दिशा में तात्कालिक व दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर प्रयास करने होंगे, नशामुक्ति केंद्रों तथा रोज़गार केंद्रों की संख्या बढ़ानी होगी। ज़िले के सभी सरकारी विभागों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास एवं पुलिस आदि को इस समस्या से लड़ने हेतु सामूहिक प्रयास करना होगा।

प्र. 10. एक बड़ा औद्योगिक परिवार बड़े पैमाने पर औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में संलग्न है। यह परिवार एक अतिरिक्त इकाई स्थापित करना चाहता है। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के कारण अनेक राज्यों ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किंतु एक राज्य सरकार ने सारे विरोध को दरकिनार करते हुए औद्योगिक परिवार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और एक नगर के समीप इकाई स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

इकाई को 10 वर्ष पूर्व स्थापित कर दिया था और अभी तक बहुत सुचारु रूप से चल रही थी। औद्योगिक बहि:स्रावों से पैदा हुए प्रदूषण से क्षेत्र में भूमि, जल और फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। इससे मनुष्यों तथा पशुओं में गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी आ रही थीं। परिणामस्वरूप, इकाई को बंद करने की मांग को लेकर शृंखलाबद्ध आंदोलन होने लगे। अभी-अभी एक आंदोलन में हज़ारों लोगों ने भाग लिया जिससे पैदा हुई गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिये पुलिस को सख्त कदम लेने पड़े। जनाक्रोश के पश्चात् राज्य सरकार ने फैक्टरी को बंद करने का आदेश दे दिया।

फैक्टरी के बंद होने के परिणामस्वरूप न केवल वहाँ काम करने वाले श्रमिक ही बेरोज़गार हुए अपितु सहायक इकाइयों के कामगार भी बेरोज़गार हो गए। इससे उन उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा जो उस इकाई द्वारा उत्पादित रसायनों पर निर्भर थे।

इस मुद्दे को संभालने के उत्तरदायित्व सौंपे गए एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आप इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किस प्रकार करेंगे? (250 शब्द)

उत्तर: उपर्युक्त प्रकरण में मुद्दे को संभालने के उत्तरदायित्व सौंपे गए एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते, समुचित उत्तरदायित्व निर्वहन के पूर्व विभिन्न प्रकार की समस्याएँ नज़र आती हैं, जैसे–

- पर्यावरण बनाम आर्थिक विकास में किसे महत्त्व दिया जाए।
- फैक्टरी को बंद करने के पश्चात् उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों एवं सहायक इकाइयों के कामगार भी बेरोज़गार हो गए हैं। अत: इनके रोज़गार का प्रबंधन करना।
- यदि फैक्टरी को प्रारंभ किया जाता है तो इस क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रदूषण की समस्या को किस प्रकार रोका जाए।
- फैक्टरी बंद करने के पश्चात् राज्य की आर्थिक गतिविधियों एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि अन्य उद्योग इस इकाई द्वारा उत्पादित रसायनों पर निर्भर थे।

उपर्युक्त परिस्थितियों में उत्तरदायित्व के निर्धारण का एक विकल्प यह है कि इस औद्योगिक रसायन उद्योग को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए; चूँकि यह उद्योग नगर के समीप स्थित है जिसके कारण उत्पन्न प्रदूषण से व्यक्तियों व पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस विकल्प को अपनाने से आंदोलन भी कम हो जाएगा और कामगार भी बेरोज़गार नहीं होंगे। लेकिन फैक्ट्री को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने से उस क्षेत्र में भी प्रदूषण संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं और आंदोलन की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

फैक्ट्री को पुनः प्रारंभ करने से औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित होने के साथ ही वहाँ काम करने वाले एवं सहायक इकाइयों के कामगार भी बेरोज़गार नहीं होंगे। इस प्रकार के आंदोलन को ज्यादा तरजीह नहीं देने की आवश्यकता है क्योंकि आज का दौर विकास का है और पर्यावरण को थोड़ी मात्रा में क्षति पहुँचाई जा सकती है। लेकिन, विचारणीय बिंदु है कि फैक्ट्री के संचालित होने से इस क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और निवासियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ सामने आ रही हैं अतः इस प्रकार के विकास को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रकरण में यह प्रयास भी किया जा सकता है कि इस रसायन उद्योग के प्रदूषण को कम करने के लिये इस औद्योगिक कारखाने को शहर से दूर स्थापित करने के साथ ही औद्योगिक परिवार द्वारा उचित एवं बेहतर तकनीक का उपयोग करने का प्रयास किया जाए, जिससे प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सके। साथ ही, यहाँ के निवासियों से वार्तालाप के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाए क्योंकि कंपनी के 'कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' के अंतर्गत यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने आसपास पर्यावरण की रक्षा करे और वहाँ रहने वाले निवासियों के जीवनयापन में कोई व्यवधान न उत्पन्न करे।

अगर उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता है तो राज्य सरकार ने फैक्टरी को बंद करने का जो आदेश दिया है, उसी दिशा में निर्णय लेने का प्रयास करूंगा। वस्तुतः अत्यधिक जनाक्रोश के पश्चात् किसी भी क्षेत्र में समुचित तरीके से औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जा सकती हैं। साथ ही, इस फैक्टरी के संचालित होने के कारण मानव एवं पशुओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जिससे मानवीय संसाधन का ह्रास हो रहा है। फैक्टरी बंद होने के परिणामस्वरूप यहाँ के एवं सहायक इकाइयों के कामगारों को अन्य फैक्टरी में कार्य करने के लिये भेजा जा सकता है और उन्हें कौशल प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा सकता है। साथ ही, पर्यावरण के विनाश पर किसी भी आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है।

प्र. 11. डॉ. 'एक्स' शहर के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं। उन्होंने एक धर्मार्थ न्यास स्थापित कर लिया है जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वे एक उच्च-विशेषता अस्पताल स्थापित करना चाहते हैं। संयोग से, राज्य के उस क्षेत्र की वर्षों से उपेक्षा रही है। प्रस्तावित अस्पताल उस क्षेत्र के लिये एक वरदान साबित होगा।

आप उस क्षेत्र की कर अन्वेषण इकाई के प्रमुख हैं। डॉक्टर के क्लीनिक के निरीक्षण के दौरान आपके अधिकारियों को कुछ बड़ी अनियमितताएँ ज्ञात हुई हैं। उनमें से कुछ बहुत गंभीर हैं जिनके कारण बड़ी मात्रा में करों में प्राप्य धनराशि रुकी नहीं, जिसका भुगतान डॉक्टर को अब करना चाहिये। डॉक्टर सहयोग के लिये तैयार है। वे तुरंत कर की राशि को अदा करने का वायदा करते हैं।

लेकिन उनके कर भुगतान में कुछ और भी खामियाँ हैं जो पूर्ण रूप से तकनीकी हैं। यदि अभिकरण द्वारा इन तकनीकी खामियों का पीछा किया जाता है तो डॉक्टर का बहुत सारा समय और उसकी ऊर्जा कुछ ऐसे मुद्दों की तरफ मुड़ जाएगी जो न तो बहुत गंभीर हैं, न ही अत्यावश्यक और न ही कर भुगतान कराने में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त, पूरी संभावना है कि इसके कारण अस्पताल के खोले जाने की प्रक्रिया भी बाधित होगी।

आपके समक्ष दो विकल्प हैं:

(i) व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए, अधिकाधिक कर भुगतान अनुपालन सुनिश्चित करें और ऐसी कमियों को नज़रअंदाज़ करें जो केवल तकनीकी प्रकृति की हों।

(ii) मामले को सख्ती से देखें और सभी पहलुओं पर आगे बढ़ें, चाहे वे गंभीर हों या केवल तकनीकी।

कर अभिकरण के प्रमुख होने के नाते, आप कौन-सी कार्य दिशा का विकल्प अपनाएंगे और क्यों?

उत्तर: प्रश्नोल्लिखित प्रकरण में डॉ. एक्स द्वारा स्थापित किये जा रहे उच्च-विशेषज्ञता युक्त अस्पताल की क्षेत्र को वर्षों से आवश्यकता है, किंतु डॉ. एक्स पर कर से जुड़ी कुछ अनियमितताएँ विद्यमान हैं। ऐसी परिस्थिति में कर अन्वेषण इकाई के प्रमुख के रूप में मेरा दायित्व बनता है कि मैं इन अनियमितताओं को समाप्त करूँ। साथ ही, राज्य के लोकहित एवं कल्याण से जुड़े विषयों को भी निर्बाध रूप से चलने दूँ।

कर अन्वेषण इकाई के प्रमुख के रूप में यदि मैं प्रश्न में दिये गए विकल्प (i) को अपनाता हूँ तो इससे-

- क्षेत्र के लोगों का व्यापक हित सुनिश्चित होगा तथा अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया निर्बाध चल सकेगी।
- इस संदर्भ में राज्य को कोई कर हानि भी नहीं उठानी पड़ रही है, साथ ही डॉक्टर एक्स अपेक्षित सहयोग भी इस संदर्भ में कर रहे हैं।
- व्यापक दृष्टिकोण आधारित प्रथम विकल्प को अपनाने पर डॉक्टर का समय व ऊर्जा तो बच ही रहा है जिसे वह अस्पताल निर्माण पर खर्च कर सकता है, साथ ही कर अभिकरणों पर आजकल 'टैक्स टेररिज़्म' के लगने वाले आरोपों से भी अपने विभाग को बचाया जा सकता है।
- प्रथम विकल्प 'टैक्स फ्रेंडली' प्रशासकीय प्रक्रिया को भी पोषित कर रहा है।

यद्यपि प्रथम विकल्प की सीमा यह है कि इसमें तकनीकी खामियों की उपेक्षा की जा रही है, इसी के समाधान हेतु प्रश्न में विकल्प (ii) दिया गया है। किंतु, ध्यान देने की बात है कि ये तकनीकी खामियाँ न तो बहुत गंभीर हैं, न ही अति आवश्यक है और न ही कर भुगतान की प्रक्रिया में उपयोगी हैं। इसलिये इन तकनीकी

खामियों पर केंद्रित विकल्प (ii) को अपनाना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे लोककल्याण तथा कर भुगतान की प्रक्रिया बाधित होगी। साथ ही, कर अभिकरण पर टैक्स टेररिज़्म जैसे आक्षेप भी लगेंगे।

अत: कर अभिकरण के प्रमुख के रूप में अपने दायित्व निर्वहन की प्रक्रिया में मैं विकल्प (i) की कार्यदशा का चयन करूंगा। इस विकल्प के माध्यम से मैं अपने पद के कर्त्तव्यों को भी पूरा कर सकूंगा और समाज के हित में भी अपना सहयोग देकर सामाजिक हित को पूरा कर सकूंगा।

प्र. 12. एडवर्ड स्नोडन, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ तथा सी.आई.ए. के पूर्व व्यवस्था प्रशासक ने सरकार के निगरानी कार्यक्रमों के अस्तित्व के बारे में गोपनीय सरकारी दस्तावेज़ों का खुलासा प्रेस को कर दिया। अनेक विधि विशेषज्ञों और अमेरिकी सरकार के अनुसार, उसके इस कार्य से गुप्तचर्या अधिनियम, 1917 का उल्लंघन हुआ है, जिसके अंतर्गत राज्य गुप्त बातों का सार्वजनीकरण राजद्रोह माना जाता है। इसके बावजूद कि स्नोडन ने कानून तोड़ा था, उसने तर्क दिया कि ऐसा करना उसका कर उचित ठहराया कि "जनता को यह सूचना देना कि उसके नाम पर क्या किया जाता है और उसके विरुद्ध क्या किया जाता है", बताना उसका कर्त्तव्य है।

स्नोडन के अनुसार, सरकार द्वारा निजता के उल्लंघन को वैधानिकता की परवाह किये बिना उसको उजागर करना चाहिये क्योंकि इसमें सामाजिक क्रिया तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। अनेक व्यक्ति स्नोडन से सहमत थे। केवल कुछ ने यह तर्क दिये कि स्नोडन ने कानून तोड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है जिसके लिये उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।

क्या आप इससे सहमत हैं कि स्नोडन का कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए भी नैतिकता की दृष्टि से उचित था? क्यों या क्यों नहीं? इस विषय में परस्पर स्पर्द्धी मूल्यों को तोलते हुए अपना तर्क दीजिये।

उत्तर: इस संदर्भ में सर्वप्रथम 'व्हिसल ब्लोइंग' को जानना आवश्यक है। 'व्हिसल ब्लोइंग' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्थान के भीतर कार्यरत व्यक्ति द्वारा संस्थान में व्याप्त कदाचार का 'सार्वजनिक रूप' से खुलासा किया जाता है। सामान्यतया संस्थान के कर्मचारी द्वारा ऐसा तब किया जाता है जब वह संस्थान के भीतर समस्या का निदान करने में असफल हो जाता है। इससे कर्मचारी स्वयं को व्यक्तिगत संकट में भी डाल लेता है।

इस प्रकरण में यदि स्पर्द्धी मूल्यों पर विचार किया जाए तो ये निम्नलिखित हैं-

- संस्था (सी.आई.ए) की भलाई तथा जनता की भलाई के बीच सामंजस्य बैठाने की दुविधा है।
- संस्था के कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता का द्वंद्व है।
- इसमें सी.आई.ए. की विश्वसनीयता एवं गोपनीयता तथा आम जनता की निजता जैसे मूल्यों में स्पर्द्धा है।
- इस प्रकरण में एक ओर समाज के प्रति नागरिक उत्तरदायित्व, परोपकारिता, ईमानदारी, नैतिक प्रतिबद्धता जैसे मूल्य विद्यमान हैं तो वहीं दूसरी तरफ संस्थान के कार्य में पारदर्शिता, स्वच्छता, कदाचार से मुक्ति दिलाने का प्रशासकीय उत्तरदायित्व भी विद्यमान है।
- इसमें सामाजिक सुरक्षा एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे स्पर्द्धी मूल्य विद्यमान हैं।

मूल्यों के बीच उपरोक्त द्वंद्व के आलोक में स्नोडन के कार्य को नैतिक दृष्टि से उचित भी कहा जा सकता है तथा अनुचित भी।

सर्वप्रथम, उन तर्कों को देखते हैं जिनके कारण स्नोडन का कार्य उचित है-

- स्नोडन का कार्य सार्वजनिक हित तथा नागरिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से उचित है क्योंकि सी.आई.ए. एवं सरकार के निगरानी कार्यक्रमों से जनता की निजता पर संकट उत्पन्न हो रहा था, साथ ही जनता को यह संकट जानना उचित भी है।
- सी.आई.ए. अपनी स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने कर्मचारियों को धोखा दे रहा था। साथ ही, सरकार ने किसी ऐसी स्वतंत्र जाँच एजेंसी का निर्माण नहीं किया था जहाँ व्हिसल ब्लोअर बेझिझक मामलों की खबर दे सकें तथा निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित की जा सके। इस तरह स्नोडन स्वयं को ठगा महसूस कर रहे थे जिससे उन्होंने कार्य किया।
- चूँकि 'व्हिसल ब्लोइंग के नकारात्मक परिणाम भी होते हैं, जैसे मानसिक यातना, कठिन अदालती कार्यवाही, अपमान, आजीविका एवं राष्ट्रीयता आदि का संकट। इन नकारात्मक परिणामों की संभावना होने पर भी स्नोडन द्वारा 'व्हिसल ब्लोइंग का बहादुरीपूर्ण कार्य नि:स्वार्थ भावना एवं सार्वजनिक हित में किया गया प्रयास प्रतीत होता है।
- स्नोडन ने अपने व्यक्तिगत विवेक तथा सही व गलत के गहन विश्लेषण के आधार पर यह कार्य किया था जिससे सी.आई.ए. का कदाचार दूर हो सके तथा समाज के अधिकारों की रक्षा भी हो सके।

स्नोडन के कार्य को उचित ठहराने वाले तर्कों के विपरीत ऐसे तर्क भी हैं जो स्नोडन के कार्य को अनुचित सिद्ध करते हैं-

- प्रशासकीय उत्तरदायित्व एवं सेवा की 'आचरण संहिता' के प्रमुख मूल्य विश्वसनीयता एवं गोपनीयता का उल्लंघन किया गया।
- गुप्तचर्या अधिनियम, 1937 का उल्लंघन कहीं-न-कहीं कानूनी नैतिकता की उपेक्षा है।
- सी.आई.ए (संस्थान) के भी अधिकारों का उल्लंघन हुआ क्योंकि प्रत्येक संस्थान अपने कर्मचारी से गोपनीयता व वफादारी का अधिकार रखता है।
- समाज की निजता की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन किया गया।

अत: उपरोक्त तर्कों के आधार पर स्नोडन का कार्य अनुचित अवश्य प्रतीत होता है, किंतु गहराई से देखें तो इसके पीछे सी.आई.ए. व सरकार की नीतिगत कमियाँ तथा स्वतंत्र जाँच एजेंसी के अभाव जैसे कारक विद्यमान हैं। साथ ही, एक आधुनिक राष्ट्र में सार्वजनिक निजता, नागरिक सुरक्षा तथा पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था को विकसित किये बिना राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते। अत: नागरिक उत्तरदायित्व व नि:स्वार्थ सार्वजनिक हित की दृष्टि से स्नोडन का कार्य नैतिक है। संभवत: यही कारण है कि 'अनेक व्यक्ति स्नोडन से सहमत थे।' ■■■